Monday, 29 March, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / First Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं / Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8, सोमवार, 29 मार्च, 1971/8 चैत्र, 1893 (शक)

No. 8, Monday, March 29, 1971/Chaitra 8, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्य द्वारा शपथग्रहण	Member Sworn ..	1—2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1. ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री	Sale of Arms by Britain to South Africa ..	2—4
5. देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण	Survey for location of Mineral Deposits in South-Eastern Region in the country ..	4—6
7. पाकिस्तान के सैनिकों का भारत के क्षेत्र से होकर जाना	Transit of Pak Troops across India ..	6—7
9. आयुध कारखानों के महा-निदेशालय के एक भाग का कलकत्ता से कानपुर को स्थानान्तरण	Shifting of a Part of Directorate General of Ordnance Factories from Calcutta to Kanpur ..	7—8
10. कैंसर की बीमारी के अनुसन्धान के लिये एक अध्ययन दल का गठन	Constitution of study Team for Research of Cancer Disease ..	8—10
11. चिलका (उड़ीसा) में नौसेना प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	Establishment of Naval Training Institute at Chilka Lake (Orissa) ..	11—12
14. पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with East Pakistan ..	12—13
15. भारतीय प्रदेश से पाकिस्तान के सैनिक तथा असैनिक विमानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध	Ban on over flights of Pakistani Civil and Military Planes ..	14—16
6. बम्बई में वायु का दूषित होना	Air Pollution in Bombay ..	16—17
12. विमान अपहरण न किये जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा आश्वासन	Assurance from Pakistan against Hijacking ..	17—19

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य में वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2. हिंद चीन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission for Indo-China ..	19—20
3. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले की मात्रा में कमी	Decline in Production of coal by National Coal Development Corporation ..	20
4. औषधियों के मूल्य में कमी	Reduction in the Prices of Drugs ..	21
8. पाकिस्तानी विमानों के भारत के ऊपर से उड़ने पर प्रतिबन्ध	Ban on Pakistani Aircraft Flying over India ..	21
13. अपहृत भारतीय विमान के सम्बन्ध में पाकिस्तान को विरोध पत्र	Protest to Pakistan about Hijacked Indian Plane ..	22

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1. हिन्द महासागर में रूसी युद्ध पोत	Russian Warships in Indian Ocean ..	22
2. भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व	Representation of Workers and Officers of Indian Oil Corporation on Management Board ..	22—23
3. सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Accommodation to Government Employees ..	23—25
4. औषधियों का लागत मूल्य	Cost Structure of Drugs ..	25
5. दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय	C. G. H. S. Dispensaries in Delhi ..	25—26
6. अपहृत करके पाकिस्तान ले जाये गये भारतीय विमान में नष्ट हुई यात्रियों की सम्पत्ति	Damage to property of passengers in Indian Plane Hijacked to Pakistan ..	26
7. ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to South Africa ..	26—27
8. दिल्ली के आस पास कस्बों का विकास	Development of Ring Towns Around Delhi ..	27
9. भूटान द्वारा भारतीयों और विदेशियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Restriction imposed on Movement of Indians and Foreigners by Bhutan ..	27—28
10. हिन्द महासागर में रूसी नौसेना का जमाव	Soviet Naval Build up in Indian Ocean ..	28
11. पाकिस्तान द्वारा हथियाई गई सम्पत्ति के लिये भारतीयों को अनुगृहीत अनुदान	Ex-gratia Grants to Indians for properties seized by Pakistan ..	28—29

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

12. 1971 के मध्यावधि चुनाव के अवसर पर प्रतिरक्षा विभाग द्वारा जीपों की बिक्री	Sale of Jeeps by Defence Department in connection with mid term elections 1971	..	29
13. आयात कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पुनर्वास की व्यापक योजना	Comprehensive plan for rehabilitating emergency commissioned Officers	..	29—31
14. बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के खान मालिकों पर रायल्टी की बकाया राशियां	Arrears of Royalty due from Mine-owners of Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh	..	31
15. निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास के लिये राज्य सरकारों को अनुदान	Grants to State Government for Works Housing and Urban Development	..	32
16. गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान	Grants for slum clearance to State Governments	..	33
17. अशोधित तेल का आयात	Import of crude oil	..	34
18. एवरों 748 विमानों का उत्पादन	production of Avro-748 Planes	..	34
19. नेहरू संग्रहालय में 'जवाहर-ज्योति'	'Jawahar-Jyoti' in Nehru Museum	..	35
20. जटनी कस्बे (उड़ीसा) में नल के पानी की सुविधायें	Piped Water facilities in Jatni Town (Orissa)	..	35
21. खुरदा नगर (उड़ीसा) में नल के पानी की सुविधायें	Piped water facilities in Khurda Town in Orissa	..	35—36
22. बिहार में कोयला खानों में कोयले का जमा होना	Accumulation of Coal in Coal Mines in Bihar	..	36
23. इंडियन एयरलाइन्स के जलाये गये विमान के लिये पाकिस्तान से मुआवजा	Compensation from Pakistan for burning of an IAC Plane	..	36
24. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Rural Areas	..	37
25. औषध मूल्य नियंत्रण आदेश	Drug Price Control Order	..	37—38
26. जनरल वैस्टमोरलैंड का भारत का दौरा	Visit of General Westmoreland to India	..	38
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—		
चंडीगढ़ में मिले मत पत्र	Ballot Papers found at Chandigarh	..	38—44
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	..	38
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	..	39—43
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	44—46
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश	Parliamentary Committees—Summary of Work	..	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	46—47
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees' State Insurance Corporation ..	47—48
सभा की कार्यवाही के बारे में	Re. Business of the House ..	48
पूर्व पाकिस्तान की स्थिति के बारे में	Re. Situation in East Pakistan ..	48—50
कोयला श्रमिक भविष्य निधि विधियां (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Coal Labour Provident Fund Laws (Amendment) Bill—Introduced ..	50
श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश	Statement Re. Labour Provident Fund Law (Amendment) Ordinance ..	50
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar ..	50
उड़ीसा बजट, 1971-72—सामान्य चर्चा—लेखानुदानों की मांगें (उड़ीसा), 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1971-72	Orissa Budget—1971-72 General Discussion Demands for Grants on Account (Orissa), 1971-72 and Demands for Supplementary Grants (Orissa) 1971-72 ..	50—69
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo ..	50—53
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	53—55
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharayya ..	55
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik ..	55—56
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali ..	56—57
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao ..	57—59
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty ..	59—61
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik ..	61—63
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ..	63—64
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	64—65
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971—पुरःस्थापित तथा पारित	Orissa Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971—Introduced and passed ..	70
उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1971 पुरःस्थापित तथा पारित	Orissa Appropriation Bill 1971—Introduced and passed ..	71
मतपत्रों के बारे में	Re. Ballot Papers ..	71—72
मैसूर बजट 1971-72—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (मैसूर) 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मैसूर) 1970-71	Mysore Budget 1971-72—General Discussion, Demands for Grants on Account (Mysore) 1971-72, and Demands for Supplementary Grants (Mysore) 1970-71 ..	72—81

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa	..	72—73
श्री एम० के० कृष्णन्	Shri M. K. Krishnan	..	73—74
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	..	74
श्री कल्याण सुन्दरम्	Shri Kalyanasundaram	..	74—75
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा	Shri T. V. Chandrashekhrappa	..	75
श्री नरेन्द्र सिंह	Shri Narendra Singh	..	76
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	..	76
श्री विद्याचारण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	..	76—78
मैसूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971—	Mysore Appropriation (Vote on Account) Bill 1971—		
पुर:स्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	..	81—82
मैसूर विनियोग विधेयक, 1971—	Mysore Appropriation Bill 1971—		
पुर:स्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	..	82—83
पश्चिम बंगाल बजट 1971-72 सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल), 1970-71 और पश्चिम बंगाल में उद्घोषणा के बारे में संवैधानिक संकल्प (स्वीकृत)	West Bengal Budget 1971-72 General Discussion Demands for Grants on Account (West Bengal), 1971-72 and Demands for Supplementary Grants (West Bengal), 1970-71 and Statutory Resolution Re. Proclamation in respect of West Bengal (adopted)	..	83—98
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	84—85
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazara	..	95—86
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	..	86—87
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	..	88—89
श्री कृष्ण हाल्डर	Shri Krishna Halder	..	89
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	..	91—92
पश्चिम बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971—	West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971—		
पुर:स्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	..	98—99
पश्चिम बंगाल विनियोग विधेयक, 1971—पुर:स्थापित तथा पारित	West Bengal Appropriation Bill, 1971 Introduced and Passed	..	99—100
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	..	101

LOK SABHA
लोक-सभा

सोमवार, 29 मार्च, 1971/8 चैत्र, 1893 (शक)
Monday, March 29, 1971/Chaitra 8, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MBMBERS SWORN

श्री विनोदानन्द झा (दरभंगा)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अस्वस्थ हैं, अतएव मैंने उन्हें उनके स्थान से ही शपथ ग्रहण करने की अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने आपसे हाथ मिलाना है।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा बाद में उनके ठीक हो जाने पर करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपकी तरफ से उनके साथ हाथ मिला सकता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस सभा को हाथ मिलाने का अवसर देखने से वंचित होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : वे वहीं से ऐसा कर रहे हैं, अध्यक्ष अपने कक्ष में भी शपथ ग्रहण करवा सकता है। आपको बहुत धन्यवाद। हम किसी अन्य समय हाथ मिला लेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : Without taking your round will he be regarded full-fledged member.

Shri S. M. Banerjee : In the Hindu Society marriage is never solemnized without taking rounds.

Mr. Speaker : You are right but if the girl is not keeping well then....

Shri Hukam Chand Kachwai : The marriage is never solemnized without taking rounds.

Mr. Speaker : As per rules the bridegroom cannot leave his seat and the bride is not keeping well—thing will go on without it.

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न लेंगे।

श्री गोखिन्डे : मैं कानूनी स्थिति जानना चाहता हूं।

जब तक सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता तब तक यह ऐसा निर्वाचित उम्मीदवार होता है जिसे संसद सदस्य बनना होता है। सचिव ने उसे 18 तिथि से प्रश्न करने की अनुमति दी है। हमने 19 तिथि को शपथ ली है, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल सकता है जिसने शपथ ग्रहण नहीं की है ? मेरा अभिप्राय प्रश्न न पूछने देने से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ठीक बात है। वे पूर्वसूचना भेज सकते हैं परन्तु वे इसमें तभी भाग ले सकते हैं, जब वे शपथ ग्रहण करें अथवा प्रतिज्ञान कर लें। क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री गोखिन्डे : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : श्री तेजा सिंह—अनुपस्थित हैं, प्रथम प्रश्नकर्ता ही नहीं है।

श्री शशि भूषण, वे उपस्थित हैं। मुझे प्रसन्नता है। मैं उनको बधाई देता हूं, वे प्रश्न पूछने वाले प्रथम सदस्य होंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री

\+
***1. श्री शशि भूषण** :

श्री तेजा सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने का निर्णय, राष्ट्रमंडलीय देशों की कान्फ्रेंस द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा इस विषय की जांच कर लिये जाने से पूर्व ही कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने का जो इकतरफा निर्णय किया है, सरकार का उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस अध्ययन दल की बैठक होने से पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा ने हमारी राय में अध्ययन दल के कार्य को निरर्थक बना दिया और इसीलिए हम अध्ययन दल से अलग हो गए हैं।

सिंगापुर में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की बैठक में इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी।

भारत सरकार राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है कि दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई का विरोध करने के लिए राष्ट्रमंडल और उसके बाहर सम्मिलित रूप से क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

Shri Shashi Bhushan : May I know whether the arms supply to South Africa by Britain does not indicate that Britain wants to extend its sovereignty over Indian Ocean? Due to their policy the British Naval fleets are using Indian Ocean even in Bangla Desh. Why we are still member of British Commonwealth when Britain works against those countries in Asia which wants progress and extend its sovereignty over Indian Ocean. I want to know the action being taken by Government in this respect and whether Government will sever relation with British Commonwealth or take some other action so that they may not obstruct in the way of Bangla Desh and other countries of Asia to achieve their freedom? What is Government's policy in this respect?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कुछ असंगत हो गया है। आप केवल एकपक्षीय निर्णय के बारे में तथ्यपूर्ण जानकारी पूछ सकते हैं।

Shri Shashi Bhushan : Britain is doing so inorder to extend their sovereignty over Indian Ocean.

अध्यक्ष महोदय : यह दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई करने के बारे में है।

Shri Shashi Bhushan : Britain is supplying arms to South Africa to extend its sovereignty over Indian Ocean. Why we do not sever our relation with Commonwealth.

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक ब्रिटेन तथा अन्य देश द्वारा हिंद महासागर पर किसी अड्डे को बनाने या विद्यमान होने की बात है, हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है तथा वह प्रस्ताव लुसाका में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। हम हिंद महासागर में किसी भी विदेशी अड्डे के होने के पूर्णतया विरोधी हैं। यह नीति जारी है, हमारे विचार से दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई बहुत ही आपत्तिजनक है। यह न केवल हिंद महासागर में ब्रिटेन की उपस्थिति को बल देता है, अपितु यह ऐसे राज्य को भी राजनीतिक तथा सैनिक रूप से दृढ़ बनाने में सहायता देता हैं जो कि रंगभेद की शर्मनाक नीति पर चल रहा है तथा ऐसी सरकार भी, जिसने रोडेशिया में जातिवाद पर आधारित शासन को मजबूत बनाया है, अफ्रीका के दक्षिणी भागों में पुर्तगाली उपनिवेशवाद को सहायता दे रही है। इन सब कारणों से हम ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई करने के पूर्णतया विरोधी हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन की सरकार ने स्पष्ट तौर पर इस बात से इन्कार कर दिया है कि वे मालदीव के टापुओं में पाकिस्तान को सुविधाएं दे रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इससे इन्कार कर दिया है, हमारे पास इससे भिन्न कोई सूचना नहीं है।

इस मामले पर राष्ट्रमंडल छोड़ने के प्रश्न पर हमारा विचार है कि बिना उनसे सलाह-मशविरा किये इस आशय का निर्णय लेना न हमारे हित में होगा और न अफ्रीकी-एशियाई तथा राष्ट्रमंडल के कैरीबियन देशों के सदस्यों के हित में होगा।

श्री भागवत झा आजाद : क्या अध्ययन दल त्यागने की सूचना देने के उपरांत भारत से दल में पुनः आने का अनुरोध किया गया था। क्या सरकार का विचार इस पर कायम रहने का है तथा न केवल कायम रहने, अपितु अध्ययन दल के अन्य सदस्यों से इस समिति को छोड़ने का है?

श्री स्वर्ण सिंह : अध्ययन दल में पुनः आने के बारे में हमसे अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने

के लिए सीधे तौर पर कोई अनुरोध नहीं किया गया है । अध्ययन दल के कुछ अन्य सदस्य देशों ने अध्ययन दल में भाग न लेने का विचार प्रकट किया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि भारत राष्ट्रमंडल के अध्ययन दल से अलग हो गया है । चूंकि संपूर्ण विश्व के प्रगतिशील जनता तथा देशों के विरोधों के बावजूद ब्रिटेन की सरकार निरंतन शस्त्रास्त्रों की सप्लाई कर रही है तो मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले पर राष्ट्रमंडल से अलग हो जाने का निर्णय कर लिया है अथवा उनको अल्टीमेटम देगी कि वे राष्ट्रमंडल से अलग हो जाएंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

देश के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

*5. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों में देश के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का देश के दक्षिण-पूर्वीय क्षेत्र का उल्लेख आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वीय भाग, बिहार का दक्षिणीय भाग, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी-पश्चिमी भाग से निर्देशित है ।

पिछले तीन वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इन क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज अन्वेषण किए हैं । इन अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, सुकिन्दा क्षेत्र में निकल अयस्क के लगभग 106 लाख टन, उड़ीसा में सार्गीपल्ली में सीसा-जस्ता अयस्क के 47.4 लाख टन ; बिहार के सिंघभूम जिले में राखा खानों-रोअम-सिधेस्वर पट्टी में ताम्र अयस्क के 640 लाख टन; आंध्र प्रदेश के नालाकुण्डा और दुकुन्द्रा खण्डों में अग्निगुण्डाला पट्टी में 50 लाख टन ताम्र अयस्क की उपलभ्य राशियां प्रमाणित की गई हैं । बाक्साइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, मध्य प्रदेश में कोयला ; पश्चिम बंगाल में मिट्टियों और कोयला, ग्रेफाइट, बिहार में केनाइट और कोयला, सीसा अयस्क, मैंगनीज अयस्क और उड़ीसा में क्रोमाइट और आंध्र प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, सीसा-जस्ता के पर्याप्त निक्षेप भी पाए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और बिहार के चयित क्षेत्रों में हवाई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए । अभी तक के भूतल मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप, बिहार के सिंघभूम जिले में बहारागोरा क्षेत्र में ताम्र खनिजीकरण का एक क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के वेंकटयापालेम क्षेत्र में सीसा और जस्ता के खनिजीकृत भाग का भी पता चला है ।

Shri Ishaq Sambhali : Mr. Speaker, Sir, my question was quite simple. I would like to put question about Orissa, which is considered as a backward State by the Government. May I know whether Government has made efforts to find out the minerals available and in what quantity ? Would the Hon. Minister be pleased to state as to how many surveys have been conducted and how much exploited minerals were taken to market ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Mr. Speaker, Sir, in Sukinda area of Orissa 10.7 Million tons nickle ore has been exploited out of which 1 percent is Nickel. Similarly in Sargipalli reserve of 4.74 million tons of lead-zinc ore has been estabilshed out of which 6.08 percent is lead-zinc.

Shri Ishaq Sambhali : I would like to know whether it is a fact that in Orissa, South Bihar, Andhra Pradesh and some areas of Madhya Pradesh come with in the range of mineral deposits and we have been informed that the mineral deposit found in the area, which is demarcated for that is much more than that which has been exploited so far from the business point of view ? Whether it is also a fact that Government have 9 proposals to exploit the mineral which has not been exploited so far ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : During Survey period several minerals have been found in Bihar and Andhra Pradesh. I would like to inform him that copper has been found in Rakha mines in Bihar. Deposit of coal has been located in Jharia, East Bokaro, West Bokaro, Ramgarh, North Karan Pura, Doltonganj and Panda Valley. Deposits of flex grade and non flex grade of limestone have been located in Tenedi and Bichhua. Copper has been located in Baleaghat district.

श्री जगन्नाथ राव : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने किस विचार को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा राज्य सरकार अथवा उड़ीसा खनिज विकास निगम को शीशा तथा निकल निक्षेपों को विकसित करने की अनुमति दी है ? राखा तांबा परियोजना की क्या स्थिति है ? क्या इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जहां तक राखा तांबा परियोजना का सम्बन्ध है, हमें इस सम्बन्ध में सभी कागजात प्राप्त हो चुके हैं और मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है और सम्भवत: शीघ्र ही हम राखा खान की खुदाई का कार्य शुरू कर देंगे। जहां तक उड़ीसा खनिज विकास निगम का सम्बन्ध है, जैसे ही हमें उनसे आवेदन पत्र प्राप्त होगा, मामले पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त निर्णय किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पुराने साथी प्रश्न पूछने की कला को भूले नहीं हैं।

श्री भागवत झा आजाद : हमने उस कला को और भी परिष्कृत बना लिया है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) **:** It has been experienced that persons who take mines on lease, stop their mining work after exploiting a meagre quantity of mineral and as a result of that Government has to suffer loss. I would like to know whether Government has any arrangement by which they should be asked to adopt a method of exploiting maximum raw material so that Government may also be benefited ? Besides, there are certain hills in Morena district where glass-stone is found. Will the Hon. Minister conduct any survey there ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : First question is regarding the method of exploiting maximum raw material. In this regard concerned persons can consult I. B. M. If the Hon. Member gives a separate notice of a question regarding Morena, that will be replied to.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य से पता लगता है कि सुकिन्दा क्षेत्र में 106 लाख टन निकल अयस्क प्राप्त हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय यह दुर्लभ वस्तु है और निकल सप्लाई की उपलब्धि बहुत ही कठिन है और यदि हम सप्लाई की स्थिति में होते भी हैं तो हमें नियत मूल्यों पर सप्लाई करनी पड़ती है, क्या सरकार खदानों के लिए तथा सुकिन्डा में प्राप्त निकल अयस्क को परिस्कृत करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता परियोजना तैयार करने का विचार कर रही है, और यदि हां ; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सरकार ने सुकिन्दा खान से खुदाई का काम पहले ही शुरू कर दिया है। एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और जैसे ही प्रतिवेदन मिल जाएगा, काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री सी० चित्तिबाबू : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य में खनिज की खुदाई के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह प्रश्न देश के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित है। तमिलनाडु के सम्बन्ध में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सी० चित्तिबाबू : मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री द्वारा ही दिया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

पाकिस्तान के सैनिकों का भारत के क्षेत्र से होकर जाना

*7. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उसके सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से विमान द्वारा अथवा जमीन के रास्ते से गुजरने की अनुमति अथवा इस कार्य में सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राधाकृष्णन : अभी तक प्राप्त समाचारों से इस बात की पुष्टि होती है कि लाखों सैनिक बंगला देश भेजे गए हैं। निश्चित है कि ये सैनिक या तो समुद्र के जरिए गए हैं अथवा वायुयानों द्वारा भारतीय क्षेत्र से गुजरे हैं। क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को विरोध पत्र भेजने अथवा उनसे यह कहने कि वह लंका और चीन को कहे कि वे देश सैनिकों को यातायात सुविधाएं प्रदान न करें, कोई कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न सैनिकों को भारत से होकर जाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में था। माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे चके हैं।

डा० रानेन सेन : यद्यपि मेरा प्रश्न चर्चित प्रश्न की परिधि में नहीं आता है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लंका तथा वर्मा सरकार से यह अनुरोध करने को तैयार है कि वे अपने क्षेत्र से सैनिक, हथियार अथवा गोला-बारूद न जाने दें ?

अध्यक्ष महोदय : जिस माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न किया था, उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा था और मैंने प्रश्न को स्वीकृत नहीं किया था।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब इस प्रश्न की सूचना दी गई थी, उस समय बंगला देश की स्थिति वर्तमान स्थिति से भिन्न थी। लेकिन अब पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति बदल चुकी है। इसलिए प्रश्न भी उसी के अनुरूप पूछा गया है। मुझे आशा है कि अध्यक्ष महोदय हमें उन अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति देंगे जो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते क्योंकि प्रश्न यह है कि क्या सरकार को पाकिस्तान से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ कि उसके सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से विमान द्वारा अथवा जमीन के रास्ते से गुजरने के सम्बन्ध में अनुमति अथवा सहायता दी जाए।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र को छोड़कर सैनिक हथियारों और सैनिकों को भेज रहा है और प्राप्त समाचार के अनुसार वे लंका से समुद्र द्वारा सेना और हथियार भेज रहे हैं। कभी कभी वे लंका में नहीं ठहरते। वे सैनिक साज-सामान और सैनिक अधिकारी समुद्र तथा वायुयानों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान भेज रहे हैं।

डा० रानेन सेन : क्या भारतीय सरकार लंका तथा वर्मा सरकार को अनुरोध करेगी...

अध्यक्ष महोदय : आप विषय से हटकर बोल रहे हैं।

आयुध कारखानों के महानिदेशालय के एक भाग का कलकत्ता से कानपुर को स्थानान्तरण

*9. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के महानिदेशालय के ओ० ई० एफ० ग्रुप नामक एक भाग का कलकत्ता से कानपुर को स्थानान्तरण न ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है और न ही उपयोगी ;

(ख) क्या लेखा परीक्षा अधिकारियों ने इस पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस सारे विषय पर फिर से विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य (प्रतिरक्षा उत्पादन) मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ओ० ई० एफ० हेडक्वार्टर को कलकत्ता से कानपुर ले जाने का कार्य अभी पूरा होना है। अतः मुख्यालय के स्थानान्तरण का किफायती अथवा लाभप्रद सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी नहीं। तथापि, लेखा परीक्षा ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या ओ० ई० एफ० ग्रुप के कलकत्ता में कार्यालय आवास में बने रहने के तथ्य को देखते हुए ओ० ई० एफ० ग्रुप हेडक्वार्टर के लिए कानपुर में भी आवास किराये पर लेना व्यर्थ खर्च करना न समझा जाय।

(ख) जी नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस समय आयुध कारखाने के महानिदेशालय कार्यालय को कलकत्ता में 44 हजार रुपये किराये के रूप में देने पड़ रहे हैं। कानपुर में स्थापित कार्यालय के एक भाग को प्रतिमाह 6000 रुपया किराया देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर कार्यालय से किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। कार्यालय के दो हिस्सों में बंट जाने के बाद काम कम हो गया है और मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है कि वे काम को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित कार्यालय का कोई भी कर्मचारी कानपुर नहीं जाना चाहता है। उन्हें स्वेच्छा से

कानपुर जाने को कहा गया है परन्तु कोई भी कानपुर जाने को तैयार नहीं है। क्या दो जगह कार्यालय का होना फिजूलखर्ची नहीं है और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : आयुध कारखानों का महानिदेशक सारे कारखानों पर नियन्त्रण रखता है। अत: यह निर्णय किया गया कि कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए चमड़े तथा कपड़े के पांच कारखानों को, जिनमें दो कारखाने कानपुर में स्थित हैं, एक ही जगह इकट्ठे कर दिये जाएं। यह विशिष्ट उद्योग-समूह अलग कर दिया गया है और आयुध कारखानों का वह भाग अतिरिक्त महानिदेशक के नियन्त्रण में रखा गया है और अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यालय कानपुर में स्थापित किया जाना है। कलकत्ता स्थित कार्यालय में 1220 कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से केवल 170 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाना है। 30 कर्मचारियों ने स्वेच्छा से कानपुर जाना स्वीकार कर लिया है। इस समय हमने अन्य आयुध कारखानों को कहा है कि वे कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल कानपुर भेजें। उनको 15 प्रतिशत वेतन अधिक दिया जाएगा। अत: कार्यहित में तथा कुशलता को बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था।

श्री एस० एम० बनर्जी: ऐसा उस समय किया गया था जब क्षेत्रीय निदेशक नहीं थे। आज आयुध कारखानें कई क्षेत्रों में बंट गए हैं और कानपुर में एक क्षेत्रीय निदेशक है जो कानपुर के दो कारखानों और शाजापुर के एक कारखाने सहित विशिष्ट क्षेत्र पर अपना नियन्त्रण रखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निदेशक को नियुक्त करने का क्या लाभ है? क्या यह दोहरा कार्य नहीं है ? क्या मैं जान सकता हूं कि अर्थव्यवस्था और देश के हित में दोहरे कार्य से बचने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : क्षेत्रीय निदेशक की नियुक्ति आयुध कारखाने के महानिदेशक के कार्य का विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से की गई है, परन्तु चमड़े और कपड़े के कारखानों का कार्य भिन्न प्रकार का होता है और इसीलिए यह निर्णय किया गया है कि यह कार्य अतिरिक्त महानिदेशक के नियन्त्रण में होना चाहिए क्योंकि विविधता की अत्यधिक आवश्यकता है।

Constitution of Study Team for Research of Cancer Disease

*10. **Shri R. P. Yadav:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have constituted and Study Team for the research of Cancer disease with the co-operation of all concerned ; and

(b) if so, the composition of the said team and the time by which its report would be submitted ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कैन्सर के अनुसंधान संबंधी कार्यों में समन्वय के लिये योजना आयोग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय की सलाह

से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने सितम्बर 1969 में एक परामर्श समिति का गठन किया था।

समिति का गठन इस प्रकार किया गया है :—

(1)	प्रोफेसर एन० वाही, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्।	—	अध्यक्ष
(2)	डा० ए० आर० गोपाल आयंगर, निदेशक, जीव-चिकित्सा वर्ग, भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।	—	सदस्य
(3)	प्रोफेसर पी० के० हल्दर, विकरण विज्ञान के प्राध्यापक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	—	सदस्य
(4)	डा० बी० जे० जस्सावाला, अवैतनिक सचिव, भारतीय केन्सर सोसाइटी, बम्बई।	—	सदस्य
(5)	डा० एस० कृष्ण मूर्ति, निदेशक, केन्सर संस्थान, मद्रास।	—	सदस्य
(6)	प्रोफेसर ऊषा के० लूथरा, केन्सर अनुसंधान एकक, रोगविज्ञान विभाग, एस० एम० मेडिकल कालेज, आगरा।	—	सदस्य
(7)	डा० सन्तोष मिश्र, निदेशक, चित्तरंजन राष्ट्रीय केन्सर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता।	—	सदस्य
(8)	डा० जे० सी० पेयास्टर, निदेशक, टाटा स्मारक केन्द्र, बम्बई।	—	सदस्य
(9)	डा० जे० बी० श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, नई दिल्ली।	—	सदस्य

समिति सम्भवतया सितम्बर, 1972 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सरकार किसी विदेशी अध्ययन दल से कोई सहायता ले रही है? गैर-सरकारी लोगों द्वारा कितने कैंसर संस्थान चलाये जाते हैं और क्या सरकार तथा ऐसी संस्थाओं में कोई सहयोग है?

श्री ए० के० किस्कु : प्रश्न के कुछ भाग इस विशेष प्रश्न के बाहर हैं। प्रश्न के अन्तिम भाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कैंसर के इलाज के लिये अनुसंधान समन्वित करने में हमारी सरकार विदेशों में कुछ विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है।

श्री चित्तिबाबू : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कांजीवरम में एक कैंसर संस्था है तथा क्या समिति उस पर भी विचार करेगी ?

श्री ए० के० किस्कु : इस बात की हमें सूचना नहीं है परन्तु हम उसका ध्यान रखेंगे ।

श्री चित्तिबाबू : यह एशिया में सबसे बड़ी संस्था है । वहां एक अस्पताल भी है । मुझे खेद है कि मंत्री महोदय को उसकी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न करते समय प्रश्न के क्षेत्र का ध्यान रखें । यह अध्ययन दल के बारे में है ।

श्री चित्तिबाबू : क्या वह उस अस्पताल के लिये दल भेजेंगे अथवा नहीं ?

श्री ए० के० किस्कु : जी, नहीं ; मैंने कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कलकत्ता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान भी इसमें शामिल किया जायेगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री ए० के० किस्कु : भारत सरकार ने देश के सभी विद्यमान कैंसर संस्थानों से परामर्श करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है और चितरंजन संस्थान भी उनमें से एक है ।

Shri Jharkhande Rai : Will this study Team also be sent to certain important Ayurvedic Research Centres, particularly in Gujarat and Hyderabad where a good deal of research has been conducted ? They claim that cancer which has not been cured so far by any therapy of Allopathy can now be cured and the drugs prepared by them prove curative. Is there any programme of sending this Study Team to such places or not ?

श्री ए० के० किस्कु : भारत सरकार निश्चय ही कैंसर के इलाज के लिए देशी प्रणालियों को प्रोत्साहन देगी जिन में विशेषकर आयुर्वेद भी है और मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि अध्ययन दल उस पर भी विचार करेगा ।

Shri K. N. Tiwari : May I know when this expert team was appointed and has it submitted any report or not ? If not, the time by which it is likely to be submitted ? Secondly, is there any relief given to the poor persons suffering from this disease by the Government ? Have the Government made any arrangement for that ?

Mr. Speaker : The scope of this question is about the team of cancer. You have gone beyond the scope.

डा० वी० के० आर० वी० राव० : कांचीपुरम मेरा जन्म स्थान है और वहां एक कैंसर संस्थान भी है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या नियुक्त किया गया अध्ययन दल वाकई अपने अध्ययन में इस विशेष संस्थान को शामिल करके वहां पर जो कुछ हो रहा है, उसकी जांच करेगा और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय उसके बारे में भी सूचना देगा ?

श्री ए० के० किस्कु : कांचीपुरम के किसी कैंसर संस्थान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि यह अध्ययन दल अपने अनुसंधान के निष्कर्ष के समय निश्चय ही इस संस्थान से भी परामर्श लेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि लम्बे संघर्ष के पश्चात् सरकार ने औषधि की देशी प्रणाली और होम्योपैथी को मान्यता दी है और सरकार ने हाल ही में औषधि की देशी प्रणाली के लिए परिषद् स्थापित करने के लिये कानून बनाया है ? अतः क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति में आयुर्वेद तथा होम्योपैथी को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था ।

श्री ए० के० किस्कु : माननीय सदस्य ने जिस ओर इशारा किया है, उस पर मैं ध्यान रखूंगा और जब मुझे इसकी जानकारी मिल जायेगी तब उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

चिलका झील (उड़ीसा) में नौसेना प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

*11. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिलका झील पर एक नौसेना प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के संबंध में कोई और प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य (प्रतिरक्षा उत्पादन) मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) परियोजना 1970-76 के अन्दर पूरी की जानी है। भूमि के अर्जन के लिए संस्वीकृति दे दी गई है। सामान को इकट्ठा करने, स्थान को साफ करने तथा निर्माण अमला के वास के लिए भी संस्वीकृत प्रदान कर दी गई है। मिलिटरी इन्जीनियरिंग सर्विस के द्वारा नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उन्हें परियोजना के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय के ऐसा कहने पर उनका आभारी हूं कि परियोजना का कार्य चालू है, परन्तु मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहूंगा। दो ऐसे गांव हैं जो इस सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के अन्तर्गत आते हैं और क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि इस कार्यवाही से इन दो गांवों पर जो प्रभाव पड़ने वाला है और जिन ग्रामीणों को अपने स्थान खाली करने पड़ेंगे, उन्हें क्या उचित आवास तथा भूमि तथा मुआवजा दिया जायेगा ताकि इस कारण उन्हें हानि न उठानी पड़े ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक भूमि का प्रश्न है, हमने पहले से ही भूमि के अधिग्रहण की संस्वीकृति दे दी है परन्तु इसमें दो कठिनाइयां हैं। एक तो यह है कि राज्य सरकार ने भूमि के मूल्य निर्धारण करने में 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक बढ़ाते हुये परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है। दूसरी कठिनाई यह है कि सेना की आवश्यकताओं में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और उससे भूमि का मूल्य और बढ़ गया है। जहां तक गांवों का प्रश्न है, यदि उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो ग्रामीणों को उचित मुआवजा देना होगा यह भी देखना होगा कि राज्य सरकार उन्हें पुनः ठीक ढंग से बसाती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि परियोजना को गतवर्ष आरम्भ किया जाना था परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां थीं ? क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तव में सही कार्य इसी वर्ष से प्रारम्भ किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों ने अधिक मांग की है।

श्री पी० सी० सेठी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, राज्य सरकार ने पहले से ही भूमि का मूल्य 5 लाख रुपये रख रखा है। अब उसने इसे 15 लाख रुपये कर दिया है। हम भूमि के मामले में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। अतः उसका मूल्य 24 लाख रुपये तक और बढ़ सकता है। यह पूरी लागत है और कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि सावधानी के अभाव के कारण चिलका में गार जम रही है और जब तक सरकार इसे तुरन्त ठीक ढंग से साफ नहीं करवाती है तब तक इस नौसैनिक स्थल अथवा नौसैनिक प्रशिक्षण स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चूंकि चिलका में अत्यधिक गार जमा हो रही है अतः जब तक इसकी पूरी तरह से सफाई नहीं की जाती है, तब तक जहाजों के लिये यह पर्याप्त गहरी नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संस्थान के बारे में है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब तक चिलका पर्याप्तरूप से गहरी नहीं होगी, तब तक उसमें नौसैनिक बेड़े कैसे जा सकते हैं ? यह संगत बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, यह संगत नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापार

*14. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को सामान्य बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार की यही नीति है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयत्न किया जाये जिसमें व्यापार सम्बन्ध फिर कायम करना भी शामिल है । किन्तु, हमारी पहल का पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार यह बतायेगी कि मुक्त यात्रा, व्यापार तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुनिश्चित करने के लिये हम बंगला देश की अस्थायी सरकार को मान्यता और ठोस सहायता देंगे ? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे खेद है, मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न व्यापार से सम्बन्धित है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक ज्वलंत विषय है । सरदार स्वर्णसिंह एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं । वे अपने विचार निर्भयता से व्यक्त कर सकते हैं । वे सरकार की नीति स्पष्ट कर सकते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समय यह प्रश्न न पूछें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने बंगला देश और मेघालय के साथ आंशिकरूप से व्यापार सम्बन्ध क्यों स्थापित किया है ? हफ्ते में चार दिन हवाई जहाज द्वारा मेघालय से चूने का पत्थर लाया जा रहा है, अतः बंगला देश तथा भारत के अन्य सीमावर्ती प्रदेशों के साथ वे सामान्य व्यापार सम्बन्ध स्थापित क्यों नहीं करते ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं स्थिति को स्पष्ट करूंगा । हमेशा हमारा रवैया पाकिस्तान, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान भी आता है, के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने का है । मगर पाकिस्तान सरकार व्यापार सम्बन्ध को सामान्य स्तर पर लाने के विरुद्ध रही है । अतः मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का इस मामले के साथ क्या सम्बन्ध है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेघालय की सीमा पर भारत और बंगला देश के बीच व्यापार चलता है । हफ्ते में चार दिन सीमा पर से चूने का पत्थर लाने के लिये हवाई जहाज का उपयोग किया

जाता है। जब देश के एक भाग में आप व्यापार चलाने की अनुमति देते हैं और दूसरे भाग में क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न का जवाब दे चुके हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य इस समस्या से भली भांति परिचित हैं। अगर हम मेघालय या किसी अन्य स्थान में चूने का पत्थर बेच सकते हैं, तो हमें सन्तोष ही होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सीमेंट भी क्यों नहीं बेचा जा सकता ?

श्री स्वर्ण सिंह : कोई भी चीज बेचने को हम तैयार हैं। उसमें हम बाधा नहीं डालेंगे। अतः वे यह नहीं कह सकते कि "अगर सरकार देश के एक हिस्से में इस प्रकार के व्यापार की अनुमति देती है, तो दूसरे भाग में भी क्यों नहीं देती।" जिस देश के साथ व्यापार किया जाता है, वहां कठिनाइयां हो रही हैं। हमें इसको उचित रूप से समझना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री महोदय हमें विश्वास दिलायें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री पाकिस्तान के साथ सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय एक विभिन्न परिस्थिति पैदा हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नई सरकार के साथ पुराना व्यापारिक सम्बन्ध कायम रखा जायेगा या वे जनरल याह्याखां के आदेश की प्रतीक्षा करते रहेंगे। समाचार पत्रों के अनुसार पता नहीं कहां तक ठीक है, मंत्री महोदय मुझसे ज्यादा जानते हैं—वहां एक अस्थायी सरकार है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि बंगला देश के साथ हमारा किस प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध होगा। क्या यह सम्बन्ध जनरल याह्याखां के आदेश पर या नये सैनिक प्रशासक के आदेश पर या पूर्वी पाकिस्तान की अस्थाई सरकार के आदेश पर होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं अपनी बात को दुहराना चाहता हूँ कि हम सरकारी स्तर पर या गैर-सरकारी स्तर पर या किसी भी स्तर पर व्यापार चलाने के विरुद्ध नहीं हैं। अतः किसी भी अवसर पर व्यापार संबंध पुनः चालू करने का प्रयत्न किया जाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे।

एस० एम० बनर्जी : श्रीमान्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह प्रश्न अशोभनीय है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न पेचीदा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्रहमान और वहां की जनता द्वारा मेजर शिया खां के नेतृत्व में एक सरकार की स्थापना की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पुराना व्यापारिक संबंध कायम रखेगी और जनरल याह्या खां की साम्राज्यवादी सरकार की नीति के अनुसरण में काम करेगी। मैं इसका सही जवाब चाहता हूँ। हम चाहते है कि बंगला देश के साथ सामान्य स्तर पर संबंध कायम किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप के प्रश्न का संबंध पाकिस्तान सरकार से है। मुख्य विषय से इसका क्या संबंध है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न की सूचना 16 मार्च को दी गई थी।

भारतीय प्रदेश से पाकिस्तान के सैनिक तथा असैनिक विमानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध

*15. **डा० कर्णी सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रदेश पर से पाकिस्तान के सैनिक तथा असैनिक विमानों की उड़ानों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिये सरकार ने यह स्पष्ट शर्तें रखी थीं कि इन्डियन एयर लाइन्स के विमान का हाल ही में अपहरण करके लाहौर ले जाने तथा वहां उसको नष्ट करने वाले दोनों विमान अपहरणकर्ता भारत को सौंप दिये जायेंगे ;

(ख) क्या भारत अब इस मामले में पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित जांच पर राजी हो गया है और अब उन दोनों अपहरण कर्ताओं की वापिसी पर जोर नहीं दे रहा है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो इस मामले में सरकार के रुख में इतना बड़ा परिवर्तन आने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हमारे विमान को नष्ट करने के विरुद्ध हमारे विरोध तथा हमारी मांगों को चूंकि पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए पाकिस्तानी सैनिक तथा असैनिक विमानों को भारत होकर उड़ानों पर प्रतिबन्ध अभी जारी है । यदि पाकिस्तान भारत की क्षति की पूर्ति कर दे और दोनों अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करे तथा भविष्य के लिए आश्वासन दे तो स्थिति पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

(ख) जांच करने के बारे में पाकिस्तान ने हमारी सहमति नहीं मांगी और इसलिए हमारी सहमति का प्रश्न नहीं उठता । हम अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाय ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० कर्णी सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्पष्ट आश्वासन देगी कि पाकिस्तान सरकार को भारत के ऊपर से विमान उड़ाने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक क्षतिपूर्ति नहीं की जाती और अपहरणकर्ताओं को वापस न दिया जाता तथा बंगला देश में जो झगड़ा चल रहा है, उस पर हमारा रवैया सुदृढ़ रहेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं । पूर्वी पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है, उससे पहले किये गये निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की बात पर बहुत अधिक सावधानी से ही विचार किया जा सकता है । हमने पहले जो निर्णय किया है, उस पर अटल रहते हैं । उसको बदलने का कोई इरादा नहीं है ।

डा० कर्णी सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विमानापहरण और उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लिए गये कुछ कदमों से विमान यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है । मेरे पास कई रिपोर्टें आ रही हैं जिनमें कहा गया है कि विमान द्वारा यात्रा करने वाले भारत के नागरिकों को कभी-कभी यह स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि उनकी घड़ी और कैमरा वगैरह कहां से खरीदी गई हैं । सरकार के पास इस प्रकार की परेशानी खतम करने और साथ ही साथ विमानापहरण को रोकने के लिए क्या सुझाव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ यात्रियों को असुविधाएं हुई होंगी। मगर यह नहीं कहा जा सकता कि हर व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि वे सुरक्षा उपायों में सहयोग दें जो न केवल उनकी, बल्कि उस विमान की सुरक्षा के लिए भी किये जा रहे हैं जिसमें वे यात्रा करते हैं।

डा० कर्णी सिंह : आन्तरिक यात्राओं में व्यक्ति के सामान की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा साधारणतया जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वर्ण सिंह : आन्तरिक यात्रा में यात्रियों की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने का सवाल ही नहीं उठता। सुरक्षा अधिकारियों को यह जांच करनी पड़ेगी कि यात्रियों के पास कोई हथियार या कोई आपत्तिजनक चीज है या नहीं।

डा० कर्णी सिंह : मैं कैमरा, घड़ी आदि के बारे में कह रहा हूं जो यात्री साधारणतः अपने साथ ले जाते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : इसका विस्तृत विवरण असैनिक उड्डयन मंत्री बता सकेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या इस घटना के होने के बाद किसी विदेश राष्ट्र द्वारा मध्यस्थता का प्रयत्न हुआ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मध्यस्थता का कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। मगर कई विदेश सरकारों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रभाव डालने की अपनी तैयारी व्यक्त कर दी। हमने इस विषय में अपना रवैया स्पष्ट कर दिया कि हम इस मामले को आपस में बातचीत करके सुलझा देंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या आप कृपया बता सकेंगे कि किन-किन देशों ने इस विषय में अपना प्रभाव डालने की तैयारी की ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय देशों के नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री के० नारायण राव : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विमानापहरण को रोकने की कोई अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा है और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने उस परम्परा के अन्तर्गत इस समस्या के समाधान का प्रयत्न किया है।

श्री स्वर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विमानापहरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का समझौता किया गया था। मेरे विचार से पाकिस्तान ने भी उसमें हस्ताक्षर किया है। इस खास मामले में हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार की मदद लें। हम आपस में अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से इस समस्या को सुलझा सकते हैं।

Shri Jharkhande Rai : After the incident in Bangla Desh, has the Pakistan Government requested the Government of India that the ban on overflights be lifted, and if so, what reply the Government has given to them ?

Shri Swaran Singh : Reply for the first part of the question is in the negative and as far as the second part is concerned, the question does not arise.

श्री सी० चित्ति बाबू : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार ने कितनी राशि मांगी है।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने राशि निश्चित नहीं की है : हमने उनसे कहा है कि वे सिद्धान्ततः यह स्वीकार करें कि क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायित्व उनका है।

श्री शमीम अहमद : कुछ समाचार-पत्रों में यह समाचार आया है कि असली विमान पाकिस्तान में बिना किसी क्षति के रखा हुआ है और जो विमान जलाया गया था, वह नकली था। क्या माननीय मंत्री अपने खुफिया विभाग की सहायता से सत्य का पता लगायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह मैं पहली बार सुन रहा हूं। मगर माननीय सदस्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ पता लगायेंगे, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल में यह पहला अवसर है, जब कार्यसूची समाप्त हुई हो। प्रथम दिन ही हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

बम्बई में वायु का दूषित होना

*6. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई (उत्तर) शहर के उत्तरी क्षेत्र में, जहां अनेक पेट्रोलियम, पेट्रो-रसायनिक तथा रसायन-निर्माण कारखाने स्थित हैं, लोगों को वायु-दूषण के खतरे से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) इन दूषित तथा हानिकारक गैसों के बनने तथा बम्बई शहर के उत्तरी भाग में वातावरण में इनकी बदबू छा जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बम्बई शहर के उत्तरी भाग में स्थित भारतीय उर्वरक निगम के संयंत्र द्वारा उत्पन्न होने वाले वायु दूषण की समस्या का केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा अध्ययन किया गया। उक्त संस्थान की सिफारिशों के अनुसार संयंत्र के प्राधिकारी इस अपदूषण के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। बम्बई नगर निगम ने भी इस संस्थान को वृहत्तर बम्बई की वायु-दूषण समस्या का अध्ययन करने तथा इसके निराकरण के उपाय बताने के लिए अनुरोध किया है ताकि इस प्रकार का अपदूषण करने वाली फैक्टरियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

भारत सरकार ने भी देश में वायु दूषण की आम समस्या का अध्ययन करने तथा उसके नियंत्रण के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने के साथ-साथ तौर तरीके सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। आशा है कि यह समिति कानून का प्रारूप शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

(ख) औद्योगिक कार्यकलाप की वृद्धि तथा तेजी से नगरीकरण के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्सर्जन एवं यातायात, ताप इत्यादि से सम्बद्ध कतिपय मानवीय कार्यकलापों के कारण विषाक्त एवं हानिकर गैस तथा अन्य प्रकार के दूषण उत्पन्न होते हैं, जो वायु की शुद्धता को दूषित कर देते हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : जो उत्तर दिया गया है, उससे यह अनुपूरक प्रश्न पैदा होता है कि औद्योगिक नगरों में वायुदूषण के खतरे को रोकने के लिये कोई स्थाई समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही नहीं की है। प्रश्न यह है कि बम्बई में हाल ही में 16 तारीख को वायुदूषण हुआ। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच समिति अथवा स्थायी समिति नियुक्त करके वायुदूषण रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जायगी ? क्या अन्य दूसरे औद्योगिक रूप से विकसित अन्य देशों में इस प्रकार की समितियों की स्थापना के विषय में भी सरकार विचार कर रही है।

श्री ए० के० किस्कु : सरकार बम्बई के अतिरिक्त देश के अन्य दूसरे बड़े नगरों में वायुदूषण के विषय से परिचित हैं। सरकार ने इस विषय को लेकर एक समिति नियुक्त की है। समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वायुदूषण का खतरा अभी भी बना हुआ है। पता नहीं ऐसा किस दिन हो जाय।

श्री पीलु मोडी : यह स्वास्थ्य का मामला है।

श्री ए० के० किस्कु : जी, हां। सरकार स्वास्थ्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से अवगत है। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा अध्ययन किया गया है और सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है जो इस वर्ष जून तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

डा० कैलाश : समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री ए० के० किस्कु : समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

डा० एम० एन० राव	(अध्यक्ष)
श्री ए० के० राय	(सदस्य)
डा० एम० एन० गुप्ता	,,
श्री वी० वी० श्रीवेकार	,,
डा० जे० के० सिन्हा	,,
डा० एस० एस० रामास्वामी	,,
डा० एस० के० सुधाकर	,,
श्री टी० दुराईराज	,,
श्री जे० एम० दवे	सदस्य—सचिव

Shri Ram Chandra Vikal : Will the Minister tell us the date on which the Committee was appointed and the reason as to why the report has not been submitted so far what is the difficulty in that ?

श्री ए० के० किस्कु : जैसा कि मैं बता चुका हूं कि समिति मई, 1970 में बनाई गयी थी और इसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है, सभव है जून, 1971 के अन्त तक प्राप्त हो जाय।

Assurance from Pakistan against Hijacking

***12. Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have demanded from Pakistan compensation for the hijacking of Indian Airlines Aeroplane to Pakistan and its subsequent destruction there and an assurance for not repeating such occurrences in future ; and

(b) if so, the reaction of Pakistan thereto ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जी हां ।

(ख) पाकिस्तान ने अभी तक इन मांगों को स्वीकार नहीं किया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In view of Pakistan denial to accept our demands, whether the Government propose to take any further action or the chapter is going to be closed at this stage ?

Shri Swaran Singh : The flights of Pakistani aircrafts through Indian territory have been banned. We want this state of affair be continued.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would like to know whether the Government is aware of the fact that the hijackers of Indian plane had already informed Pakistani authorities about their move ? Is it also a fact that the Government of Pakistan could have protected our aeroplane, had there been such an intention in their minds, but they did not do so ? I would also like to know whether the Government of India has intimated Pakistan Government that the hijacking and blowing of the Indian Aeroplane has been carried not only due to inciting tendencies but with their collaboration as well. Does the Government propose to take this issue of violation of international law to some international forum ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देना चाहता हूं । भारती विमान के अपहरण में पाकिस्तान सरकार ने जो प्रोत्साहन तथा सहयोग दिया है, वह निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित होता है :—

1. पाकिस्तान सरकार ने उन अपराधियों को शरण दी, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था । यह 31 जनवरी को हुआ जबकि विमानहर्ता विमान के अन्दर थे । इससे प्रतीत होता है कि उन्हें प्रोत्साहित किया गया है ।

2. पाकिस्तान सरकार ने इन अपराधियों तथा उनके सहयोगियों के प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी सहानुभूति तथा निष्ठा प्रदर्शित की । वहां की सरकार के पास उन्हें पकड़ने की पर्याप्त शक्ति थी परन्तु ऐसा करने के स्थान पर उन्होंने दोनों विमानहर्ताओं को टेलीफोन सुविधायें प्रदान कीं, अपने संबन्धियों से मिलने दिया, उनके भोजन का प्रबन्ध किया तथा अन्य दूसरी सुविधायें उपलब्ध करायीं और उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक घूमने-फिरने तथा कार्य करने की अनुमति दी ।

3. यद्यपि वहां पर मार्शल ला लगा हुआ था, फिर भी पाकिस्तान सरकार ने अपराधियों को पकड़ने तथा उनसे हथियार छीनने का कोई प्रयत्न नहीं किया ।

4. विमान की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया बल्कि उसे हवाई अड्डे के प्राधिकारियों के सामने ही उड़ा दिया गया । नष्ट होते हुये विमान का दृश्य दिखाने के लिये तैयार रखा गया (इससे स्पष्ट है कि उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात था), हवाई अड्डे के प्राधिकारियों के सामने विमान को गोला मारकर उड़ा दिया गया, सैनिक टुकड़ियों, पुलिस तथा दमकलों में से किसी ने भी तब तक आग नहीं बुझाई, जब तक विमान पूर्णतया नष्ट न हो गया और इसके लिये यह बहाना बनाया गया कि विमानहर्ताओं ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस घटना में पाकिस्तान सरकार का भी हाथ था ।

5. इसके पश्चात् पाकिस्तान सरकार ने लाहौर में विमानहर्ताओं को अत्यधिक सम्मान प्रदान किया । विमानहर्ताओं के सम्मान में पश्चिम पाकिस्तान के कई राजनैतिक दलों ने जलूस निकाले तथा विमानहर्ताओं ने इन समारोहों में भाग लिया । करांची में भी ऐसे ही जलूस निकाले

गये। क्योंकि वहां पर मार्शल ला लगा हुआ था, अतः इन जलूसों पर प्रतिबन्ध लगाना पाकिस्तान सरकार के लिये साधारण सी बात थी।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान के सहयोग तथा उकसाने के कारण ही विमान अपहृण को प्रोत्साहन मिला और पाकिस्तान सरकार द्वारा सरकारी रूप से इसका समर्थन किया गया प्रतीत होता है। हमने यह स्थिति न केवल पाकिस्तान बल्कि संसार के अन्य देशों को भी स्पष्ट कर दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप कराने का प्रयत्न कर रहा है परन्तु हमारे विचार से यही उत्तम है कि मामला भारत तथा पाकिस्तान द्वारा आपसी वार्ता के माध्यम से निपटाया जाय।

Shri Narsingh Narain : I would like to know, whether the Government is going to conduct an enquiry to findout whether there exist some international agency behind this hijacking and blowing up episode since it happened at a time when India was busy with Elections? if so, whether the report will be placed on the Table of the House?

Shri Swaran Singh : It is clear that the hijacking took place at a time when the country was busy in elections. It was not yet been ascertained whether any international agency was working behind it.

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : पाकिस्तान ने भारत का जो अपमान किया तथा विमान अपहरण को जो प्रोत्साहन दिया है, उसको देखते हुये क्या सरकार को पाकिस्तानी वायुयानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाने के अतिरिक्त बदला लेने की और कोई कार्यवाही करेगी?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कार्यवाही बदले की भावना से नहीं की जाती है। हमने भावपूर्ण ढंग से अपने अधिकार का प्रयोग किया है। हमारा निर्णय इसी प्रकार का होना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हिंद-चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

*2. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान कनाडा के विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने हिंद-चीन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कनाडा सरकार ने इस वक्तव्य का मूल पाठ भारत सरकार को दिया था। इसमें भारत सरकार के किसी पक्षपात

का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसमें कहा गया है कि पोलैंड और भारत और अधिक कार्यवाही कर सकते थे ।

(ख) लाओस में विद्यमान परिस्थितियों में भारत सरकार जो कुछ कर सकती थी वह उसने किया है । कनाडा सरकार को तथा अन्य सम्बद्ध दलों को इसे उपयुक्त ढंग से बता दिया गया है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले की मात्रा में कमी

*3. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले की मात्रा निर्धारित लक्ष्य से 10 लाख टन कम थी ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां । चालू वर्ष के प्रथम छह मास के दौरान कोयले का वास्तविक उत्पादन 66.40 लाख टन था जब कि निगम द्वारा पूरे वर्ष के लिये 153.70 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

(ख) उत्पादन मांग को पूरा करने की दृष्टि से सीमित था, जो निम्नलिखित कारणों से कम थी :

(1) इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रक्षालित कोयले के कम अपक्रय का जारी रहना ;

(2) श्रेणी 1 के कोयला-चूर्ण के लिए पर्याप्त आदेशों का अभाव, विशिष्टतः करनपुरा क्षेत्र में ;

(3) रेलवे-हड़तालों और श्रमिक-कठिनाइयों के कारण जुलाई से सितम्बर के दौरान लम्बी कालावधि तक रेल परिवहन की भागतः अव्यवस्था के अलावा जून और जुलाई में कुछ दिनों के लिए दक्षिणी-पूर्वी रेलवे और तत्पश्चात् सितम्बर में पूर्वी रेलवे के संचलन का पूर्णतः रुक जाना ;

(4) अगस्त और सितम्बर के दौरान भारी वर्षा द्वारा बहुत सी खानों में उत्पादन को प्रभावित करना ।

(ग) जब कोयले की मांग समग्रतः विशिष्टतः कोककर कोयले की मांग बढ़ती है, कोयले के उत्पादन को भी बढ़ा दिया जायगा । सम्पृक्त रेलवे प्राधिकारियों के साथ जिनको वैगनों की आपूर्ति में सुधार करने के लिए समुचित उपायों के लिये अनुरोध किया गया है, वहीं और उसी समय समस्याओं पर विचार किया गया है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने 1971-72 में लगभग 160 लाख टन के उत्पादन के लिए कार्यक्रम बनाया है जबकि चालू वर्ष में लगभग 140 लाख टन का वास्तविक उत्पादन था ।

औषधियों के मूल्यों में कमी

*4. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अप्रभावी सिद्ध हुई है और बहुत सी आवश्यक औषधियों के मूल्य पिछले दस मास में बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ; और

(ग) औषधियों के मूल्यों को और अधिक घटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). नहीं। औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश के परिणामस्वरूप कई महत्व पूर्ण एवं विख्यात औषधों के मूल्य पर्याप्त मात्रा में कम हुए हैं। कुछ औषधों के मूल्यों में वृद्धि भी हुई है। कच्चे माल की लागत में वृद्धि एवं अन्य लागतों में वृद्धि होने के कारण इन समस्त औषधों के मूल्यों में वृद्धि हुई है । यह मूल्य युक्तिकरण जो कि कीमत नियन्त्रण आदेश का लक्ष्य है, की पद्धति में अनिवार्य है। तथापि सरकार ने पूर्णतया यह सावधानी बर्ती है कि जितना अधिक सम्भव हुआ, वृद्धियों में कमी की गई है। जहां कहीं सरकार आवश्यक समझे, मूल्यों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। नये मूल्य केवल 15 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुए हैं और सरकार कुछ समय के लिये स्थिति की देख-रेख करना चाहेगी।

पाकिस्तानी विमानों के भारत के ऊपर से उड़ने पर प्रतिबन्ध

*8. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाली पाकिस्तानी विमान सेवाओं पर लगे प्रतिबन्ध को उठाने के बारे में विचार कर रहा है ;

(ख) क्या पाकिस्तान इस सम्बन्ध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता करवाने का प्रयास कर रहा है ;

(ग) क्या भारत इस बारे में सहमत हो गया है ; और

(घ) क्या भारत इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से सीधी वार्ता करने पर दृढ़ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). पाकिस्तान ने इस मामले में कुछ देशों में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश तो की थी लेकिन हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में ही सबसे अच्छी तरह सुलझाया जा सकता है।

अपहृत भारतीय विमान के सम्बन्ध में पाकिस्तान को विरोध पत्र

*13. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इन्डियन एयरलाइन्स के उस विमान के बारे में विरोध-पत्र भेजा है जो 30 जनवरी को जम्मू और काश्मीर के बीच उड़ते हुए अपहृत कर लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और उत्तर क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाक सरकार ने हमारे विरोध को अस्वीकार कर दिया और हमारे विमान के अपहरण करने और उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी को मानने से इन्कार किया है ।

हिन्द महासागर में रूसी युद्ध पोत

1. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में रूसी युद्ध पोत किसी भी अन्य देश की अपेक्षा अधिक संख्या में हैं ;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों के युद्धपोतों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के लिए उस देश से कोई विरोध प्रकट किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर रूसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). हिन्द महासागर में विभिन्न राष्ट्रों के युद्धपोतों की यथार्थ संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ग) और (घ) . सरकार का यह विचार है कि ऐसे देशों के नौसेनिक बेड़े का हिन्द महासागर में मौजूद होना, जो कि हिन्द महासागर के साथ नहीं लगे हुए हैं, अनावश्यक है । इससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है । सम्बन्धित देशों को इन विचारों से अवगत कराया जा चुका है । अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत सभी देशों के जहाजों (युद्ध पोतों सहित) को तटीय राज्यों के प्रादेशिक समुद्रों के बाहर महासागरों में आने-जाने की स्वतन्त्रता है इसलिये जिन देशों के युद्ध पोत हिन्द महासागर में रहते हैं, उन्हें औपचारिक रूप से विरोध-पत्र भेजने का प्रश्न नहीं उठता है ।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व

2. **श्री शशि भूषण** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और अलौह धातु** मंत्री भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों और अधिकारियो के प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित 9 नवम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त मामले पर विचार करके अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है तथा उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले पर निर्णय करने में अभी और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और अलौह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

3. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी कर्मचारी पिछले 15, 16, 17 और 18 वर्षों से भी अधिक समय से सरकारी क्वार्टरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) पन्द्रह वर्षों से भी अधिक सेवा पूरी कर लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर देने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ;

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जोकि अभी तक निम्न श्रेणी के उन क्वार्टरों में रह रहे हैं जोकि उनको उस समय दिये गये थे जब वे कनिष्ठ पदों पर आसीन थे और जोकि अब अपनी श्रेणी के क्वार्टर लेना नहीं चाहते हैं ; और

(घ) सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ताकि वे क्वार्टर उन कर्मचारियों को दिये जा सकें जो कि उनके पात्र हैं ?

निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिये, आवेदन-पत्र वर्ष विशेष में सीमित आधार पर मांगे जाते हैं। 1 अगस्त, 1970 से प्रारम्भ होने वाले आवंटन वर्ष के लिये, विभिन्न टाइप के वासों के पात्र अधिकारियों से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार से मांगे गये थे :

टाइप	प्राथमिकता की तिथि जिस तक आवेदन-पत्र मांगे गये थे
I	31-12-1962
II	31-12-1955
III	31-12-1948
IV	31-12-1948
V	31-12-1963
VI	31-12-1965
VII	आज तक
VIII	आज तक

टाइप IV तथा इससे नीचे टाइप के पात्र अधिकारियों के मामले में, प्राथमिकता की तिथि निश्चित करने के लिये समस्त सेवाकाल का विचार किया जाता है, तथा आवेदन के लिये दी गई

प्राथमिकता तिथि, ऐसे कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा के वर्षों को प्रदर्शित करती है। टाइप V तथा इससे ऊपर के पात्र अधिकारियों के मामले में, तथा जो 800 रुपया और इससे अधिक परिलब्धियां लेते हैं, प्राथमिकता की तारीख उस तिथि से गिनी जाती है जब से एक अधिकारी उस टाइप के लिये निर्धारित परिलब्धियां लगातार ले रहा हो। 1-8-1970 से आरंभ होने वाले आवंटन वर्ष के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर, दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में वास के आवंटन के लिये पिछले 15, 16, 17 तथा 18 वर्षों से अधिक की प्रतीक्षा करने वाले अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :

टाइप	15 वर्ष	16 वर्ष	17 वर्ष	18 वर्ष
I	909†	158	144	143
II	2,850†	1,349	683	253

†इनमें 16, 17 तथा 18 वर्ष के आंकड़े सम्मिलित हैं।

टाइप III तथा IV के मामले में उन सरकारी अधिकारियों से आवेदन मांगे गये थे जो 31-12-1948 को अथवा इससे पहले सेवा में आ गये थे, और इस प्रकार जिन अधिकारियों ने 15 से 18 वर्ष से सेवा की है, वे आवेदन देने के पात्र नहीं थे। 1-8-1970 को आरम्भ होने वाले आवंटन वर्ष के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर तथा जिनकी प्राथमिकता की तारीख 31-12-1948 है, टाइप III तथा IV में प्रतीक्षा करने वाले अधिकारियों की संख्या क्रमशः 2,371 तथा 2,467 है। टाइप V तथा इससे ऊपर के टाइप के आवंटन के लिये, 15 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाला कोई भी अधिकारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है।

(ख) आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, पात्र कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारियों को उनकी प्राथमिकता की तारीख तथा प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर सामान्य पूल वास का आवंटन किया जाता है। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत, सामान्य पूल में यथासंभव शीघ्र अतिरिक्त रिहायशी एकक देने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। 1970-71 में टाइप I से IV के 960 रिहायशी एकक बनाये गये हैं, जिसमें से टाइप II में 536, टाइप III में 104 एकक थे। दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप I से IV के 2,076 रिहायशी एकक निर्माणाधीन हैं, और इनमें से 744 टाइप II में तथा 424 टाइप III के हैं। इसके अतिरिक्त, टाइप III के 420 तथा टाइप II के 60 एककों का निर्माणार्थ कार्य सौंपने के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ). 1 अगस्त, 1970 से प्रारम्भ होने वाले आवंटन वर्ष के लिये, प्राप्त आवेदन-पत्रों के अनुसार, ऐसे अधिकारियों की संख्या 1,751 है, जो अपने पात्र टाइप से दो टाइप नीचे के एककों का दखल लिये हुये हैं, अपनी पात्रता के टाइप से तीन टाइप नीचे के एककों का दखल लिये हुये अधिकारियों की संख्या 161, तथा अपने पात्र टाइप से 4 टाइप नीचे के एककों का दखल लिये हुये अधिकारी की संख्या 1 है। आवंटन नियमों में निहित उपबन्धों के अनुसार अपने पात्र टाइप के वास से निचले टाइप के वास में रह रहे अधिकारियों को उनके पात्र टाईप में अनिवार्यतः नहीं भेजा जा सकता किन्तु ऐसे अधिकारियों को जिन्हें उनके पात्र टाईप की पेशकश की जाती है, और जो उस टाइप में जाने से इन्कार करते हैं, उन्हें उस वास की, जो उन्हें इस प्रकार आवंटित किया गया/पेश किया गया मूल नियम 45-ए के अधीन लाइसेंस फीस, अथवा पहिले के

उनके दखल में वास की लाइसेंस फीस, इनमें जो अभी अधिक हो, देनी होगी । निचले टाइपों की कमी दूर करने के लिये नये निर्माण प्राय: टाइप IV तथा इससे नीचे के ही किये जाते हैं ।

औषधियों का लागत मूल्य

4. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और अलौह धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 विशिष्ट औषधियों के लागत मूल्य के अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला है ;

(ख) क्या उन औषधियों से बनाई गयी दवाओं के मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या मूल्य नियन्त्रण आदेश के अनुभव को दृष्टि में रखते हुये औषधियों के अंकित मूल्यों पर पुनर्विचार किया जायेगा ;

(घ) क्या औषधियों के मूल्यों पर पुनर्विचार से आम जनता को कुछ राहत मिलेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो उसका औचित्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और अलौह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) इस उद्देश्य के लिये स्थापित किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश में मूल्य-वृद्धि (मार्क-अप) के लिये केवल अन्तिम सीमा का उल्लेख है । प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार, सूत्रयोग के लक्षण क्या कोई उत्पाद विकास कार्य किया गया है ; क्या यह मूल अन्वेषण का एक उत्पाद है आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन, करते समय अन्तिम सीमा के अन्तर्गत एक उचित मूल्य-वृद्धि को अपना रही है । इस समय औषधों की मूल्य-वृद्धि दरों का सामान्य रूप से पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(घ) और (ङ). इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय

5. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में खोले गये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा औषधालयों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रकार के औषधालयों में प्रतिदिन जाने वाले रोगियों की औसत संख्या कितनी है ;

(ग) क्या आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों में जाने वाले रोगियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार के औषधालयों की संख्या में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) यहां पर 58 एलोपैथिक, 5 आयुर्वेदीय और 2 होम्योपैथिक औषधालय चल रहे हैं। वे कहां-कहां पर हैं यह परिशिष्ट 1 में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 41/71।]**

(ख) इन प्रत्येक किस्म के औषधालयों में प्रतिदिन आने वाले रोगियों की औसत संख्या इस प्रकार है :

एलोपैथिक औषधालय	—	20,905
आयुर्वेदीय औषधालय	—	747
होम्योपैथी औषधालय	—	494

(ग) और (घ). 1971-72 में दिल्ली में एक होम्योपैथी, दो आयुर्वेद और दो एलोपैथी के अतिरिक्त औषधालय खोलने का हाल ही में निर्णय किया गया है। उपयुक्त जगह और स्टाफ के मिलते ही ये नये औषधालय काम करने लगेंगे।

अपहृत करके पाकिस्तान ले जाये गये भारतीय विमान में नष्ट हुई यात्रियों की सम्पत्ति

6. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पाकिस्तान समर्थक तत्व इंडियन एयर लाइन्स के एक विमान को अपहृत करके पाकिस्तान ले गये थे ;

(ख) क्या बाद में उक्त विमान जला दिया गया था ;

(ग) इस दुर्घटना में विमान तथा यात्रियों के सामान को मिलाकर कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) उड़ान के दौरान भारतीय विमानों की पूर्ण सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं और विमान तथा यात्रियों के सामान के बदले मुआवजा प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अब तक ज्ञात मूल्य के अनुसार लगभग एक करोड़ बारह लाख रुपये।

(घ) पाकिस्तानी प्रदेश पर से भारतीय विमानों की उड़ानें बन्द कर दी गई हैं। भारतीय विमानों के अपहरण को रोकने के लिये कठोर सुरक्षात्मक उपाय भी लागू कर दिये गये हैं।

भारत सरकार विमान तथा उसकी अन्तर्वस्तुओं की क्षतिपूर्ति के लिये पाकिस्तान सरकार पर निरन्तर दबाव दे रही है।

ब्रिटेन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई

7. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) दक्षिण अफ्रीका को हथियार सप्लाई करने सम्बन्धी अपने निर्णय में ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई परिवर्तन न किये जाने की स्थिति में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है हालांकि राष्ट्रमंडलीय देशों की हाल की बैठक में ब्रिटेन ने ऐसा करने का आश्वासन दिया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका को कुछ हथियार बेचने का निर्णय लिया है ।

(ख) जनवरी, 1971 में सिंगापुर में हुये राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की प्रस्तावित आपूर्ति के बारे में वे सम्मेलन द्वारा व्यक्त विचारों को अपने मंत्रिमंडल तक पहुंचा देंगे । "दक्षिण एटलांटिक एवं हिन्द महासागर के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्वों" पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल गठित किया गया जिसमें भारत सहित 8 देश थे । भारत ने इस अध्ययन दल की सदस्यता इस शर्त पर स्वीकार की थी कि यह अध्ययन दल दक्षिण अफ्रीका को प्रस्तावित हथियारों की बिक्री एवं इसके सम्पूर्ण राष्ट्रमंडल पर प्रभाव के बारे में विचार करेगा । हमें यह आशा थी कि ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी कि अध्ययन दल का कार्य बेकार हो जायेगा । हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि परिस्थितियां बदली या ऐसे नये प्रश्न उठे जो अध्ययन दल को व्यर्थ बता दे तो हमें अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा । हमारी राय में दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचने के निर्णय की ब्रिटेन की घोषणा ने अध्ययन दल को व्यर्थ बना दिया है अत: हमने स्वयं को उससे अलग कर लिया है ।

(2) अगली कार्यवाही में सामंजस्य रखने के लिये हम राष्ट्रमंडल के अन्य देशों, विशेषकर अफ्रीका, एशिया और केरीबियन से सम्पर्क बनाये हुये हैं ।

दिल्ली के आस पास कस्बों का विकास

8. **श्री तेजा सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में आव्रजन को रोकने के लिये दिल्ली के आसपास कस्बों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली की वृहत योजना में यह अपेक्षित है कि दिल्ली के विकास के साथ दिल्ली के आस पास के कस्बों नामश: गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ गुड़गांव, बहादुरगढ़, लोनी तथा नरेला का साथ साथ विकास होना चाहिए ।

भूटान द्वारा भारतीयों और विदेशियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध

9. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान भूटान सरकार द्वारा भूटान में भारतीयों और विदेशियों

के आने-जाने पर अधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्णय की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भूटान सरकार ने भूटान में भारतीयों और विदेशियों पर कठोरतर प्रतिबन्ध लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया है उन्होंने वर्तमान प्रबन्धों के अन्तर्गत ही गैर-भूटानी कर्मचारियों के भूटान में प्रवेश करते वक्त अधिक सतर्कता से उनकी परख करने का निर्णय किया है ।

हिंद महासागर में रूसी नौसेना का जमाव

10. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में रूसी नौसेना का भारी जमाव है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन की सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकाशित किये गये श्वेत-पत्र की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) इस बारे में भारत सरकार ने विभिन्न रिपोर्टें देखी है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जमाव के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने इम लुसाका घोषणा का हृदय से समर्थन किया है कि हिन्द महासागर क्षेत्र एक शान्त क्षेत्र रहे और महान शक्तियों के प्रभुत्व तथा प्रतिद्वन्द्विता से मुक्त हो । हिन्द महासागर के अधिकांश देश चूंकि लुसाका में मौजूद थे और उन्होंने इस विचार का समर्थन किया था । अतः भारत सरकार आशा करती है कि बाहरी शक्तियां इन तटवर्ती राज्यों के विचारों पर ध्यान देंगी । सरकार ने ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ से अनुरोध किया है कि लुसाका सम्मेलन में इस विषय पर सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया था उस पर वे ध्यान दें ।

पाकिस्तान द्वारा हथियाई गई सम्पत्ति के लिए भारतीयों को अनुगृहीत अनुदान

11. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीयों को जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान द्वारा 1965 के संघर्ष में हथिया ली गई थी, कोई अनुगृहीत अनुदान देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुगृहीत अनुदानों का ब्यौरा क्या है तथा दी जाने वाली कुल राशि कितनी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे सभी भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय कम्पनियों को, प्राप्तकर्ताओं द्वारा बन्ध पत्र भरे जाने पर, प्रत्येक मामले में सत्यापित दावों के मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 25 लाख रुपये तक, भारत की संचित निधि में से, अनुग्रह अनुदानों के रूप में, तदर्थ अन्तरिम सहायता दे दी जाए । यह भी निर्णय किया गया है कि यदि किसी मामले में सत्यापित दावे के मूल्य का 25

प्रतिशत, उक्त सीमा से अधिक हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार द्वारा ताशकंद समझौते के अनुसार सम्बद्ध भारतीय राष्ट्रिकों, कम्पनियों को उनकी सम्पत्ति लौटा दिए जाने पर अथवा उस विषय में यदि उन्हें कोई राशि देय होगी तो ऐसी अदायगियों को ध्यान में रखा जायगा और उनका समायोजन किया जायगा।

(ख) अदायगियां अभी शुरू की जानी हैं। भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास लगभग 109 करोड़ रुपये के दावे पंजीबद्ध किए गए हैं।

1971 के मध्यावधि चुनाव के अवसर पर प्रतिरक्षा विभाग द्वारा जीपों की बिक्री

12. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिरक्षा विभाग के लिए कितनी जीपों का निर्माण किया गया;

(ख) मार्च, 1971 में हुए मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में विभाग ने विभिन्न दलों और व्यक्तियों को पुराने तथा नये स्टाकों में से क्रमशः कितनी जीपें बेची;

(ग) उन दलों और व्यक्तियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है जिनमें जीपें बेची गई; और

(घ) प्रत्येक को कितनी जीपें दी गयीं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). माननीय सदस्य शायद विल्ली जीप के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं।

1968 से 1970 वर्षों के दौरान सेना ने 3046 विल्ली जीपों को क्रय किया था। रक्षा मंत्रालय ने किसी भी राजनैतिक दल या व्यक्ति को नई विल्ली जीपें नहीं बेची हैं। परित्यक्त जीपों को सामान्यत: महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान के द्वारा सार्वजनिक नीलाम के द्वारा निपटान किया जाता है। तथापि सामान्य वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत जीपों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर विधायकों, धर्मार्थ/शैक्षणिक/समाज-कल्याण संस्थानों को वास्तविक प्रयोग के लिए तथा भूतपूर्व सैनिकों को, व्हीकल दिये जाते हैं। इनमें से कोई भी जीप राजनैतिक पार्टियों को नहीं दी गई है। किसी भी जीप को सामान्य आदेशों के अलावा नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ). ऊपर (क) तथा (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पुनर्वास की व्यापक योजना

13. **श्री राज राज सिंह देव : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को फिर से बसाने के लिए अब तक कोई व्यापक योजना तैयार न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसी योजना तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों को सिविल नौकरियां देने में तथा सिविल रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार दिलाने के लिए सब सम्भव कदम उठाये गये हैं। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आपात कमीशन अफसरों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

सेवा मुक्त आपात कमीशन/अल्प सेवा कमीशन अफसरों के लिए अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं की स्थायी तथा दीर्घकालिक अस्थायी रिक्त स्थानों को भरने के लिए जिन्हें सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाता है आरक्षण निम्न प्रकार है :

आई ए एस/आई एफ एस	20 प्रतिशत
आई पी एस	27 प्रतिशत
क्लास-एक	25 प्रतिशत
क्लास-दो	27 प्रतिशत

अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के अतिरिक्त रिक्त स्थानों को संघ लोक सेवा आयोग विशेष प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा केवल आपात कमीशन अफसर/अल्प सेवा कमीशन अफसरों के द्वारा भर्ती है। उन्हें केवल तीन प्रश्न पत्रों में बैठना होता है नामत: निबन्ध, "सामान्य इंगलिश" तथा "सामान्य ज्ञान"। उनके सम्बन्ध में आयु सीमा में भी ढील दी गई है उदाहरणार्थ 24 साल जो कि 1 अगस्त, कमीशन से पूर्व प्रशिक्षण के लिए भर्ती के वर्ष से ली जायेगी।

2. सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों के लिए राज्य सरकारें भी क्लास-1 तथा क्लास-2 (गैर तकनीकी) पदों के रिक्त स्थानों के लिए कुछ प्रतिशत सुरक्षित करने के लिए सहमत हो गई है।

3. आपात/अल्प सेवा कमीशन अफसरों की शिक्षा योग्यता में भी ढील के लिए अनुमति दे दी गई है, जहां उनके सेना में भर्ती होने के कारण अध्ययन में बाधा पड़ी है तथा वह सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उपाधि अर्जित नहीं कर सके हैं।

4. सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसर/अल्प सेवा कमीशन अफसर जिनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है, क्लास-1 तथा क्लास-2 सेवा के 32 प्रतिशत रिक्त स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। इसको घटाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है क्योंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में बैठने के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग के तकनीकी साक्षात्कार के आधार पर होता है।

5. आपात कमीशन अफसर जिन्होंने अन्य पदों से पदोन्नति की थी तथा स्थायी कमीशन के योग्य नहीं पाये गये थे, कम से कम जे० सी० ओ० के पद पर पूर्णतया स्वेच्छा के आधार पर प्रत्येक अलग-अलग मामले के गुण दोषों के आधार पर विचार किया गया है।

6. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों को सब सुविधाएं जिनमें वित्त, तकनीकी ज्ञान, कच्चा माल इत्यादि शामिल हैं, उपलब्ध कराएं जहां वह औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर संगठन बना रहे हों।

7. इस मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक पुनर्वास ने विशेष रूप से एक अफसर को सेवा मुक्त आपात कालीन अफसरों को लघु-उद्योगों को स्वयं रोजगार स्थापित करने की दिशा में मार्ग निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया है।

8. आपात कमीशन अफसरों को सहायता के लिए व्यापार उद्योग तथा कार्मिक प्रबन्ध में पुनः अभिविन्यास कोर्सों की व्यवस्था की गई है। 219 आपात कमीशन अफसरों ने अभी तक ऐसे कोर्सों को किया है।

9. केन्द्रीय सरकार के, अन्तर्गत अनेकों सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थानों में से सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों को रोजगार देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक पुनर्वास के विशेष कार्य अफसर दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई निजी क्षेत्र की संस्थानों से भी इसी प्रकार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

10. स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने भी सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों के लिए अफसर संवर्ग में 25 प्रतिशत पदों को सुरक्षित रखा है। वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि अन्य राष्ट्रीयकरण कृत बैंकों को भी परामर्श दें कि वह 25 प्रतिशत पदों को कनिष्ठ अफसरों के संवर्ग में भी केवल सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों के लिए सुरक्षित रखें जैसा कि स्टेट बैंक ने किया है। यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समन्वय समिति में कस्टोडियनों के सन्मुख प्रस्तुत करना था।

11. संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर सर्वेक्षण में प्रशिक्षित सेवा मुक्त आपात कमीशन अफसरों को सर्वे आफ इण्डिया में सिविलियन के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

12. देश में प्रशिक्षण/उच्चतर शैक्षणिक अध्ययन के लिए भूतपूर्व आपात कमीशन/अल्प सेवा कमीशन अफसरों को बिना ब्याज के 2,000 रुपये तक ऋण देने की एक योजना प्रारम्भ की गई है:

(क) व्यवसायिक प्रशिक्षण।

(ख) प्रबन्ध प्रशिक्षण।

(ग) डिग्री या उससे ऊपर के शैक्षणिक अध्ययन में अर्हता प्राप्त करने के लिए।

Arrears of Royalty due from Mine Owners of Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh

14. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Non-Ferrous Metals** be pleased to state :

(a) the State-wise arrears of royalty due from the mine-owners of Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and other States to the State Governments ;

(b) the details of the action taken by the State Governments (State-wise) for recovery of the same and the results thereof ;

(c) whether the Central Government have issued any direction to the State Governments concerned in this regard ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Non-Ferrous Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b). The information has been called for from the State Governments and will be laid on the Table of the House on receipt.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Grants to State Governments for Works, Housing and Urban Development

15. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Central Government sanctions grants to State Governments for works, housing and urban development programme ;

(b) if so, the year-wise details of grants sanctioned to the Government of Bihar during the years 1967 to 1970 ;

(c) whether serious irregularities have been committed in respect of the amounts granted and in the allotment of houses ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government with a view to check such irregularities ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). Grant (subsidy) is available under the following four of the various social housing schemes introduced by the Ministry of Works, Housing and Urban Development :—

(i) Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community.

(ii) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers.

(iii) Village Housing Projects Scheme.

(iv) Slum clearance and Improvement Scheme.

All these schemes excepting the Scheme at (ii) above are in the State sector and are in operation in Bihar.

Upto the end of 1968-69, Central assistance for all the social housing scheme was being drawn by the State Governments on the basis of their actual expenditure, subject to the approved plan outlay. The Central "grants" sanctioned to the Government of Bihar during 1967-68 and 1968-69 are given below :—

	1967-68	1968-69 (Rs. in lakhs)
(a) Integrated Subsidising Housing Scheme for Industrial Workers etc.	4.00	3.14
(b) Village Housing Projects Scheme	0.25	0.36
(c) Slum Clearance/Improvement Scheme	0.04	0.81
Total	4.29	4.31

2. During the Fourth Five Year Plan beginning from 1969-70, Central assistance for all State Sector programmes taken together (including housing and urban development) is being made available to the State Governments in the form of 'block loans' and 'block grants' without being tied to any particular head of development or programme. The State Governments have got complete freedom to allocate any amount for the various State Sector programmes (including Housing and Urban Development) according to their own requirements and priorities. The figures of grants-in-aid utilised by the State Governments under the various housing schemes during 1969-70 are therefore not available.

(c) and (d). The only irregularity in respect of the four schemes mentioned above that has come to notice, is in respect of the Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers etc. Out of the total of 6,351 houses built by the Government of Bihar under this Scheme, 338 houses are reported to be in occupation of ineligible persons. The State Government are being constantly pressed to get these houses vacated for allotment to eligible workers.

Grants for Slum Clearance to State Governments

16. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for slum clearance ; if so, the details thereof ;

(b) whether the Central Government have given grants to State Governments for this purpose ; if so, the details of grants given annually from 1967 to 1970 ;

(c) whether several State Governments have not utilised the said amount ; if so, the names of those States and the details of the unspent amount, year-wise ;

(d) whether some State Governments have demanded increased grant to the extent of cent-per-cent for this purpose ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri I. K. Gujral) : (a) The Slum Clearance/Improvement Scheme was introduced by the Government of India in 1956. This Scheme, which is being implemented through the State/Union Territory Government provides for :

(i) the acquisition of slum areas and the re-housing of families living in slum areas whose income does not exceed Rs. 350/- per mensem, in small/regular two roomed tenements, dormitories, skeltal houses, open developed plots, etc. according to the rent paying capacity of the concerned slum dwellers ;

(ii) the improvement of environmental conditions in existing slums (e. g. paving of streets, provision of W. Cs, water supply, street lights and drainage) ; and

(iii) construction of Night Shelters (to provide sleeping accommodation to pavement dwellers on a nominal charge).

This scheme provides for the grant of financial assistance to the State Governments to the extent of 87½% of the approved cost of the projects (50% as loan and 37½% as subsidy) ; the remaining 12½% is to be provided by the States/Local Bodies as their share of subsidy.

(b) and (c). Upto the end of March, 1969, the Scheme was in the Central Sector. With effect from the 1st April, 1969, the Scheme was transferred to the State Sector in keeping with the decisions of the National Development Council. Central assistance to the State Governments for all development programmes in the State Sector, including Slum Clearance Scheme, is now being provided in the form of "block loans" and "block grants". The State Governments are free to allocate funds for various schemes according to requirements and priorities fixed by them.

According to the information available, the allocation made to various State Governments, etc. and the expenditure from 1st April, 1967 to 31st March, 1969, under the Scheme is given in the Annexure. [**Placed in Library. See No. L. T.-42/71**] The reason for the shorfall in expenditure, and consequently in the drawal of the amounts, is that "Housing" is given generally a low priority by the State Governments.

(d) and (e). Question does not arise as the scheme is now in the State Sector and it is for the State Governments to provide as much money as possible for this scheme out of the "block loans" and "block grants" given to them as Central assistance.

अशोधित तेल का आयात

17. **श्री राजा कुलकर्णी :**
श्री राज राज सिंह देव :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी कम्पनियों को अशोधित आयातित तेल के बढ़े मूल्य देने को सहमत हो गई है और यदि हां, तो उनको कितने अधिक मूल्य दिये जायेंगे और इसके परिणामस्वरूप देश पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा;

(ख) वर्ष 1970 में हमारे देश में कुल कितना अशोधित तेल विदेशों से मंगाया गया; और

(ग) क्या मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक देशों से सरकारी स्तर पर अशोधित तेल का आयात करने के लिए कोई प्रयास किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम, रसायन और अलौह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) गैर-सरकारी कम्पनियों के, आयातित अशोधित तेल, जिसका वे प्रयोग करती है, के मूल्यों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर अभी जांच की जा रही है। देश के संसाधनों पर कुल अतिरिक्त भार, यदि कोई हों, का निर्धारण किसी निर्णय के लिए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(ख) 1970 में 102.04 करोड़ रुपये की लागत पर 11.674 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का आयात किया गया था।

(ग) अभी तक नहीं। इससे संबंधित कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

एवरो 748 विमान का उत्पादन

18. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में एवरो 748 के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) 1968, 1969 तथा 1970 में बनाये गये हवाई जहाजों की संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) एवरो-748 (एच एस-748) कानपुर में 1968-69 तथा 1969-70 में 6 हवाई जहाजों के उत्पादन को 1970-71 के दौरान बढ़ाकर 8 कर दिये जाने तथा 1971-72 के दौरान 9 हवाई जहाज उत्पादन करने के प्रस्ताव को पूरा कर दिया जायेगा।

(ग) उत्पादन कार्यक्रम को वित्तीय वर्षवार तैयार किया जाता है 1968-69, 1969-70 में वास्तविक डिलीवरी तथा 1970-71 में अनुमानित डिलीवरी निम्नलिखित हैं :

1968-69	6 हवाई जहाज
1969-70	6 हवाई जहाज
1970-71	8 हवाई जहाज

नेहरू संग्रहालय में "जवाहर ज्योति"

19. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू संग्रहालय में "जवाहर ज्योति" को प्रज्वलित रखने के लिए लगभग 40,000 रु० वार्षिक व्यय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार इस व्यय को बदल कर किन्हीं उत्पादक अथवा समाज-कल्याणकारी उद्देश्यों पर लगायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, नहीं। 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुई 3 वर्ष की अवधि के दौरान "जवाहर ज्योति" के अनुरक्षण पर औसतन वार्षिक व्यय लगभग 27,000 रुपये था। तेल द्वारा प्रज्वलित ज्योति के स्थान पर 11-1-1971 से गैस की एक स्थायी ज्योति लगा दी गई है, तथा परिणामस्वरूप वार्षिक व्यय घटकर लगभग 11,000 रुपये हो गया है।

(ख) और (ग). सरकार के विचार में "जवाहर ज्योति" के अनुरक्षण पर का व्यय अधिक नहीं है।

जटनी कस्बे (उड़ीसा) में नल के पानी की सुविधाएं

20. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुरी जिले के जटनी कस्बे में नल के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने बतलाया है कि धन की कमी के कारण 16.93 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली जटनी नल जल पूर्ति योजना को वे अन्तिम रूप नहीं दे पाये हैं।

खुरदा नगर (उड़ीसा) में नल के पानी की सुविधायें

21. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में, खुरदा नगर का नल का पानी सप्लाई करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग). भारत सरकार को उड़ीसा सरकार से खुरदा नगर को नल का पानी सप्लाई करने की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। जल पूर्ति योजनाओं को मंजूरी देने की शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई हैं और उनके लिये अब यह आवश्यक नहीं है कि 25 लाख रुपये की लागत तक की शहरी जल पूर्ति योजनाओं के लिये भारत सरकार की मंजूरी लें।

परन्तु उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 1967 में 14 लाख रुपये की लागत वाली खुरदा नगर की नल जल पूर्ति योजना की मंजूरी दे दी थी तथा इस योजना पर 1971-72 में काम शुरू किया जायेगा।

Accumulation of Coal in Coal Mines in Bihar

22. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Non-Ferrous Metals** be pleased to state :

(a) whether a large stock of coal has accumulated in coal mines in Bihar ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Non-Ferrous Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b). Yes, Sir. This has been due to poor off-take of coal by steel plants, Railways and other consumers whose coal requirements had been affected by strikes. Strikes in the Railways have also led to transport difficulties resulting in further accumulation.

(c) Railways have been requested to make available more number of wagons to clear the pit head stocks.

इंडियन एयरलाइन्स के जलाये गये विमान के लिए पाकिस्तान से मुआवजा

23. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के जलाये गये विमान के लिए पाकिस्तान से मुआवजा लेने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या पाकिस्तान दोनों अपहरणकर्ताओं को सरकार को सौंपने के लिए अभी तक सहमत नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार, भारतीय विमान तथा उसके कागो, सामान तथा डाक की क्षति के लिए मुआवजा देने और दोनों अपहरणकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने का अपना प्रयत्न जारी रख रही है। हमारी मांगों के संबंध में पाकिस्तान सरकार ने अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। इस बीच भारत से पाकिस्तानी विमानों की उड़ान स्थगित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी

24. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसके बारे में क्या विशेष कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) डाक्टरों की कमी देश भर में ही है, परन्तु यह शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है ।

(ख) ग्रामीण अस्पतालों एवं औषधालयों में डाक्टरों को काम करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय बरते जा रहे हैं, विशेष भत्ता देकर उनकी परिलब्धियों की राशि बढ़ाने, पीने के लिये पर्याप्त पानी सहित उनके रहने और काम करने की अधिक अच्छी सुविधायें देने, सफाई की व्यवस्था और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा उप-केन्द्रों तक पहुंचने के लिये बारहमासी सड़कों की सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है ।

प्रशिक्षण के साथ-साथ चिकित्सा सेवा के चलते-फिरते अस्पतालों की एक मार्ग दर्शी योजना पहले ही शुरू कर दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा अस्पतालों से इन्टेर्नी और मेडिकल कालेजों के अन्तिम वर्ष के छात्रों सहित विशेषज्ञ अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगायेंगे और कुछ खास-खास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वैच्छिकरूप से सेवा कार्य करेंगे । प्रत्येक सचल एकक में 50-50 अस्पतालीय पलंग होंगे । कुछ खास-खास जिला अस्पतालों में अतिरिक्त विशेषज्ञ भरती करने का विचार है और ये विशेषज्ञ इन जिला सचल अस्पतालों में लगाये जायेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता कार्य करेंगे ।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

25. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मूल्य नियंत्रण आदेश देश के सभी भागों में लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र, तमिल नाडू, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में इस आदेश के जारी करने से पहले प्रत्येक औषधि का फुटकर मूल्य क्या था;

(ग) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के महाराष्ट्र, तमिल नाडू, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू होने के बाद प्रत्येक औषध का मूल्य क्या है ; और

(घ) उक्त आदेश से आवश्यक औषधियों के मूल्यों को कम करने में कहां तक सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम, रसायन और अलोह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). औषध निर्माण करने वाले विभिन्न कारखाने हजारों औषध सूत्रयोगों

का विक्रय करते हैं, अतः प्रत्येक औषधि के बारे में अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 जारी किये जाने के फलस्वरूप प्रचलित औषधों के फुटकर मूल्यों में हुई कमी एवं वृद्धि के कुछ उदाहरण संसद पुस्तकालय में रखी गई "औषध-मूल्य नियंत्रण-उद्देश्य तथा उपलब्धियों" नामक पुस्तिका में दिये गये हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य सारे देश में एक जैसे हैं। लेकिन उपभोक्ताओं को स्थानीय कर देने पड़ते हैं जो प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

(घ) अनुमान है कि समुदाय को लगभग 220 करोड़ की वार्षिक बिक्री पर लगभग 20 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

जनरल वैस्टमोरलैंड का भारत का दौरा

26. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल वैस्टमोरलैंड के हाल ही के भारत के दौरे का प्रस्ताव किसने रखा था ;

(ख) उनके दौरे का व्यय कौन सी संस्था वहन करेगी ;

(ग) उक्त दौरे का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जनरल विलियम सी० वैस्टमोरलैंड को भारत सरकार के अनुमोदन पर जनरल मानिक्शा, चीफ आफ आर्मी स्टाफ द्वारा भारत में दौरे के लिए आमंत्रित किया गया था।

(ख) देश में यात्रा का व्यय तथा भारत में ठहरने के दौरान आतिथ्य का व्यय भारत सरकार ने वहन किया था तथा अमेरिका से भारत को आने और वापस जाने के व्यय को अमेरिका सरकार ने वहन किया था।

(ग) दौरा 5 से 13 फरवरी 1971 तक हुआ था। जनरल वैस्टमोरलैंड के साथ श्रीमती वैस्टमोरलैंड तथा दो स्टाफ अफसर थे। दल को कुछ सैनिक प्रशिक्षण स्थापनाएं दिखाई गई थीं। तथा उन्होंने आगरा, जयपुर और खजुराहो का दृश्यावलोकन किया था।

(घ) जनरल मानिक्शा ने श्रीमती मानिक्शा तथा दो सेना अधिकारियों के साथ अप्रैल 1970 में अमेरिका के चीफ आफ आर्मी स्टाफ के निमंत्रण पर दौरा किया था। पारस्परिक सद्भावना के रूप में जनरल वैस्टमोरलैंड को भी भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चंडीगढ़ में पाये गये मतपत्र

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): श्रीमन्, मैं विधि तथा न्याय मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पाये गये फालतू मतपत्रों के बारे में निर्वाचन उप मुख्य आयुक्त द्वारा चंडीगढ़ में की गई जांच के परिणाम।"

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चंडीगढ़ में पाये गये फालतू मतपत्रों के बारे में है। इस सम्बन्ध में जांच कराने का कारण यह था कि कुछ दिन पूर्व यह प्रश्न उठाया गया था कि चंडीगढ़ में कुछ मतपत्र पाये गये हैं और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जितने मतपत्रों की आवश्यकता थी, चंडीगढ़ में उससे कहीं अधिक मतपत्र छापे गये थे। इस प्रश्न को लेकर कुछ संसद् सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिले थे। इस मामले की जांच के लिए श्री पी० आई० जैकब, निर्वाचन उप मुख्य-आयुक्त को नियुक्त किया गया। उसने 26 मार्च 1971 से अपनी जांच का काम शुरू कर दिया था। इन मतपत्रों के मिलने से निर्वाचन की निष्पक्षता पर जो संदेह व्यक्त किया गया है, उसे दूर करने के लिए मैंने यह विस्तृत वक्तव्य तैयार किया है।

श्री एस० एन० मिश्र, संसद् सदस्य, श्री दिग्विजय नारायण, संसद् सदस्य, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, संसद् सदस्य, श्री एल० के० आडवाणी, संसद् सदस्य तथा श्री रविन्दर वर्मा, भूतपूर्व संसद् सदस्य का एक शिष्ट मण्डल, 25 मार्च, 1971 की शाम को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से उनके निवास-स्थान पर मिला और उसने पंजाब में 3-तरन तारन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों की एक गड्डी पेश की। ये सब मतपत्र अच्छी हालत में थे और इन पर क्रम संख्यांक पड़े हुए थे। उनका कहना था कि जैसे मतपत्र उन्होंने पेश किये हैं, उसी प्रकार के पंजाब, हरयाणा तथा चंडीगढ़ के विभिन्न संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के हजारों मतपत्र चंडीगढ़ में एक गोदाम से मिले हैं और वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक संख्या में मतपत्रों के मुद्रण के परिणामस्वरूप अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दूषित हो गया है। चूंकि इस विषय में मौके पर जांच करने की आवश्यकता थी इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उप-निर्वाचन आयुक्त श्री पी० आई० जैकब को जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ के लिये रवाना होने और इस विषय में पूरी जांच करने का निदेश दिया। वे 26-3-71 को लगभग सुबह 10 बजे सरकारी मुद्रणालय, चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन आफिसर और अपर मुख्य निर्वाचन आफिसर, चंडीगढ़ के मुद्रण-नियंत्रक, पंजाब के संयुक्त मुख्य निर्वाचन आफिसर, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आफिसर और उप मुख्य निर्वाचन आफिसर तथा हरयाणा के मुद्रण नियंत्रक जांच के लिए उपस्थित थे।

2. पंजाब में 13, हरयाणा में 9 और चंडीगढ में एक अर्थात् कुल 23 संसदीय निर्वाचनक्षेत्रों के लिए मतपत्र चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन चंडीगढ स्थिति सरकारी मुद्रणालय में छापे गए थे। मुद्रण के लिए प्रयुक्त फर्मों में 2,3 और कभी-कभी 4 निर्वाचन क्षेत्र एक ही फर्मे में शामिल कर दिए गए थे। उनमें से कुछ संहतियां इस प्रकार थीं :—

	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अपेक्षित मतपत्रों की संख्या
I	हिसार	5,14,500
	मोहिन्दरगढ़	5,33,700
	अम्बाला	4,92,000
II	संगरूर	5,11,300
	अमृतसर	5,13,400
	फिल्लौर (अ० जा०)	5,21,700
	रोपड़ (अ० जा०)	5,25,100

III	फाजिल्का	5,49,300
	भटिण्डा	5,33,000
	लुधियाना	5,98,200
IV	रोहतक	5,14,700
	करनाल	5,07,000

3. जब एक से अधिक निर्वाचनक्षेत्रों के मतपत्रों की छपाई के लिए जैसा कि ऊपर बताया गया है, फर्मा प्रयुक्त किया जाता है तब छापी जाने वाली प्रतियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि इन निर्वाचनक्षेत्रों में से किसी एक निर्वाचनक्षेत्र के लिए अपेक्षित बड़ी से बड़ी संख्या हो। इस प्रकार पूर्वोक्त पहले फर्मे में हर एक निर्वाचनक्षेत्र के लिए 5,33,700 मतपत्र मुद्रित किए गए थे यद्यपि अम्बाला निर्वाचनक्षेत्र के लिए केवल 4,92,000 और हिसार के लिए केवल 5,14,500 मतपत्र अपेक्षित थे। इस प्रक्रिया में, जो मतपत्रों को तेजी से छापने के लिए हर एक राज्य में अपनाई जाती है, अधिकांश निर्वाचनक्षेत्रों के लिए मतपत्रों की कुछ फालतू संख्या में तैयारी अनिवार्य है।

4. उन मतपत्रों की कुल संख्या, जिन्हें सभी 23 निर्वाचनक्षेत्रों के लिए एक साथ मुद्रित करने की आवश्यकता थी, 1,18,61,800 थी जब कि मुद्रित मतपत्रों की वास्तविक संख्या 1,21,14,431 थी। इस प्रकार, एक साथ मिलाने पर सब निर्वाचनक्षेत्रों के लिए 2,52,631 मतपत्र फालतू थे जिनकी यदि गणना की जाए तो वे अपेक्षित वास्तविक संख्या से 2 प्रतिशत अधिक होते। मतपत्रों की छपाई में खराब हो जाने वाले मतपत्रों की गुंजाइश प्रायः 5 प्रतिशत रखी जा सकती है, जब कि इस मामले में जो विचाराधीन है, वस्तुतः खराब हुए मतपत्र केवल 2 प्रतिशत है।

5. चंडीगढ के मुद्रण-नियंत्रक ने 15-2-71 को एक लिखित निदेश जारी किया था कि मतपत्रों की छपाई पूरी हो जाने के बाद, रद्दी मतपत्रों को सहायक मुद्रण नियंत्रक की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाय। दुर्भाग्यवश इस निदेश का पालन नहीं किया गया। कुछ फालतू मतपत्रों को, जो खराब माने गए थे, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था और मुद्रणालय से संलग्न रद्दी कागज के शेड में डाल दिया गया था। कुछ अन्य मतपत्र टुकड़े-टुकड़े किए बिना ही, अर्थात् अच्छी हालत में, रद्दी कागज के शेड में, जमा कर दिए गए थे। 15-3-71 और 17-3-71 को लगभग 6,000 किलोग्राम रद्दी कागज, ठेकेदार द्वारा रद्दी कागज के शेड से उठाया गया। इस प्रकार उठाए गए रद्दी कागज के साथ कुछ ऐसे मतपत्र भी सम्मिलित थे जो अच्छी हालत में थे। इस रद्दी कागज को ठेकेदार चंडीगढ़ के अपने गोदाम में ले गया। 24-3-71 को ठेकेदार की अनुपस्थिति में कुछ व्यक्ति गोदाम में घुस गए और उन्होंने लगभग 10 किलोग्राम मतपत्रों, अर्थात् लगभग 10,000 से 12,000 तक ऐसे मतपत्रों से जो अच्छी हालत में थे बोरा भर लिया तथा ठेकेदार के स्टाक के आपत्ति करने पर भी इसे उठा ले गए। इन मतपत्रों का चंडीगढ और अन्य स्थानों में स्वतंत्रता के साथ वितरण किया गया तथा मतपत्रों की जो गड्डी संसद् के सामने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने पेश की गई है, वह स्पष्ट है कि इन्हीं में से है।

6. ऊपर के तथ्यों से जो बातें स्पष्ट हैं, वे ये हैं कि मतपत्रों के मुद्रण के लिए राज्यों में जैसी प्रक्रिया प्रायः अपनाई जाती है उसके अनुसार पंजाब, चंडीगढ तथा हरयाणा में 23 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए लगभग ढ़ाई लाख फालतू मतपत्र छापे गए थे, कि खराब माने गए कुछ फालतू मतपत्रों

को 15-3-71 के बाद रद्दी कागज के ठेकेदार द्वारा हटा ले जाने की इजाजत उस समय दी गई जब कि पांचवें साधारण निर्वाचन में मतदान, मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा की जा चुकी थी और यह कि इन फालतू मतपत्रों से मतदान पर किसी प्रकार का असर या प्रभाव नहीं पड़ा।

7. श्री जैकब की जांच के समाप्त होते होते, श्री बलराज मधोक, भूतपूर्व संसद् सदस्य तथा श्री श्रीचन्द गोयल, भूतपूर्व संसद् सदस्य सरकारी मुद्रणालय, चंडीगढ में उनसे मिले। उन्होंने उनको वे फर्मे दिखाए जिनमें वे निर्वाचन-क्षेत्र जिनके लिए विभिन्न संख्या में मतपत्रों की अपेक्षा थी एक ही फर्मे में मिला दिए गए थे और उनके सामने यह बात स्पष्ट कर दी कि इस प्रक्रिया के कारण लगभग सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए फालतू मतपत्रों का छापना अनिवार्य था तथा इसे सामान्य मान लिया जाना चाहिए। फर्मों के देखने के बाद वे इस बात से संतुष्ट मालूम होते थे कि फालतू मतपत्रों की छपाई किसी प्रकार असामान्य नहीं थी। उन्होंने उनकी उपस्थिति में उन सब मतपत्रों की, जो प्रेस में तथा गोदाम में बचे हुए थे, निर्वाचन-क्षेत्रवार छटाई करने तथा उन्हें अच्छी प्रकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की।

8. मतदान केन्द्र पर कोई मतपत्र जब मतदाता को दिया जाता है उससे पहले उस पर एक ऐसा सुभेदक चिह्न लगाया जाता है जो हर मतदान केन्द्र के लिए भिन्न तथा पृथक होता है। मतपत्र पर मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को पूरे हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं। परिणामस्वरूप कोरा मतपत्र मतदान से पूर्व किसी व्यक्ति को मिल भी जाए तो वह उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ होगा क्योंकि उसके लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह उस पर सुभेदक चिह्न लगा सके और पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर करा सके। कोरा मतपत्र हस्ताक्षर विहीन कोरे चेक के समान होगा।

9. मतदान पूरा हो जाने के पश्चात् मतपेटी पीठासीन आफिसर द्वारा मुद्राबंद की जाती है जो मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर करता है और अभ्यर्थियों के उन अभिकर्ताओं के जो हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर कराता है। उसके पश्चात् मतपेटी कपड़े के थैले में रख दी जाती है और मुख और सीवनों पर उसको भी मुद्राबंद किया जाता है। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कपड़े के थैले पर लगी मुद्राओं पर भी कराए जाते हैं। कपड़े के थैले और मुद्राएं अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में गणन स्थान पर ही खोली जाती हैं। मतपेटी को मतदान केन्द्र पर मुद्राबंद कर देने के पश्चात् उसमें कोई भी वस्तु डालना बिलकुल असम्भव होगा।

10. इन सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ कोरे मतपत्र यदि चोरी छिपे प्राप्त कर भी लिए जाते हैं तो वे किसी भी व्यक्ति के लिए किसी काम के नहीं होंगे।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): Mr. Speaker, Sir, Hon. Minister has stated that the ballot papers will be allowed to be removed from the wastepaper shed after 15th while the first wagon of this wastepapers was allowed to go on 13th. It can be verified from railway records.

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक नहीं है। चंडीगढ़ में जांच अधिकारी को यह बताया गया था कि रद्दी से भरा एक रेल का माल-डिब्बा भेज दिया गया है। उसमें किस प्रकार की रद्दी थी, इस बात की जांच मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पहला अवसर नहीं है जबकि ऐसा हुआ है। 1967 में अगर्तला में सरकारी मुद्रणालय में 2 लाख मतपत्र चोरी से और अवैध रूप से छापे गये थे । 1967 में ही काश्मीर में 110 नामांकन-पत्र रद्द कर दिये गये थे। जिससे वहां कांग्रेस को 75 में से 21 स्थान बिना चुनाव लड़े ही प्राप्त हो गये थे। चंडीगढ में केन्द्रीय सरकार का मुद्रणालय है । थोड़े-बहुत मतपत्रों के फालतू होने की बात तो संगत हो सकती है किन्तु इतनी बड़ी संख्या में मतपत्रों के फालतू होने की बात समझ में नहीं आती। इनमें से 4000 मतपत्र तो बिल्कुल सही हालत में दिखाये जा चुके हैं। नियम तो यह है कि अप्रयुक्त मतपत्रों को मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने जलाया जाना चाहिए। किन्तु यहां पर तो रेल के डिब्बे भर कर मतपत्र कागज मिल को भेजे जा रहे हैं। इसके लिये मुख्य चुनाव अधिकारी श्री भनोट पूर्णतः जिम्मेदार हैं।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य तो भाषण दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भनोट को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश न कीजियेगा। क्या सरकार इस मामले में जांच कराने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उनका सम्बन्ध इस मामले से बिल्कुल नहीं है। उनका यह कहना गलत है कि इस बार अवैध रूप से और चोरी से मतपत्र छापे गये थे। शायद उन्होंने मेरे मूल वक्तव्य को ध्यान से नहीं सुना। मैंने बताया था कि प्रत्येक मामले में कुछ मतपत्र फालतू छापना अनिवार्य होता है, क्योंकि छपाई के दौरान होने वाले रद्द मतपत्रों के लिये गुंजाइश रखनी पड़ती है। इसके लिए 5 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। कार्य को शीघ्रता से करने के लिये और खर्च में बचत के लिये सरकार के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। यह व्यवस्था सभी जगह अपनायी जाती है और हर जगह मतपत्र सरकारी मुद्रणालयों में ही मुद्रित किये जाते हैं। चुनाव आयुक्त ने यह निदेश दे दिये थे कि ऐसे मतपत्रों को बिना फाड़ें या जलाये न छोड़े जायें, किन्तु चंडीगढ़ के मामले में इस निदेश का दुर्भाग्य से पालन नहीं किया गया। यह बात मैंने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से मान ली है। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि उक्त निदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है और वह इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंड्या) : वर्तमान चुनावों में प्रतिपक्ष की जो करारी हार हुई है उससे वे लोग चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह करने लगे हैं। मैसूर में करारी मात खाने पर श्री निजलिंगप्पा और तमिलनाडु के चुनाव परिणामों को देखकर श्री राजगोपालाचारी निर्वाचन की निष्पक्षता पर संदेह कर रहे हैं। दूसरी ओर मतपत्रों पर अदृश्य स्याही या किसी रासायनिक लेप की बात की जा रही है। क्या वैज्ञानिकों से यह पता लगाया गया है कि क्या ऐसा किया जाना सम्भव है ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी बातें विचाराधीन विषय से सम्बद्ध नहीं हैं।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मुझे इस आरोप में कोई सार दिखाई नहीं देता कि मतपत्रों पर किसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया था।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने अपने वक्तव्य में प्रश्न के हर पहलू का स्पष्टीकरण दिया है। मेरे विचार से इस मामले में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि निर्वाचन के तरीकों की आलोचना करते समय प्रत्येक सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके आरोपों से देश में लोकतंत्र के नाम पर धब्बा न लगे।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : क्या यह सच है कि 13 मार्च 1971 को रेलवे बोगी संख्या 37840 जिसमें मतपत्रों की 140 गांठें थीं भोपाल के निकट संहोर स्टेशन के लिये रवाना हुई थी और फिर 21 मार्च, 1971 को बोगी संख्या 37994 जिसमें मतपत्रों की 140 गांठें थीं उक्त रेलवे स्टेशन के लिये गई थी। माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि योजना आयोग फालतू मतपत्रों को जलाने में असफल रहा है। क्या योजना आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

अनेक स्थानों पर विरोधी दलों के एजेन्टों को पोलिंग बूथ के अन्दर नहीं जाने दिया गया। मैं राजस्थान में ऐसे 100 पोलिंग स्टेशनों के नाम बता सकती हूं जिनमें विरोधी दलों के एजेन्टों को नहीं जाने दिया गया। मैं चाहती हूं कि चुनाव आयोग के विरुद्ध लगाये गये इन सभी आरोपों की जांच कराई जाये। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को प्रश्न पूछने के स्थान भाषण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक 13 मार्च, तथा 21 मार्च को मतपत्र ले जाने वाली रेलवे बोगियों का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते कि उन माल डिब्बों में मतपत्र थे। रेलवे बोर्ड को वैगनों को मार्ग में रोक कर उनकी जांच करने का आदेश दिया गया है।

चण्डीगढ़ में सरकारी प्रेस में मतपत्र छापे गये थे और यह सारा कार्य चण्डीगढ़ प्रशासन ने किया था। इस बारे में आवश्यक निदेश चुनाव आयोग द्वारा बहुत पहले जारी कर दिये गये थे। इस बात का पता लगाने के लिये यह मामूली सी भूल किस प्रकार हुई है योजना आयोग उचित कार्यवाही कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हुआ तो मुझे आशा है कि चुनाव आयोग उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि पोलिंग एजेन्ट को अन्दर नहीं जाने दिया गया। ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यदि चुनाव आयोग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग उसकी पूरी जांच करेगा।

चुनाव आयोग का गठन संविधान के अन्तर्गत किया गया है। अतः मुझे विश्वास है कि यदि उसको ऐसे किसी मामले के बारे में बताया जाता है तो वह पूरी तरह से मामले की जांच करायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में मेरे नाम का उल्लेख किया है। अतः सभा के समक्ष अपने विचार रखने का मुझे अधिकार है। क्या मुझे ऐसा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अनेक सदस्यों के नाम लिये हैं। अतः सभी को समय देना सम्भव नहीं है।

श्री शमीम अहमद (श्री नगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने 12 मतपत्र दिखाये थे जिन पर हस्ताक्षर हुये थे। उनकी जांच नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि एजेन्टों को पोलिंग बूथ के अन्दर नहीं जाने दिया गया था तो हमें यह मामला चुनाव आयोग के साथ उठाना चाहिये था। हमने चुनाव आयोग, प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति को टेलीफोन तार तथा पत्र द्वारा सूचित किया था। परन्तु किसी से कोई उत्तर नहीं मिला।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I rise on a point of order. The Hon. Minister in his statement has mentioned the names of two Ex-Members of Parliament *i. e.* of Sarvashri Balraj Modhok and Shri Chand Goyal. The Hon. Minister has stated that it appears that Shri Goyal was appeared to be satisfied with the explanation of the Deputy Chief Election Commissioner Shri Jacob. I will request you to expunge this sentence from the statement otherwise you will get letters from the concerned persons contradicting the statement and you will have to take up this matter.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वैमानिकी (एयरोनाटिक्स) समिति की सिफारिशों पर किये गये निर्णय

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं वैमानिकी (एयरोनाटिक्स) समिति की सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों का एक विवरण (हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 29/71]**

तेल और प्राकृति गैस आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, 1970, औद्योगिक अल्कोहल के मूल्य के ढांचे सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1970 के अधीन अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1969 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2060 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 30/71]**

(2) (एक) औद्योगिक एल्कोहल के मूल्य के ढांचे सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1969)।

(दो) सरकारी संकल्प 4/4/70/सी० एच० 1, दिनांक 30 जनवरी, 1971, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 31/71]

(3) उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 32/71]**

(4) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एथिल एलकोहल (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 577 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 33/71]**

(दो) सीरा नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 578 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 34/71]**

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पत्र

पेट्रोलियम, रसायन तथा अलौह धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 268 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 फरवरी, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में किया गया कतिपय संशोधन दिया हुआ है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 35/71]**

(2) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1043 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मार्च, 1970 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 36/71]**

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 37/71]

(दो) (क) भारत अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारत अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 38/71]

(तीन) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 39/71]**

संसदीय समितियां—कार्य सारांश
PARLIAMENTARY COMMITTEES—SUMMARY OF WORK

सचिव : मैं 1 जून से 27 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि के लिये संसदीय-समितियों—कार्य का सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना सभा को देनी है।

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1971 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1971 को पास किये गये विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1971 को पास किये गये विनियोग (रेल) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1971 को पास किये गये मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1971 को पास किये गये मणिपुर विनियोग विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 (झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचन की तारीख आरम्भ होने वाले कार्य-काल के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 (i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाले कार्य-काल के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कुछ दिन पूर्वसभा में यह चेतावनी दी गई थी कि बरौनी क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। सभी सेवाएं अब अस्तव्यस्त हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। माननीय मन्त्री अभी इस बारे में वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं उनका ध्यान पहले ही इस मामले की ओर दिला चुका हूं। परन्तु कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय रेलवे मन्त्री को इस बारेमें एक वक्तव्य देना चाहिए।

संसद कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं रेलवे मंत्री तक यह सूचना पहुंचा दूंगा।

सभा की कार्यवाही के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have read in the newspaper that the House is going to be adjourned on the 2nd April. May I know the reasons for doing so.

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य यह चाहते थे कि 5, 6 तथा 7 अप्रैल को सभा का सत्र न बुलाया जाये। कुछ अन्य सदस्य अप्रैल के मध्य में सत्र नहीं चाहते थे। अतः हमने कार्यसूची का पुनर्विलोकन कर यह निश्चय किया कि सभा को 2 अप्रैल को ही स्थगित कर दिया जाये। यह बात सभा के समक्ष रखी गई थी तथा सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था।

पूर्व पाकिस्तान की स्थिति के बारे में
RE. SITUATION IN EAST PAKISTAN

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, let me make another submission. The people of the entire country, along with this House, have expressed their serious concern on the recent developments in East Pakistan. The Prime Minister is also present in the House. I request her that a resolution should be passed in the House expressing our sympathy and solidarity towards the people of East Pakistan. I feel it is not a matter pertaining to a particular party. Such a resolution should be brought here and all of us should support it.

Mr. Speaker : After that statement so many speeches have been made in the House and it was almost a full debate. Therefore that should be taken as a motion.

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह डिबेट की बात नहीं है। ढाका चटगांव और अन्य जगहों पर टैंकों और मशीनगनों से हजारों व्यक्तियों का कत्ल हुआ है। इस नरसंहार के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या कह रही हैं ? हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस जनसंहार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि गोहाटी से कलकत्ता जाने वाले विमान को जिसमें यात्री थे, पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना में इसका उल्लेख किया है। असैनिक उड्डयन मंत्री कृपया इस बारे में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइये। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री समर गुह : हमारे सम्बन्धी वहां रहते हैं जिनकी हत्या की जा रही है। पाकिस्तानी सेना भारत के नागरिकों की भी हत्या कर रही है। महोदय, क्या हम यहां इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें तथा वहां हजारों व्यक्तियों का संहार होता रहे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस अमानवीय नरसंहार को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं। मैं दृढ़ता से इस बात का समर्थन करता हूं कि सदन को पूर्व बंगाल की जनता के प्रति पूरी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री समर गुह : मैं नहीं बैठूंगा। सीमा पर मेरे भाइयों की नृशंस हत्या की जा रही है। मेरा मन अत्यन्त दुखी है ढाका की सड़कों पर हजारों व्यक्तियों की हत्या की जा रही है। वहां माताओं, बहनों और बच्चों का बध किया जा रहा है और हम यहां चैन से बैठे हैं। अगर आप ढाका से आये होते तो आपकी प्रतिक्रिया भी भिन्न प्रकार की होती।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : महोदय ! यह सच है कि प्रधान मंत्री ने दो दिन पहले एक वक्तव्य दिया था। किन्तु अब वहां स्थिति बदल गई है। पूर्व बंगाल में अस्थायी सरकार बनी है तथा वहां पर लड़ाई भी भयंकर चल रही है। प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि जब भी कोई स्थिति उत्पन्न होगी, मैं कुछ कहूंगी। अतः इस स्थिति में प्रधान मंत्री को बंगला देश—पूर्व पाकिस्तान की जनता के प्रति अपनी एकता और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कुछ करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : महोदय ! श्री गोपालन ने सच ही कहा कि वहां की स्थिति में अब भारी परिवर्तन आ रहा है। इसके अतिरिक्त मैं दो सुझाव और देना चाहता हूं।

पहले तो मैं श्री बाजपेयी द्वारा उठाये गये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि सदन के स्थगित होने से पूर्व एक संकल्प लाया जाये जिसमें सदन की भावनाओं को व्यक्त किया जाय और उसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये। इस संकल्प का मसौदा सभी दलों के परामर्श से तैयार किया जा सकता है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद भी नहीं है।

मेरे विचार से अब सदन मई के समाप्त होने से पूर्व नहीं बैठेगा, अतः इस समय बंगला देश की जनता को कम से कम इतना तो ज्ञात हो ही जाना चाहिए कि भारत की संसद ने हमारा हृदय से समर्थन किया है। मेरे विचार से इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सदन के स्थगित होने से पूर्व, अर्थात् 2 अप्रैल को इस समस्या पर पुनः विचार किये जाने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सम्भव है तब तक स्थिति में कोई और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाये।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने सदन में यह वचन नहीं दिया था कि मैं दूसरा वक्तव्य दूंगी। मैंने यह कहा था कि मैं विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श करूंगी। मुझे इस प्रकार के संकल्प पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु हमें यह परस्पर मिलकर निश्चित करना होगा कि हमें क्या करना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय ! इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तेजी से बदलती हुई इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन की बैठक मई मास के अन्त में बुलाने की अपेक्षा शीघ्र ही बुला ली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : दलों के नेताओं की बैठक बुलाई जा रही है । इन विषयों पर वही विचार विमर्श कर लिया जायेगा ।

कोयला श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक
COAL LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण
STATEMENT RE. LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 40/71]**

उड़ीसा बजट 1971-72—सामान्य चर्चा तथा लेखानुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1971-72
ORISSA BUDGET, 1971-72—GENERAL DISCUSSION DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (ORISSA), 1971-72 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (ORISSA) 1971-72

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : महोदय ! उड़ीसा के कुछ संसद-सदस्यों को कुछ अधिक समय दिया जाये ।

वर्ष 1970-71 के उड़ीसा राज्य विधान सभा के लिए हुए चुनावों से स्पष्ट हो गया है कि वहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है जिससे वह अपनी सरकार बनाये । अतः केवल यही विकल्प है कि वहां मिली जुली सरकार बने । डा० महताब को नई कांग्रेस का नेता चुना गया था तथा उन्होंने वहां सरकार बनाने का प्रस्ताव किया था क्योंकि उनके अनुसार सदन में उनका बहुमत था ।

इसी सम्बन्ध में राज्यपाल की 22 मार्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि डा० महताब ने कहा कि सरकार बनाने के लिये मुझे बहुमत मिल सकता है । राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया है कि इसके पश्चात् उन्होंने डा० महताब से उत्कल कांग्रेस के और उन सदस्यों के नाम मांगे जो डा० महताब का समर्थन करना चाहते थे । किन्तु उन्हें अभी तक कोई सूची नहीं मिली है ।

इससे ज्ञात होता है कि डा० महताब उन सदस्यों का समर्थन पाने का प्रयास कर रहे थे तथा उनको पदों का लालच दे रहे थे । मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस हाई कमान ने डा० महताब को सरकार बनाने की कैसे अनुमति दे दी ।

अब मैं दल बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसकी नियुक्ति 8 दिसम्बर, 1968 को इसी सदन द्वारा की गई थी । समिति ने अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त यह भी सिफारिश की है कि दल बदल को दण्डनीय अपराध माना जाये । समिति की नियुक्ति के समय सदन में दल बदलने की समस्या पर भारी चिन्ता व्यक्त की गई थी । समिति ने संकेत दिया है कि भारत की राजनीति में दल बदल के मामले बहुत बढ़े हैं तथा पहले से चौथे आम चुनावों की अवधि में लगभग 542 मामले हुये हैं जिनमें से उन 12 महीनों में कम से कम 430 सदस्यों ने दल बदल किया है । यह चिन्ता का विषय है कि आज दल बदल की यह प्रक्रिया इतनी प्रबल क्यों हो गई है । यह चिन्ता का विषय है कि उड़ीसा में लोकप्रिय सरकार बनने में इतनी देर क्यों लगाई गई है । क्या यह सच नहीं है कि दल बदल करने के लिये यह जानबूझकर अवसर दिया जा रहा है । प्रजातन्त्र प्रणाली के लिये यह नीति घातक है ।

इसी बीच उत्कल कांग्रेस, स्वतन्त्र और झारखण्ड के सदस्यों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया तथा उन्होंने श्री विश्वनाथ दास को अपना नेता चुनकर 136 सदस्यों की सभा में 73 सदस्यों का बहुमत प्राप्त किया । उस समय वहां चार सीटें रिक्त थीं । ऐसी स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि वहां से राष्ट्रपति शासन को वापस लिया जाये तथा वहां लोकप्रिय सरकार बनने का अवसर दिया जाये । यदि उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन को ही स्थाई बनाना है, तो वह उसी प्रकार का कार्य होगा जैसे जनरल याह्या खां का पूर्व बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना ।

मैं राष्ट्रपति शासन के दौरान उड़ीसा में की गई कुछ भूलों का उल्लेख भी करना चाहूंगा ।

कुछ समय पूर्व विपक्ष के नेता द्वारा मंत्रियों तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे । तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इन सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश जांच के लिये सौंप दिया था । न्यायाधीश मधोलकर ने अन्य सभी मंत्रियों को निर्दोष ठहराते हुए डा० महताब को भ्रष्टाचार तथा शक्ति के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराया है । मैं उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश सुनाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखें ।

(इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock)

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं बता रहा था कि न्यायाधीश मुधोलकर ने अपनी रिपोर्ट में जोरदार शब्दों में बताया था कि डा० मेहताब के विरुद्ध जो गम्भीर आरोप लगाए गये हैं, उनकी जांच की जानी चाहिये । यह सार्वजनिक हित में है और स्वयं डा० मेहताब के भी हित में है । मगर यह आश्चर्य की बात है कि डा० मेहताब ने इस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने के लिए बहुत अधिक कोशिश की है । उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की, परन्तु उक्त न्यायालय ने इस की अनुमति नहीं दी । पहले की सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधीश सरजू प्रसाद को नियुक्त किया था । परन्तु क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू था अत: जांच नहीं की जा सकी । राज्यपाल ने पक्षपात पूर्ण ढंग से काम किया और जांच आयोग को काम ही नहीं करने दिया । अत: उड़ीसा की जनता की ओर से मैं मांग करता हूं कि राज्यपाल को वापस बुलाया जाय ।

संयुक्त मोर्चा सरकार की कार्यसूची में इसकी जांच करने का काम भी शामिल था । परन्तु घटक दल अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोने लगे । संयुक्त मोर्चा सरकार इसके परिणामस्वरूप गिर गई । उस वक्त इन घटक दलों ने स्वतंत्र दल पर केन्दु पत्रों की बिक्री के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये । मुख्यमंत्री ने श्री पवित्र मोहन प्रधान को, जिन्होंने आरोप लगाया था, इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया । मगर श्री प्रधान ने भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोया । श्रीमती नंदिनी सत्यपथी की और मेहताब की सांठगांठ के फलस्वरूप संयुक्त मोर्चा सरकार गिर गई ।

वित्त मंत्री ने बजट के वक्तव्य में कहा है कि मैं आशा करता हूं कि राज्य के विकास के लिए भविष्य की सरकार इसी प्रकार के अन्य कदम उठायेगी और राज्य देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ प्रगति की ओर बढ़ेगा । मैं "ये और इसी प्रकार के अन्य कदम" पर खास जोर डालता हूं क्योंकि इन शब्दों से पता चल जाता है कि भूतपूर्व सरकार ने जो विभिन्न कार्य किये हैं, भारत सरकार ने उसके लिए सरकार को एक प्रकार का प्रमाणपत्र दे दिया है इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जब उड़ीसा में भूतपूर्व सरकार सत्तारूढ़ हुई थी, तब 22 करोड़ रुपया का ओवरड्राफ्ट था । संसाधनों का उचित संचालन, और वित्तीय अनुशासन का पालन करने से उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को सरकार ने सुदृढ़ कर दिया । मगर एक बात पर मुझे दुख है कि इस बजट में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गई है । भारत सरकार के पास कई लाइसेंस विचाराधीन पड़े हैं, मगर अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । दूसरे इस्पात के कारखाने के बारे में भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इसके लिए आवश्यक संसाधन

उपलब्ध हैं और इसकी संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया है। मगर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

कई नदी घाटी परियोजनाओं तथा अन्य विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी बजट में नहीं किया गया है। मैसूर, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच कृष्णा और गोदावरी के जल के वितरण का मामला अब भी न्यायाधिकरण के विचाराधीन है। इस बजट में बहुद्देशीय इन्द्रावती परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में कोई संकेत नहीं है। परियोजना से सस्ती दर में बिजली पैदा की जा सकती है और राज्य के 4 लाख सूखापीड़ित क्षेत्रों की सिंचाई भी की जा सकेगी।

अतः इन सारी बातों को देखते हुए मुझे यह कहना पड़ता है कि यह बजट निराशाजनक है। मगर भारत सरकार के लिए उड़ीसा की सारी समस्याओं और लोगों की सभी आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से अवगत होना भी कठिन है। इसीलिये हम चाहते हैं कि शीघ्र ही वहां राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए और लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): हाल में हुए मध्यावधि चुनाव में जनता ने प्रतिक्रियावादियों को करारी मात दी है। भारत के राजनैतिक आकाश में शांति के बादल छा गए हैं। उड़ीसा में भी दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों और सामंती तत्वों का मूलोच्छेदन किया गया है। मगर वहां का राजनैतिक भविष्य कुछ अस्पष्ट सा बना हुआ है। मैं आशा करता हूं कि उत्कल कांग्रेस के प्रगतिशील युवक समय के साथ कदम बढ़ायेंगे और प्रतिक्रियावादियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको समझकर जनता को बचायेंगे।

केन्द्रीय सरकार उड़ीसा के लिए लेखानुदान प्रस्तुत कर रही है। उड़ीसा के बहुमुखी विकास कार्यों के प्रति, उसके सामाजिक पुर्ननिर्माण के प्रति केन्द्रीय सरकार का खास उत्तरदायित्व है। वहां के सभी सरकारी उपक्रमों का कार्य ठीक से नहीं चल रहा था क्योंकि एकाधिकारवादी इसके विरुद्ध काम कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई। प्रायः सभी मुख्य विकास कार्य रुक गये। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिला। हजारों कर्मचारियों की छंटनी हो गई। छात्रों को गोली से उड़ा दिया गया। हजारों छात्रों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि स्वतन्त्र मंत्रिमंडल ने जनता के साथ जो गलतियां की थीं, उन्हें राष्ट्रपति शासन काल में ठीक करने की कोशिश करें। प्रतिक्रियावादी लोगों ने राज्यपाल के विरुद्ध जो भी आरोप लगाये हों, उन्होंने जो कदम उठाया हो, वह ठीक ही है। अगर उड़ीसा में किसी दल को सरकार बनाने का अधिकार है, तो वह कांग्रेस दल को है, जिसे अन्य सभी प्रगतिशील दलों का समर्थन प्राप्त है।

केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति शासन काल में मुख्य विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय का ध्यान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की ओर आकृष्ट करता हूं। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को इस प्रकार किया जाये जिससे देहाती क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो सकें। मेरी आशा है कि उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार करों का अधिक हिस्सा देगी। मैं सरकार का ध्यान श्री बलिराम भगत द्वारा 6-8-70 को दिये गए आश्वासन

की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि इस्पात कारखाने के लिए शीघ्र ही जगह चुनी जाएगी । आशा है कि इस आश्वासन का पालन किया जाएगा । मैं जानता हूं कि उड़ीसा की जनता की मांग के प्रति प्रधानमंत्री को पूरी सहानुभूति है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश का योजना परिव्यय 344.78 करोड़ रुपये था जो चौथी योजना में 360.55 करोड़ हो गया है । तीसरी योजना में आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सरकार की सहायता 220 करोड़ रुपए थी जो चौथी योजना में 240 करोड़ हो गई । तीसरी योजना में तमिलनाडु का योजना परिव्यय 342.33 करोड़ रुपए था जो चौथी योजना में तमिलनाडु को केन्द्रीय सरकार से 186.80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए । जो चौथी योजना में 202 करोड़ रुपए हो गए । तीसरी योजना में पश्चिम बंगाल का योजना परिव्यय 300.48 करोड़ रुपए था जो चौथी योजना में 320.57 करोड़ रुपए हो गया । पश्चिम बंगाल को तीसरी योजना में केन्द्रीय सहायता 155.10 करोड़ रुपए की थी जो चौथी योजना में 221 करोड़ रुपए हो गई । परन्तु उड़ीसा में यह केवल 160 करोड़ रुपए है । यह एकदम अपर्याप्त है । अत: केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए । सरकार को जनता की आकांक्षाओं को निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए ।

उड़ीसा में 46,000 गांव हैं । अब तक केवल 1100 गांवों का ही विद्युतीकरण किया गया है । अगर इस रफ्तार से हम काम करेंगे, तो दो सौ वर्षों में भी हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं । चौथी योजना में यह निर्णय किया गया था कि 1973-74 तक 400 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा । इसके लिए हर साल 1200 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए था । अत: मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में तेजी से काम करें । इस संदर्भ में मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं । जब दक्षिण पूर्वी रेलवे अधिकारियों ने उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड से मांग की थी कि 20 स्टेशनों को बिजली प्रदान की जाए जिस से कम से कम 50 गांवों को भी लाभ हो । मगर बोर्ड ने अधिक शुल्क की मांग की और रेलवे अधिकारियों ने इनकार किया । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

उठाऊ सिंचाई योजना के बारे में मैं दो तीन शब्द कहूंगा । उड़ीसा में जल प्रभूत मात्रा में उपलब्ध है । वहां नदियों का पानी और भूमिगत जल दोनों उपलब्ध है । महानदी में बहुत अधिक पानी है । मगर हर साल राज्य में सूखा पड़ता है । स्वतन्त्र सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है । अत: राष्ट्रपति शासनकाल में इस दिशा में शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए । वैसे ही जिलों के विकासकार्य में पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए । सभी 13 जिलों के कार्यों में समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

एक अन्य बात पम्प सेटों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में है । 20,000 पम्पों के विद्युतीकरण की एक योजना तैयार की जानी चाहिए । इसके लिए अतिरिक्त 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी । चौथी योजना में उड़ीसा को 160 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी । अगर इसको 300 करोड़ तक बढ़ा दिया जाए तो उससे 30 करोड़ रुपए ग्राम विद्युतीकरण और पम्प सेटों के विद्युतीकरण के लिए खर्च किया जा सकता है । इससे बहुत अधिक फायदा हो सकता है । बिजली के बारे में भी मैं एकाध शब्द कहूंगा । इस समय राज्य विद्युत बोर्ड केवल एक करोड़ रुपये

खर्च कर रहा है। आगामी वर्षों में उन्हें 10 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आशा है कि राष्ट्रपति शासनकाल में सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी। उड़ीसा वर्षों से उपेक्षित रहा है। उड़ीसा में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। सिमेंट, लोहा का प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत कम है आशा है कि भारत सरकार उड़ीसा के मामले में सहानुभूति पूर्ण रुख अपनायेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1971-72 के लिये उड़ीसा के लिये इस सदन में उस समय बजट पारित करना है, जब राज्य में विधान सभा का निर्वाचन हो चुका है, यह अत्यन्त खेद का विषय है। यदि उड़ीसा के लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बजट पारित किया जाता तो मैं समझता हूं उचित रहता।

जब हम लोक सभा के इस सत्र में आये थे तो हमें बताया गया था कि हमें केवल मणिपुर का बजट पारित करना होगा परन्तु अब तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मैसूर के मामले भी आ गये हैं।

सत्तारूढ़ दल की राजनैतिक कलाबाजियां ही कुछ ऐसी हैं कि मालूम नहीं कितने राज्यों का भाग्य इस प्रकार का होगा।

शिक्षा के लिये जो धनराशि रखी गई है, वह कुल बजट के 10 प्रतिशत से भी कम है जो उचित नहीं है। भारत का निरक्षरता के मामले में विश्व में ऊंचा स्थान है। सारे विश्व के 70 करोड़ निरक्षर लोगों में से भारत में उनमें से 50 प्रतिशत लोग हैं और उड़ीसा भी भारत का प्रदेश होने के कारण पर्याप्त संख्या में निरक्षर हैं।

इस बजट में अध्यापकों की मांग के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

उड़ीसा, जो चेचक, कोढ़ आदि का घर है, के जन स्वास्थ्य के लिये आवंटित किया गया धन भी निराशाजनक है। उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है। परन्तु बजट से स्पष्ट है कि ये संसाधन राज्य के लाभ के लिए काम में नहीं लाये जाने वाले हैं।

उड़ीसा के आदिवासियों के कल्याणार्थ अधिक धन की आवश्यकता की जानी चाहिए।

बजट में कोई 'नयापन' नहीं है और श्रमरत गरीब जनसमुदाय की दशा अधिक अच्छी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये जो घटनाएं उत्तरदायी हैं, वे जानी-पहचानी हैं। उड़ीसा की विधान सभा में जनमत कांग्रेस दल के काफी पक्ष में था। फिर भी कांग्रेस दल ने वहां सरकार बनाने की कोशिश की क्योंकि यह ही एकमात्र दल ऐसा था जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त थे। दूसरे दलों ने कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कम करके अपने दलों के सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहा।

जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति शासन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया। मेरा अनुरोध है कि संयुक्त विधायक दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि

यह एक अवसरवादी दल है और सत्ता में बने रहना चाहता है। यह प्रजातन्त्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अच्छा उदाहरण नहीं होगा। उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन जारी रहना चाहिए और स्पष्ट जनमत प्राप्त करने के लिए एक बार मध्यावधि चुनाव और कराये जाने चाहिए।

उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यदि समाजवाद का कोई सही अर्थ है तो वहां पर लोगों में व्याप्त असमानता को दूर किया जाना चाहिए।

इस असंतुलन को दूर करने तथा उड़ीसा को भारत के शेष भागों के समान बनाने के लिए केन्द्र को वहां से गरीबी हटाने की योजना तैयार करनी चाहिए।

आर्थिक सर्वेक्षणों के प्रतिवेदनों में भी उड़ीसा को देश के शेष भागों के बराबर लाने के लिए कहा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिए 222 करोड़ रुपये दिये गये हैं जो उड़ीसा को देश के शेष भागों के बराबर लाने के लिए योजना का पांचवां हिस्सा है।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, हरियाणा, मद्रास तथा केरल ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है परन्तु उड़ीसा के 47,000 गांवों में से अभी तक केवल 1,100 गांवों को बिजली दी गई है। इसका भी चौथी योजना का लक्ष्य उड़ीसा के लिए काफी कम है।

किसी देश की प्रगति अथवा जिसे हम समाजवाद कहते हैं, वह विद्युतीकरण पर निर्भर करता है। इस देश में समाजवाद लाने के लिए अधिकतम गति से विद्युतीकरण करने की आवश्यकता है। अतः उड़ीसा में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

दूसरी परियोजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य में बहुत बड़ा सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है। सिंचाई वहां की प्रमुख आवश्यकता है। वहां पर विशेषकर उठाऊ सिंचाई परियोजना चालू की जानी चाहिए ताकि जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं हुई है, वहां सिंचाई की जा सके।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र कटक कहने को 'शहर' है और उड़ीसा का प्राचीन शहर है परन्तु वहां मल-मूत्र निस्सारण के लिए नाम मात्र को भी नालियां नहीं हैं। शहर में एक सुधार न्यास है जो गत 6 वर्ष से कार्य कर रहा है। राज्य के पास योजना क्रियान्वित करने के लिए धन नहीं है और न ही केन्द्र की ओर से कोई सहायता मिल रही है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कलकत्ता की तरह कटक की ओर भी विशेष ध्यान देते हुए थोड़ा धन आवंटित करें।

उड़ीसा के केवल आठ जिलों पर ध्यान दिया गया है। सभी 13 जिलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वहां पर चहुंमुखी विकास किया जाना चाहिए।

यदि इस देश में रूस के समाजवाद की भांति सभी क्षेत्रों को समान बनाना है तो जो बहुत समय से पिछड़े हुये पड़े हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): Mr. Deputy Speaker, Sir, no change is visible in the Budget for Orissa. There should have been a glimpse of change in the Budget brought forward by the Central Government. The people of Orissa demanded Steel Plant but it appears from the Budget for the State that their demand is not being fulfilled.

Much has been said about the backwardness of the State in the House but the people of Orissa have not elected the persons who wanted to keep them in that very miserable condition. I have come to know that Orissa is rich in natural resources. The Geological Survey of India submits its report of surveys which are conducted by it at various places but it does not mine out the minerals where they are available. I would like to request the Hon. Minister to harness the natural resources and exploit the minerals.

It is regrettable that inspite of the availability of electricity it is not being properly distributed. In Haryana each and every village has been electrified. I do not want to give figures but the slow speed of electrification work shows that neither the former Government] of Orissa could bring any progress nor the Central Government is going to take any further step in this regard. The condition of the industrial labour and skilled labour there has not been improved.

A deficit of Rs. 7 crores 66 lakhs has been shown in the Budget. There are huge arrears outstanding against big capitalists. Why these arrears are not realized? The Government must show deficit in the Budget only after realizing the arrears. This is a question of realizing public money and it must be realized.

The betterment of the tribal, backward minorities of Orissa has been discussed here time and again but this Budget does not show what steps have been taken for giving them any facility. Their condition must be improved.

श्री जगन्नाथ राव (छत्रपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास वे कौन से संसाधन हैं जिससे राज्य के विकास कार्य शीघ्रता से पूरे हो सकें।

यह खेद का विषय है कि उड़ीसा की पहली सरकार ने सभी जोतों से राजस्व समाप्त कर दिया। अच्छा होता यदि यह राजस्व अलाभप्रद जोतों से समाप्त किया होता जैसा कि दूसरे राज्यों ने किया है। धनीवर्ग के लोगों को भूमि के बहुत बड़े भाग से भी राजस्व समाप्त कर दिये जाने के कारण राज्य को 5, 6 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि हुई है। यदि इतना राजस्व सरकार को प्राप्त होता और इसी राशि के बराबर केन्द्र से भी अनुदान प्राप्त होता जिसे योजना कार्यों में लगाया जा सकता है। राज्य सरकार ने भूराजस्व को हानि को धोखे से भूमि-उपकर बढ़ाकर पूरा करना चाहा परन्तु उसमें सफलता नहीं मिल सकी।

उड़ीसा में बहुत सी नदियां होने के कारण वहां सिंचाई की श्रेष्ठतम सुविधायें उपलब्ध हैं। खेद का विषय है कि थोड़े से भूभाग को ही सिंचाई योग्य बनाया गया है। सिंचाई की सभी बड़ी योजनाओं का लाभ समतल प्रदेश को पहुंचता है और नदी तट से दूर के प्रदेश इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इन प्रदेशों में सिंचाई की सुविधायें तभी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जबकि जलाशय आदि बनाये जायें। राज्य के आदिवासी, हरिजन तथा निर्धनवर्ग के व्यक्ति जो नदीतट से दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, वे भूमि सिंचाई की सुविधाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते। अतः राज्य सरकार का, जब भी कभी सिंचाई योजना के संदर्भ में विचार करे, यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचे।

राज्यों में जो जलाशय बनाये गये, उनकी रेत आदि निकलवाने की ओर सरकार को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। गंजम जिले में जो जलाशय है, उसमें रेत बहुत अधिक बढ़ गयी है

और पानी बहुत कम हो गया है। इस ओर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसा कि बजट में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो आने वाले 10 वर्षों में लगभग आधे जिले की सिंचाई करने वाला जलाशय बेकार हो जायगा।

आज सभी हरी क्रान्ति की बात करते हैं और यह प्रसन्नता का विषय है कि इस क्रान्ति के फलस्वरूप उपज में वृद्धि हुई है। परन्तु यह हरी क्रान्ति केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जो सिंचाई परियोजनाओं के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। तट से दूर की भूमि की सिंचाई के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। सिंचाई की बड़ी योजनायें बनाते समय अन्तर्देशीय प्रदेश की भूमि में सिंचाई की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

उड़ीसा एक खनिज प्रदेश है। यहां सीसा, निकल तथा उत्तम कोटि के लौह अयस्क के भंडार हैं, राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह संसाधनों का पता लगाये और राज्य को विकसित करे। पहली सरकार ने इन खनिज क्षेत्रों को दूसरे राज्यों के निजी उद्यमियों को दे दिया। यह नीति ठीक नहीं थी। मूल खनिजों का पता राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिये, इस प्रकार जो राजस्व उपलब्ध हो, उसे राज्य के विकास कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिये। राज्य सरकार जब अपने संसाधनों में वृद्धि करने योग्य हो जाय, तभी वह केन्द्रीय सहायता के लिये निवेदन कर सकती है। खनिज संसाधनों के विकास कार्य को राज्य सरकार स्वयं करे अथवा केन्द्र के साथ मिलकर इसे पूरा करे। यह कार्य गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिये।

तिब्बती शरणार्थियों को उड़ीसा में बसाया गया। हमें प्रसन्नता है कि विस्थापितों को पुनर्वासित किया गया है। परन्तु इनके पुनर्वास के लिये आदिवासियों की भूमि ली गयी जिसमें वे खेती करते थे। इन आदिवासियों को उनकी भूमि के लिये न कोई मुआवजा दिया गया, न ही उसके बदले में कोई भूमि। उनसे कहा गया कि उनके पास भूमि स्वामित्व का प्रमाण न होने के कारण वे मुआवजे के अधिकारी नहीं हैं। कई पीढ़ियों से ये लोग उस भूमि में खेती कर रहे थे। वास्तविक अर्थों में उनके पास स्वामित्व का कोई प्रमाण पत्र नहीं था परन्तु पहाड़ियों तथा जंगलों की भूमि पर इनका कब्जा था। क्या इन लोगों को उनकी भूमि के बदले की भूमि नहीं दी जानी चाहिये? ऐसा नहीं होना चाहिये कि विस्थापितों को तो पुनर्वासित कर दिया जाय और ये आदिवासी बेघरबार घूमते फिरें। इन्हें भूमि दी जानी चाहिये जिसमें ये लोग खेती कर सकें तथा अपनी झोपड़ियां बना सकें। आदिवासियों की भूमि के सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहियें।

राज्यों को केन्द्रीय नीति का अनुगमन करना चाहिये। भूमिहीनों को भूमि दी जानी चाहिये। निर्धन व्यक्तियों के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। क्योंकि ये सभी विषय राज्य सूचि के अन्तर्गत आते हैं। अतः राज्यों को केन्द्रीय नीति का अनुगमन करते हुये इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये अन्यथा केन्द्र सरकार को चाहिये कि जो राज्य केन्द्रीय नीति का अनुगमन नहीं करते हैं, उन्हें कोई सहायता न दे।

जहां तक गांवों में बिजली प्रदान करने के कार्य का सम्बन्ध है, उड़ीसा सरकार ने इस

ओर कुछ कार्य किया है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह यह कि यदि कोई किसान नलकूप आदि बनाना चाहता है तो उसे 4,000 रुपये की राशि जमा करानी पड़ती है। यदि इस कार्य में वह सफल हो जाता है, पानी ठीक प्रकार से निकल आता है, तब 2,000 रुपये किसान को वापस कर दिये जाते हैं और 2000 की राशि राज्य द्वारा ले ली जाती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि पानी निकालने आदि का कार्य सरकार की तरफ से किया जाय, यदि सफलता मिल जाती है, तब किसान 2,000 रुपये प्रसन्नतापूर्वक जमा करा सकता है।

उड़ीसा सरकार को पानी की दरें बढ़ा देनी चाहिये। वहां के किसान ऊंची दरें देने को तैयार हैं परन्तु उन्हें पानी मिलना चाहिये। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा जिससे सिंचाई के लिये अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

आन्ध्र तथा उड़ीसा सरकार संयुक्त रूप से बाली मेला विद्युत् परियोजना का निर्माण कर रही हैं। यह निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। राज्य सरकारों तथा योजना आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

गोपालपुर पत्तन पर भी कार्य तेजी से किया जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): यह बजट उड़ीसा विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परन्तु यह लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है हम इसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते।

मैं उड़ीसा की राजनैतिक स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उड़ीसा विधान सभा को अनिश्चित काल तक के लिए विघटित नहीं किया जाना चाहिये था और इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार को अपनी अनुमति नहीं देनी चाहिये थी।

प्रसन्नता का विषय है कि सत्ताधारी दल को बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ है परन्तु इस विजय पर राजनीति के महान् उद्देश्यों को बलि नहीं चढ़ाया जाना चाहिये। यदि ऐसा होता है तो वह भविष्य में एक परम्परा बन जायेगी जो सभी के लिये हानिकारक सिद्ध होगी।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने 9 जनवरी को त्याग-पत्र दे दिया था। वहां के राज्यपाल ने मुख्य मंत्री से तब तक अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया जब तक कोई वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं कर लिया जाता। परन्तु मुख्य मंत्री ने अपनी कुछ शर्तें रखीं जिन्हें स्वीकार कर सकना राज्यपाल के लिये सम्भव नहीं था। इस वातावरण में राज्य में राष्ट्रपति शासन 9 जनवरी को ही घोषित कर दिया जाना चाहिये था जब कि यह 11 जनवरी को किया गया।

राज्यपाल द्वारा जो तार द्वारा सूचना दी गई है उसे सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये था क्योंकि न तो संवैधानिक प्रक्रिया और न ही सदन को प्रक्रिया के अनुसार ऐसा करने की अनुमति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें बताया जाता है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था टूट गई है। तार द्वारा भेजी जाने वाली सूचना के लिये संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी सूचना पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी।

राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में कोई संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री से आग्रह किया गया कि वह अपने पद पर बने रहें और मुख्य मंत्री ने अपने पद पर बने रहना स्वीकार नहीं किया। तब यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि राज्यपाल मुख्य मंत्री के सामने कुछ शर्तें रख सकता है? मुझे विश्वास है कि सदन मेरे मत से सहमत होगी कि उड़ीसा राज्य में संवैधानिक गतिरोध पैदा किया गया। सरकार को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना चाहिये और इस सदन को इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद 356 खण्ड 3 के अनुसार यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो दो माह के अन्दर संसद् द्वारा इसकी स्वीकृति दी जानी आवश्यक है। उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन को दो माह से अधिक हो गये हैं परन्तु सदन द्वारा उसको अभी स्वीकृत नहीं कराया गया है। कहने को तो यह कहा जा सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार केवल 13 दिनों के लिये दूसरी लगभग दो माह के लिये लागू रहा। तीसरे समय के लिये यह कहा जाता है कि यह स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। राष्ट्रपति शासन लागू रखने के लिये सरकार ऐसे तर्क देती है। लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक व्यवस्था या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार झुठलाया जाना उचित नहीं है।

भारत सरकार ने राज्यपाल को ऐसा अनुदेश देने में, कि वह उड़ीसा विधान सभा को बुलाये और बहुमत दल के नेता से सरकार बनाने के लिये कहे, इतना समय क्यों लगाया। जैसा कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि इस राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 51 है। मेरे विचार में डा० मेहताब को तब तक नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाये जब तक कि उनको अभियोगों से मुक्त नहीं कर दिया जाता है उनके विरुद्ध लगाये गये गम्भीर आरोपों की जांच करने के लिये मुधोलकर आयोग बैठाया गया था। डा० मेहताब दावा करते हैं कि उन्हें 70 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। जब राज्यपाल ने उन्हें मंत्रियों के नामों की सूची देने को कहा तो वे ऐसा करने में असफल रहे।

यह भी धमकी दी गई कि यदि विरोधी दल मंत्रि-मण्डल बनाने में उनका साथ न देंगे तो मध्यावधि चुनाव कराये जायेंगे। इसी बीच तीन अन्य दलों ने आपस में मिलकर राज्यपाल से मंत्रि-मण्डल बनाने की अनुमति मांगी है यह सभा जानना चाहती है कि क्या राज्यपाल राजनीति में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं तथा वे क्यों नहीं बहुमत दल को मंत्रि-मण्डल बनाने के लिये आमंत्रित करते हैं।

मैं अब आपका ध्यान बजट के महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाऊंगा, वित्त मंत्री महोदय ने बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान कहा कि सरकार क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना चाहती है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में सरकार के मन्तव्य को बताने वाला यह उड़ीसा का बजट है।

केन्द्र ने उड़ीसा का 1971-72 का वार्षिक योजना का बजट 32.36 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। उड़ीसा की जनसंख्या 2 करोड़ है जिसमें से एक बड़ा भाग ऐसा है जिन्हें जनता पिछड़े वर्ग के नाम से पुकारती है। मैं चाहता हूं कि उड़ीसा के लिये पिछड़ापन शब्द का प्रयोग न किया

जाये, यह एक सापेक्ष शब्द है। उड़ीसा पिछड़ा हुआ नहीं है अपितु केवल सत्ता ही इसे पिछड़ा हुआ तथा अविकसित बनाये रखना चाहती है। केन्द्र ने इसे 1971-72 के लिये 32.36 करोड़ दिया है। उड़ीसा की जनसंख्या 2 करोड़ है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 50 लाख है। भारत सरकार ने उसके लिये 32 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं और योजना आयोग ने दिल्ली की वार्षिक योजना के लिये 5 करोड़ रुपये और अधिक देने का वचन दिया हुआ है। केन्द्र ने पश्चिम बंगाल को, जिसकी जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है, 1971-72 के लिये 40 करोड़ रुपये दिये हैं।

मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जहां सिचाई सम्बन्धी कोई सुविधाएं नहीं हैं तथा वहां सूखा की स्थिति प्रति वर्ष आती रहती है। दिल्ली में आने पर मैं यह देख रहा हूं कि उड़ीसा के सूखे खेतों में पानी देने के लिये अपेक्षित धनराशि की तुलना में यहां के फव्वारों के लिये काफी धन व्यय किया जा रहा है। मैं यह भी देख रहा हूं कि ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम की अपेक्षा मकबरों में रोशनी करने के लिये बिजली पर अधिक व्यय किया जा रहा है।

यदि सरकार के क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के दावे का खोखलापन सिद्ध करना हो तो उड़ीसा के बजट को देखकर किया जा सकता है। मैं इस बात का विरोधी हूं कि अविकसित राज्यों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो मुझे भय है कि वहां का असंतोष ऐसा रूप धारण न कर ले जो कि समूचे देश के लिये हानिकारक होगा।

श्री वनमाली पटनायक (पुरी) : मेरे माननीय मित्र श्री सुरेन्द्र महन्ती ने राज्यपाल के कार्य के प्रति कतिपय टिप्पणियां की हैं इसलिये मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। राज्यपाल द्वारा उड़ीसा में पहले 13 दिन और बाद में 2 महीने के लिये राष्ट्रपति शासन लागू करने का कार्य न्यायोचित था। चूंकि लोक सभा भंग कर दी गई थी अतएव उससे अनुमोदन लेने का प्रश्न नहीं उठता था। चुनाव के उपरान्त केवल कांग्रेस दल अपेक्षाकृत बहुमत से आया। यही वर्तमान स्थिति है। जहां तक राज्यपाल की कार्यवाही का सम्बन्ध है। मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि संसद् भंग हो चुकी थी अतएव संसद् से राष्ट्रपति की कार्यवाही का समर्थन नहीं लिया जा सका।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : परन्तु राज्य सभा से तो लिया जा सकता था। आप संविधान का अनुच्छेद 356 पढ़ सकते हैं।

श्री वनमाली पटनायक : इस बारे में दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको दो सदनों से समर्थन मिलना चाहिये जबकि अन्य लोगों का मत है कि इसको एक ही सदन से समर्थन मिलना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सरकार चलाने का उत्तरदायित्व इसलिये नहीं लिया क्योंकि राज्यपाल ने कतिपय शर्तें रखी थीं। यह सच नहीं है कि राज्यपाल ने कतिपय शर्तें रखी थीं, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कुछ ऐसी शर्तें रखी थीं जो राज्यपाल को स्वीकार नहीं थीं, अतएव एक रिक्तता पैदा हुई जिसकी पूर्ति राष्ट्रपति शासन लागू करके करनी पड़ी।

हाल ही के चुनावों में कोई भी दल बहुमत से नहीं आया है। कांग्रेस दल अपेक्षाकृत बहुमत

में है । उत्कल कांग्रेस ने स्वतंत्र दल के साथ गठजोड़ करने का कभी नहीं सोचा था । उन्होंने कहा था कि हम महाराजाओं को निकाल देंगे । वे कांग्रेस उच्च कमान से उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने की आशा कर रहे थे परन्तु कांग्रेस उच्च कमान से ऐसा करना संभव नहीं था । उत्कल कांग्रेस को अपनाना उनके लिये संभव न था क्योंकि उत्कल कांग्रेस उनके चुनाव घोषणापत्र से सहमत न थी । वे कांग्रेस उच्च कमान द्वारा निर्धारित शर्तों पर उनसे मिलना नहीं चाहते थे । अतएव उनका अगला कदम अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये स्वतंत्र दल से मिलकर सरकार बनाने का था ।

यह सच है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश में राज्यपाल ने समय लिया और उत्कल कांग्रेस के कई सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते थे । वे स्वतन्त्र दल का साथ नहीं देना चाहते थे । उनमें से कुछ सदस्यों पर स्वतन्त्र दल का साथ देने के लिये दबाव डाला गया । मैंने उत्कल कांग्रेस के नेता के साथ बातचीत की थी । वे यही चाहते थे कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द कर दी जाय । अब उन्होंने संयुक्त विधायक दल बना लिया है । यदि उनका बहुमत है तो उन्हें सरकार बनाने में कौन रुकावट डालता है ? क्या स्वतन्त्र दल ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों की समाप्ति का समर्थन किया है ? क्या वे भूमि सुधार तथा विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के समर्थक हैं जिनके लिये उत्कल कांग्रेस वचनबद्ध है । मैं नहीं जानता उनका इस प्रकार का गठबंधन कब तक चलेगा ।

राज्यपाल यह विचार कर रहे हैं कि क्या इस दल को सरकार बनाने की अनुमति दी जाये । वे ऐसा कर सकते हैं । कांग्रेस विरोधी दल में बैठने को तैयार है, मैं जानता हूं कि उनके द्वारा बनाई गई सरकार अधिक समय तक नहीं टिक सकती है ।

बजट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, पर एक बात स्पष्ट है कि क्षेत्रीय असन्तुलन दूर किया जाना है । केन्द्र को क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिये ।

मेरे माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ राव ने कहा है कि उड़ीसा की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति का है । उनमें कर आदि देने का समर्थन नहीं है । उन्हें न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिलती है । अतएव योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार को उनका उद्धार करने के लिये आगे आना चाहिये ।

ग्राम्य संचार तथा विद्युतीकरण और सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । डेल्टा सिंचाई परियोजना 15 वर्ष से चल रही है परन्तु अभी तक यह पूर्ण नहीं हुई है । समय की मांग यह है कि इसको निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण किया जाना चाहिये । हमने पहले ही इस पर 10 से 15 करोड़ रुपये व्यय कर दिये हैं तथा हमें इससे ब्याज भी नहीं मिल पाया है । यदि हम इस पर और अधिक धन व्यय करें तो वह इस प्रकार किया जाना चाहिये कि कम से कम हमें सिंचाई तथा अन्य सुविधाओं के रूप में कुछ लाभ मिले ।

मेरे माननीय मित्र श्री पी० के० देव ने मुधोलकर आयोग के प्रतिवेदन का बार-बार उल्लेख किया है । संभवतया वे भूल जाते हैं कि श्री डा० मेहताब ने स्वयं उस प्रतिवेदन का स्वागत किया था ।

श्री पी० के० देव : उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

श्री वनमाली पटनायक : इसका उद्देश्य कुछ और ही था, हमने तत्कालीन मुख्य मंत्री को तत्काल ही आयोग गठित करने को कहा था। उन्होंने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया ? उन्होंने इसका प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य से किया। जब उन्होंने देखा कि जन कांग्रेस अपना समर्थन ले रही है तथा एक भाग कांग्रेस के साथ मिलना चाहता है तो उन्होंने डा० मेहताब के विरुद्ध जांच आयोग बैठाया। डा० मेहताब इस जांच आयोग के समक्ष अपना बयान रख रहे हैं। श्री मुधोलकर सरकारी रिकार्ड देख सकते हैं, फिर भी यदि वह भ्रष्ट व्यक्ति है तो भी उन्होंने दो निर्वाचन क्षेत्रों से विजय प्राप्त की थी। जनता तथा दल ने अपना निर्णय दिया है और यदि वह भ्रष्ट है तो उसको दल से निकाल दिया जायेगा।

श्री देव भूल रहे हैं कि श्री आर० एन० सिंहदेव की अध्यक्षता में बना उनका मंत्रिमंडल केन्डु लीफ कांड में पदच्युत हो गया था। उसकी जांच के लिये भी जांच आयोग बैठाया जाना है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे राज्यपाल से अनुरोध करें कि इस कांड के कारण जो 18 लाख रुपये की हानि हुई है, उसको पूरा किया जाये। क्या यह सच नहीं है कि स्वतंत्र दल के नेता श्री आर० एन० सिंहदेव ने कहा था कि वे जनता के निर्णय का स्वागत करते हुये विरोधी पक्ष में बैठना स्वीकार करेंगे तब फिर राज्यपाल द्वारा उनको सरकार बनाने का निमंत्रण देने में क्या हानि है। जनता का निर्णय उड़ीसा में किसी भी मिली-जुली सरकार बनाने के विरोध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओंकर लाल बेरवा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कृपया प्रत्येक सदस्य के लिये समय निश्चित कर दें जिससे कि सारी वित्तीय कार्रवाई समय पर समाप्त करके राज्य सभा को भेजी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आज ही उड़ीसा, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल के बजट के सम्बन्ध में कार्यवाही को अन्तिम रूप देना है, अतः सब सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : The Ruling party had promised to the people about eradication of poverty. But the provision made in the Orissa Budget for 1971-72 for this purpose is very meagre. It is not understood as to how would it be possible to achieve tangible results with this meagre allocation. Orissa is very backward State and needs bigger allocation.

It is said that when this State was under the rule of another party why steps were not taken to check its backwardness. But actual position is that wherever there are non-Congress Governments in States the Central Government uses discriminatory policy against these in the matter of allocating Central grants. Instead of giving adequate financial assistance to such States for their proper development it engages itself in toppling-those Governments. This is not fair on the part of the Central Government.

President's Rule has been imposed in Orissa in order to gain time for Congress Party to enable it to improve its chances of forming Government by encouraging defections. It would be proper if the Governor of Orissa gives an opportunity to non-Congress Parties to form Government in Orissa.

Privy Purses of Princes are going to be abolished. But it would not be possible to eradicate poverty with the amount thus saved. If we check the expenditure being incurred on the army of Ministers it would be rather more beneficial.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह उड़ीसा राज्य सरकार का नियमित बजट नहीं है। यह केवल मात्र चार महीने के लिये लेखानुदान है अतः इस लेखानुदान में से अधिक अर्थ निकालना न केवल अपने आप को बल्कि इस सारे सदन को गुमराह करना है।

जैसा कि आप को मालूम है, कुछ समय पूर्व उड़ीसा राज्य में समूचा लगान समाप्त कर दिया गया था। कई राज्यों में अब अलाभप्रद जोतों पर लगान समाप्त कर दिया गया है परन्तु मैं नहीं जानता कि लाभप्रद जोतों पर लगान समाप्त करना सार्वजनिक हित में है। सभी भूमियों पर से लगान समाप्त करने पर योजना आयोग से मिलने वाले बराबर के अनुदान को भी खोना पड़ेगा। अतः ऐसा करने वाली सरकार साधनों की कमी के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकती।

देश में किसी अन्य सरकार को इतनी प्रति व्यक्ति सहायता नहीं दी गई जितनी उड़ीसा सरकार को दी गई परन्तु इतना होने पर भी यदि उस राज्य की सरकार साधनों का उपयोग करने अथवा साधन जुटाने में असफल रही हो तो उसके लिये केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता।

तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना उचित नहीं। ऐसा कहना किसी रूप में भी ठीक नहीं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान सरजू प्रसाद आयोग को कार्य नहीं करने दिया गया। इस आयोग की स्थापना वहां की सरकार द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के एक दिन पूर्व की गई थी। उसके पश्चात् राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की तथा सरजू प्रसाद कमीशन ने 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार संभाला। 17 फरवरी, 1971 को जस्टिस सरजू प्रसाद ने अपने पद का भार संभाला। उनके द्वारा मांगे अभिलेखों में से कुछ उन्हें उपलब्ध करवा दिए गए हैं और कुछ अन्य करवाये जा रहे हैं। इन तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का आरोप लगाना अनुत्तरदायित्वपूर्ण बात है।

उड़ीसा में जो भी विकास हुआ है वह केन्द्रीय सहायता के परिणामस्वरूप है। प्रादेशिक विषमताओं को हटाना हमारी घोषित नीति है और उसी के अनुसार उड़ीसा सरकार को सबसे अधिक 'प्रति व्यक्ति' सहायता प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार ने सात योजनाओं में राज्य सरकार को शत प्रतिशत सहायता प्रदान की परन्तु राज्य सरकार ने उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। इसका दोष भारत सरकार को नहीं दिया जा सकता।

यह ठीक है कि ग्राम विद्युतीकरण की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इसकी न केवल घरों में रोशनी करने के लिये अपितु कृषि उत्पादन बढ़ाने, उद्योग की प्रगति आदि के लिये भी आवश्यकता है। पिछले वर्ष तक 1150 गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी और अगले वर्ष के लिए हमने 1000 गांवों में बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आशा है कि वहां पर स्थापित होने वाली सरकार केन्द्रीय सहायता के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी।

राज्यपाल के विरुद्ध अनेक बातें कही गई हैं, उनके विरुद्ध निहित स्वार्थों का आरोप लगाया गया है। किसी दल को यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाये तो राज्यपाल का कार्य सुगम हो जाता है परन्तु यदि ऐसा न हो तो राज्यपाल का कार्य अति कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जल्दी की अपेक्षा सावधानी पर अधिक बल दिया जाता है। अतः यदि डा० अन्सारी द्वारा विधान मंडल के किसी नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किए जाने में देरी की जा रही है तो यह उचित ही है। उनके विरुद्ध यहां लगाये गये आरोप व उनकी आलोचना उचित नहीं है।

उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में यहां उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय सरकार की सहायता से उड़ीसा में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाया गया है जिससे वहां दूसरे इस्पात संयंत्र को कच्चा लोहा उपलब्ध हो सकेगा। परन्तु उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना वहां के लोगों की चिन्ता की बात नहीं यह तो सारे देश की चिन्ता का विषय है। क्योंकि वहां बनने वाला इस्पात सारे देश भर में विकास कार्यों पर लगाया जाना है। अतः जो भी स्थान आर्थिक व व्यवहारिकता की दृष्टि से अधिक उपयुक्त समझा जायेगा वहां पर इस्पात संयंत्र लगाया जायेगा। ऐसा करते समय उड़ीसा की मांग की किसी प्रकार भी उपेक्षा नहीं की जायेगी।

जहां तक गोपालपुर में बन्दरगाह के विकास को बात है, इसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा विकास के लिए सांकेतिक व्यवस्था की गई है और कार्य प्रारम्भ किया जाने वाला है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता तथा उड़ीसा राज्य को दी गई सहायता की तुलना की गई है। संघ राज्य क्षेत्रों के न केवल प्रशासन की अपितु उनके वित्तीय प्रबन्ध की भी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। आर्थिक कारणों से ही मुख्यतः इन क्षेत्रों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। अतः इस प्रकार की तुलना करना अवास्तविक है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे लेखानुदान को स्वीकृति दें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उड़ीसा राज्य की बजट सम्बन्धी लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	क—राजस्व से व्यय	
		रु०
1.	गृह विभाग सम्बन्धी निर्वाचन तथा अन्य व्यय	30,30,000
2.	जेलें	30,00,000
3.	पुलिस	2,45,00,000
4.	नियोजन और समन्वय विभाग सम्बन्धी व्यय	1,44,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
5.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि	1,80,73,000
6.	राजनीतिक और सेवा विभाग सम्बन्धी व्यय	16,19,000
7.	सांस्कृतिक मामले	6,00,000
8.	स्टाम्प	2,00,000
9.	वित्त विभाग सम्बन्धी मंत्रियों, सिविल सचिवालय तथा अन्य व्यय	83,79,000
10.	पेंशनें	46,34,000
11.	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	6,00,00,000
11.क	पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	10,00,000
12.	कराधान	28,80,000
13.	भू-राजस्व	1,40,00,000
14.	उत्पादन शुल्क	12,00,000
15.	रजिस्ट्रेशन	6,00,000
16.	राजस्व विभाग सम्बन्धी जिला प्रशासन और अन्य व्यय	81,00,000
17.	उद्योग विभाग सम्बन्धी व्यय	1,30,00,000
17.क	खानें	13,00,000
18.	विधि विभाग सम्बन्धी सिविल और सेशन न्यायालयों तथा अन्य व्यय	20,52,000
19.	वाणिज्य विभाग सम्बन्धी सरकारी मुद्रणालय और अन्य व्यय	45,00,000
20.	श्रम, रोजगार और आवास	19,00,000
21.	जनजाति और ग्रामीण कल्याण	1,35,00,000
22.	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन विभाग सम्बन्धी चिकित्सा और अन्य व्यय	1,90,00,000
23.	लोक स्वास्थ्य	1,36,00,000
24.	सिंचाई	1,92,22,000
25.	लोक निर्माण कार्य	4,21,51,000
26.	राज्य विधान मंडल	6,10,000
27.	लोक निर्माण कार्य, साझे प्रतिष्ठान	72,53,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
28.	बिजली योजनायें	40,00,000
29.	मोटर गाड़ियों पर कर	7,68,000
30.	परिवहन योजनाएं	1,02,36,000
31.	वन	1,30,00,000
32.	मीन-क्षेत्र	35,98,000
33.	सहकारिता और विपणन	54,22,000
34.	नगरीय विकास विभाग सम्बन्धी व्यय	1,33,00,000
35.	पशु-पालन	1,00,00,000
36.	जन सम्पर्क तथा पर्यटन	15,39,000
37.	कृषि	2,07,66,000
38.	पूर्ति विभाग	24,82,000
39.	पत्तन	1,20,000
	ख—अन्य व्यय	
41.	स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	33,00,000
42.	राजस्व विभाग सम्बन्धी जमींदारी प्रथा उन्मूलन प्रतिकर तथा अन्य व्यय	16,00,000
43.	बहुउद्देशीय नदी, सिंचाई और बिजली योजनायें	8,00,00,000
44.	कृषि सुधार और अनुसंधान	60,00,000
45.	सरकारी व्यापार योजनायें	2,00,00,000
46.	सड़क और जल परिवहन योजनायें	10,00,000
47.	लोक स्वास्थ्य और नगरीय विकास विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	40,00,000
48.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	80,00,000
49.	हीराकुंड बांध परियोजना	2,03,000
50.	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	4,00,000
51.	श्रम, रोजगार और आवास विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	15,00,000
52.	शिक्षा विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	15,00,000
53.	गृह विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	2,00,000
54.	वनों पर पूंजी परिव्यय	2,00,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
55.	सहकारी संगठनों को शेयर पूंजी अंशदान और ऋण	30,00,000
56.	नियोजन और समन्वय विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	81,67,000
57.	पशुपालन विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	1,00,000
58.	ग्राम पंचायत विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	50,000
60.	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,46,14,000
61.	खनन और भू-विज्ञान विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	25,00,000
62.	जनजाति और ग्रामीण कल्याण विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	15,00,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा उड़ीसा राज्य की बजट संबंधी अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following demands in respect of supplementary grants for the Budget of the State of Orissa were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	क—राजस्व व्यय	रु०
1.	गृह-विभाग सम्बन्धी निर्वाचित तथा अन्य व्यय	23,16,600
2.	पुलिस	500
4.	नियोजन तथा समन्वय विभाग सम्बन्धी व्यय	1,15,17,000
5.	सामुदायिक परियोजनाएं आदि	68,19,200
7.	सांस्कृतिक मामले	100
10.	पेंशन	13,86,700
11.	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	2,900
11.क	पाठ्य-पुस्तक मुद्रणालय	200
13.	भू-राजस्व	29,77,200
14.	उत्पादन शुल्क	100
16.	जिला प्रशासन तथा राजस्व सम्बन्धी अन्य व्यय	600
17.	औद्योगिक विभाग सम्बन्धी व्यय	300
17.क	खानें	1,00,000
19.	सरकारी मुद्रणालय और वाणिज्य विभाग संबंधी अन्य व्यय	2,32,100
21.	जनजाति तथा ग्रामीण कल्याण	300

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
22.	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन विभाग सम्बन्धी चिकित्सा तथा अन्य व्यय	17,34,300
23.	लोक स्वास्थ्य	400
24.	सिंचाई	79,62,800
25.	लोक निर्माण कार्य	15,38,700
26.	राज्य विधान मण्डल	91,000
27.	लोक निर्माण कार्य, साझे प्रतिष्ठान	8,56,100
28.	बिजली योजनाएं	200
29.	मोटर गाड़ियों पर कर	1,30,700
30.	परिवहन योजनाएं	30,10,000
31.	वन	3,00,000
32.	मीन क्षेत्र	200
34.	नगरीय विकास विभाग सम्बन्धी व्यय	22,88,700
35.	पशु पालन	91,200
37.	कृषि	1,900
	ख—अन्य व्यय	
40.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं	79,200
41.	स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	100
42.	राजस्व विभाग सम्बन्धी जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए प्रतिकर तथा अन्य व्यय	14,63,700
43.	बहुउद्देश्यीय नदी, सिंचाई और बिजली योजनाएं	99,52,300
44.	कृषि सुधार और अनुसंधान	2,50,000
46.	सड़क तथा जल परिवहन योजनाएं	48,600
47.	लोक स्वास्थ्य और नगरीय विकास विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	10,00,100
48.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	36,03,300
49.	हीराकुण्ड बांध परियोजना	5,00,000
53.	गृह-विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	1,00,000
54.	वनों पर पूंजी परिव्यय	10,00,000
55.	सहकारी संगठनों को शेयर पूंजी अंश दान तथा ऋण	22,52,000
58.	ग्राम पंचायत विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	100
59.	स्वास्थ्य विभाग संबंधी पूंजी व्यय	41,78,000
60.	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	90,88,900
62.	जनजाति तथा ग्रामीण कल्याण विभाग संबंधी पूंजी व्यय	12,18,000

उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971
ORISSA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1971

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1971
ORISSA APPROPRIATION BILL, 1971

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1971 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1971 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उड़ीसा विनियोग विधेयक 1971 पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1971 पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मतपत्रों के बारे में
RE. BALLOT PAPERS

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I had written a letter to the Hon. Speaker hat the complaints regarding bungling alleged in the ballot papers should be looked into.

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने आपके पत्र का उत्तर 26 मार्च को दे दिया था । उन्होंने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि संसद भवन की परिधि में किसी व्यक्ति को

धरना देने या भूख हड़ताल अथवा प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्ष महोदय के साथ सहयोग करें।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want an assurance that a Parliamentary Committee will be set up to go into this matter. I have come to know that many bundles of ballot papers are being destroyed. In view of this a Parliamentary Committee should be set up to enquire into this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव बड़े ठोस एवं रचनात्मक हैं। आप इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के साथ बातचीत करें।

मैसूर बजट 1971-72—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (मैसूर), 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मैसूर) 1970-71

MYSORE BUDGET 1971-72—GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNTS (MYSORE) 1971-72 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (MYSORE) 1970-71

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करें।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : यह बजट एक ऐसी सरकार द्वारा तैयार किया गया है जिसका विधान सभा में बहुमत नहीं रहा था। फिर भी मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि अब यह बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। परन्तु मैं चाहता हूं कि भविष्य में बजट नये ढंग से तैयार किये जायं। हमें परम्परागत तरीकों को छोड़ नये मार्ग प्रशस्त करने चाहिये। अब जबकि हम चौथी पंचवर्षीय योजना पर नये तरीके से विचार करने जा रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम गरीबों को रोजगार देने के विचार से अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में शुभारम्भ करें। यदि हम रोजगार की व्यवस्था करते हैं तो गरीबी अपने आप दूर हो जायेगी। रोजगार की व्यवस्था करते समय हमें देहातों में रहने वाली जनता का विशेष ध्यान रखना चाहिये। मैसूर राज्य में देहातों में बड़े पैमाने पर बिजली लगाई जानी चाहिये। मैसूर में 1902 में सिवानसमुद्रम पन-बिजली परियोजना बनी थी परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 24 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि मद्रास तथा महाराष्ट्र आदि जैसे पड़ोसी राज्यों में अधिक देहातों में बिजली लग चुकी है। हमारे राज्य (मैसूर) में फालतू विद्युत शक्ति है परन्तु उपयोग देहातों की जनता के लाभ के लिये नहीं किया जा रहा है, अतः इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। देहातों में घरों में रोशनी के लिये ही बिजली की आवश्यकता नहीं, बल्कि सिंचाई तथा लघु उद्योगों के लिये भी बिजली चाहिये। इससे देहातों में रोजगार की समस्या हल हो सकती है। इसलिये वहां देहातों में बिजली लगाने के लिये एक बड़ी योजना बनाई जानी चाहिये।

बंगलौर के आसपास एक पट्टी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग 3-4 लाख लोग रहते हैं। वहां पर पानी, नालियों, बिजली, विद्युत आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहां का नगर निगम

उनके लिये एक पैसा भी खर्च नहीं करता। बंगलौर के आसपास औद्योगिक कारखानों के कारण सफाई की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। परन्तु राज्य सरकार वहां पीने का कुछ पानी सप्लाई करने के सिवाय वहां कुछ नहीं कर रही है। अतः बंगलौर के आसपास के पट्टी क्षेत्र के निवासियों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को अधिक धन देना चाहिये जिससे वहां पानी और सफाई की उचित व्यवस्था की जा सके और मच्छरों का भी उन्मूलन किया जा सके। मुझे खेद है कि मैसूर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वहां शीघ्रातिशीघ्र लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाये। वहां पर सत्ताधारी कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है।

मैसूर में दो आयोग स्थापित किये जाने चाहिये। गत तेरह या चौदह वर्षों से सरकारी सेवा में नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में हो रही अनियमितताओं की जांच करने के लिये एक आयोग गठित किया जाना चाहिये। दूसरा आयोग बंगलौर सिटी के लिये कावेरी जल सम्भरण योजना की जांच करने के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये। यह योजना 5-6 वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी और उस समय इसकी अनुमानित लागत 10-15 करोड़ रुपये थी। अब यह लागत 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उपर्युक्त योजना सम्बन्धी आयोग के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने, जिसने त्याग-पत्र दे दिया है, बताया है कि आयोग ने 8 करोड़ रुपये का एक टेंडर स्वीकार किया है परन्तु यदि फ्रांसीसी फर्म की बजाय भारतीय फर्म का टेंडर स्वीकार किया जाता तो उस कार्य पर केवल 3-4 करोड़ रुपये खर्च होते। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन दो आयोगों का गठन तुरन्त करें।

***श्री एम० के० कृष्णन्** (पोन्नानि) : अन्य राज्यों के बजटों की तरह मैसूर का बजट भी इस सदन के सामने विचार विमर्श के लिये आया है और सम्भव है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बजट भी यहां आयें।

ऐसा क्यों होता है ? यह सब सत्तारूढ़ दल की नीतियों के कारण हो रहा है जो अन्य दलों की सरकारों को इस राज्यों में काम करने नहीं देना चाहता। राज्यपालों को भी सत्तारूढ़ दल के हितों में काम करने के लिये उपयोग किया गया है।

दलबदल को कानूनी रूप से मुश्किल बनाने के लिये ऐसी व्यवस्था का किया जाना जरूरी है जिसके द्वारा दल बदलने वाले सदस्य विधान सभाओं तथा संसद् में अपनी सीटें खो बैठें। खेद की बात है कि सत्तारूढ़ दल इस सुझाव पर सहमत नहीं हुआ।

मैसूर में क्या हुआ ? नई कांग्रेस को छोड़ कर अन्य दलों के सदस्यों तथा मंत्रियों ने, जो कल तक विधान सभा के अन्दर तथा बाहर नई कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, सत्तारूढ़ कांग्रेस में आकर एकदम अपनी आस्थाएं बदल लीं। आश्चर्य की बात है कि सत्तारूढ़ दल अपने पहले के विरोधियों को अपनी बगल में लाने के लिये बहुत उत्सुक रहता है। कल तक वे प्रतिक्रियावादी थे और प्रगति के रास्ते में बाधा डालते थे। लेकिन आज एकदम ही प्रगतिशील बन गये।

*मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

इसी प्रकार मैसूर सरकार भी गिराई गई तथा वहां राष्ट्रपति राज कायम किया गया। इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकप्रिय सरकारों को गिराने का यह सिलसिला जारी रहा तो हम देश के अन्दर एक खतरनाक स्थिति पैदा करेंगे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं बताना चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव में मेरे दल की विजय के फलस्वरूप राज्यों के अन्य दलों की सरकारों के सदस्यों तथा मंत्रियों ने दल बदल कर सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर आना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में यही कुछ हो रहा है और बिहार में भी यही हो रहा है।

मैं दल-बदलुओं की सरकार के पक्ष में नहीं। मैं समझता हूं कि दल बदलू को मंत्री अथवा उपमंत्री का पद नहीं दिया जाना चाहिये।

मैसूर के वित्त मंत्री के भाषण में कहा गया है कि कुडारमुख लौह-अयस्क परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंगलौर बंदरगाह के विकास की दिशा में सरकार क्या विचार कर रही है।

पिछली संसद् के अधिवेशन में हमारे नेता ने तीन इस्पात संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। सेलम तथा विजाग में इन संयंत्रों की नींव रख दी गई है लेकिन होस्पेट में अभी तक नहीं रखी गई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि होस्पेट संयन्त्र की नींव वे कब तक रखने जा रहे हैं।

मैं अपना ध्यान मैसूर के वित्त मंत्री के उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि वे चूंगी को हटा देंगे। मैं इस सदन में वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या चूंगी हटाई जा रही है।

अब मैं अपने जिले के बारे में एक दो बातें कहता हूं। मैं राष्ट्रपति सरकार, जो अब लागू हो हो गई है, से चाहूंगा कि राज्य सरकार को इस आशय के निदेश जारी करे कि उनके अधिकारी गरीब मतदाताओं को तंग न करें, चूंकि इन्हीं गरीब मतदाताओं के वोटों से इस चुनाव में हम लोग जीते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक स्पष्ट घोषणा चाहता हूं।

बेल्लारी में एक सरकारी कालिज की भी आवश्यकता है। बेल्लारी जिले के लिये सूखी खेती कार्यक्रम की भी आवश्यकता है।

कुल मिला कर मैं मैसूर सरकार द्वारा पेश किये गये बजट से संतुष्ट हूं।

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्लि) : अब तक मैसूर प्रशासन संगठन कांग्रेस के नियंत्रण में था। तमिलनाडु तथा मैसूर सरकारों के बीच कावेरी नदी के जल पर कुछ मन-मुटाव रहा है।

तंजौर तथा तिरुचिरापल्ली जिलों के लोग यह सुन कर बहुत उदास हैं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद भी मैसूर सरकार कावेरी की उप नदियों का रुख तमिलनाडु से हटा कर मैसूर की ओर मोड़ रही है। अब जबकि मैसूर राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया है तो केन्द्रीय सरकार को इन दो राज्यों के झगड़े को निपटाने का अच्छा अवसर मिल गया है।

मैसूर को भी इसका भाग मिलना चाहिये। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। जब हम एक ही देश के निवासी हैं तो दो राज्यों के बीच ऐसे झगड़े होने भी नहीं चाहिये। कावेरी तमिलनाडु के मैदानों को सींच रही है। इस जल के बिना तमिलनाडु में धान पैदा न हो सकेगा और हमें चावल के लिये केन्द्र से मांग करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा झगड़े को शांति से निपटाये।

***श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा** (शिमोगा) : मैसूर का 1971-72 वर्ष के लिए बजट पेश किया गया है। सरकार के विचारार्थ मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मैं सरकार का ध्यान मैसूर के शिमोगा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रति की गई घोर उपेक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। गत 15 वर्षों के दौरान कई योजनाएं बनाई गई हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए मालेनाड बोर्ड की नियुक्ति की गई। लेकिन दुर्भाग्यवश बोर्ड अकर्मण्य सिद्ध हुआ है और उसने क्षेत्र के विकास के लिये ठोस उपाय नहीं किये हैं। इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

शिमोगा के लोगों की यह मांग रही है कि वहां चिकित्सा कालेज खोला जाये। मुझे आशा थी कि बजट में इसकी व्यवस्था की जायेगी। परन्तु मेरी आशा को ठेस पहुंची है। भद्रा परियोजना भी नियत योजना के अनुसार नहीं चल रही है। इस योजना को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना तुंगभद्रा योजना को। परिणामतः कृषि योग्य भूमि असिंचित पड़ी है और किसानों को हानि हो रही है। इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि किसान फसलें काटकर लाभ कमायें। राज्य की वन सम्पत्ति समाप्त होती जा रही है और उसको बढ़ाने के लिये कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

उद्योग के क्षेत्र में मैसूर ने पर्याप्त उन्नति की है। परन्तु गत 15 वर्षों से कुछ बाधाओं के कारण उद्योग में वृद्धि नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार को अधिक से अधिक इस ओर ध्यान देना चाहिए।

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद भी वहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुधरी नहीं है। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के सबल पथ-प्रदर्शन के कारण वहां शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुये हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी को पूर्ण बहुमत मिला है और आशा है कि उनके नेतृत्व में मैसूर में भी स्थायी सरकार स्थापित होगी। स्थायी सरकार का बनना आवश्यक भी है क्योंकि राज्य को भूमि सुधार उपायों और विकास योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। राष्ट्रपति शासन का जारी रहना वांछित नहीं है और शीघ्र ही वहां लोकप्रिय सरकार की स्थापना होनी चाहिए।

---

* मूल कन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

Shri Narendra Singh (Satna) : Mr. Speaker, Sir, although I hail from Madhya Pradesh but since Mysore budget is being discussed, I would like to say something in this regard. Mysore State has made good progress in the spheres of education, electricity and irrigation etc. But here I must say that the law regarding workers working in Dhoop Batti Industry is not being implemented properly. I hope that Government will see that the law is properly implemented. If other States make progress as it has been made by Mysore State. I am sure that our country can reach high standard. Madhya Pradesh is a big State but Government is not paying heed towards its development.

Mr. Chairman : Here we are discussing Mysore Budget.

Shri Narendra Singh : I know that. I was just citing example.

Mr. Chairman : Hon. Member can express himself when general budget will be discussed.

Shri Narendra Singh : All right. I would not say anything.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं मैसूर बजट के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैसूर में जो जनप्रिय सरकार स्थापित होगी, हम उसका समर्थन करेंगे। कहा गया है कि मैसूर सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है मगर इस मामले में मैसूर राज्य की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती। मुख्य बात यह है कि लोगों के आदर्श यदि अच्छे हों तो एक श्रेष्ठ आधार पर सरकार को चलाया जा सकता है। लेकिन इतना तो सच है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित वर्ग को इस सरकार की ओर से न्याय नहीं मिला है। यह सच है कि देश भर में प्रतिनिधि सरकारें होनी चाहिये परन्तु जब ये प्रतिनिधि सरकारें अपना प्रतिनिधित्व खो बैठती हैं तो क्या किया जा सकता है ? यदि मैसूर में सरकार एक कुशल सरकार होती तो क्या कारण है कि लोगों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : मैसूर राज्य का बजट उड़ीसा राज्य के बजट से कहीं अधिक बड़ा है फिर भी न जाने उसे उड़ीसा की अपेक्षा क्यों कम समय दिया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं चर्चा में उठाये गये मुख्य प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा।

उड़ीसा राज्य का यह नियमित बजट नहीं है। यह तो आगामी चार महीनों के लिए लेखानुदान है। अत: यह ठीक नहीं होगा कि इस लेखानुदान की व्यवस्था से अनेक अर्थ निकाले जायें। हम आशा करते हैं कि इन चार महीनों के दौरान मैसूर अपनी लोकप्रिय सरकार बनाने में समर्थ होगा जो नियमित बजट पेश कर सकेगी।

डा० वी० के० आर० वी० राव ने मैसूर में लोकप्रिय सरकार बनाने की आवश्यकता व्यक्त की है। वह स्वयं मंत्रि-मण्डल के सदस्य रह चुके हैं तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ भी हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर ही कोई निर्णय लेती है। अत: ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के बीच मतभेद नहीं किया जा सकता। राज्यपाल अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहता है, केन्द्रीय सरकार उसे नोट कर लेती है। यदि मैसूर का राज्यपाल यह कह दे कि राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाई जा सकती है तो हम राज्य में ऐसी सरकार बनाने का निर्णय ले लेंगे। राष्ट्रपति शासन को लागू रखने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं।

जहां तक हास्पेट में इस्पात संयंत्र की स्थापना का सम्बन्ध है, इसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है। यदि इसके शिलान्यास में देरी भी हो जाये तो कोई बात नहीं। इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए।

दूसरे जहां तक सिंचाई के बिना खेती करने का सम्बन्ध है, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सहायता से बेलारी जिले के हदावली तालुका में एक परियोजना आरम्भ की गई है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : केवल एक तालुक में ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इस परियोजना के लिये प्रत्येक राज्य से कुछ जिलों का चुनाव कर रहा है। ये जिले योजना आयोग तथा स्थानीय सरकारों की सिफारिशों पर चुने जाते हैं और वित्त मंत्रालय का भी इसमें हाथ होता है। मुझे प्रसन्नता है कि इनका क्षेत्र भी इस परियोजना के अन्तर्गत चुना गया है।

श्री कल्याणसुन्दरम् ने कावेरी नदी जल विवाद का उल्लेख किया है। केन्द्रीय सरकार का मत है कि सम्बन्धित राज्यों को परस्पर बातचीत करके ऐसे मामलों को स्वयं ही निपटा लेना चाहिए। जहां तक सम्भव हो सकेगा सरकार ऐसे प्रश्नों को शीघ्र निपटाने में सहायता देगी।

दूसरा प्रश्न अधिक चिकित्सा कालिज खोलने के बारे में है। मैसूर राज्य में पहले ही 8 चिकित्सा कालिज हैं। मेंडिकल स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या मैसूर में भी अपना सिर उठा रही है। यह मालूम नहीं कि क्या विकास उद्देश्य के लिए उपलब्ध सीमित धन को मेडिकल कालेज खोलने के लिए व्यय करना लाभदायक होगा। विशेषतः जबकि अधिक लाभदायक योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। एक सदस्य ने उद्योगीकरण की धीमी गति के लिए शिकायत की है। ऐसी शिकायत का कोई आधार नहीं। राज्य में एच० ए० एल०, एच० एम० टी०, आई० टी० आई०, और बी० ई० एल० जैसे केन्द्रीय उपक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित किए गए हैं।

1970 में राज्य के लिए 30 नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए। 1970-71 वर्ष में उद्योगों के लिए 180 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। 1971-72 में इसे बढ़ा कर 350 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें 50 लाख रुपये औद्योगिक सम्पदा के लिए निर्धारित किए गए हैं।

श्री कृष्णप्पा ने विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। वह स्वयं मैसूर राज्य के मंत्री रहे हैं तथा उन्होंने राज्य के विकास के लिए अमूल्य योगदान भी दिया है। वह जानते हैं, जहां तक विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, इसके अन्तर्गत मैसूर की लगभग 80 प्रतिशत जनता आ जाती है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई गांव हैं जिन्हें इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में 30,000 नलकूप लगाए जाएंगे। बंगलौर नगर के लिए एक जलसंभरण योजना बनाई गई है जिस पर 30-32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना पर 7 करोड़ रुपये का परिव्यय पहले ही किया जा चुका है और एक करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। चुंगी समाप्त करने का निर्णय मैसूर सरकार द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। हमें इस निर्णय के सम्बन्ध में कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है। जब मैसूर में किसी लोकप्रिय सरकार का गठन हो तो इसे इस निर्णय के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार करना चाहिए और इस निर्णय को उचित ढंग से लागू करना चाहिए।

डा० राव ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में भी कुछ

उल्लेख किया है । मैं यह समझता हूं कि इस बात का ध्यान रखना प्रत्येक सभ्य सरकार का पहला कर्तव्य है कि जब देश के नागरिक अपने निर्णय तथा विवेकानुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो उन्हें किसी प्रकार से परेशान न किया जाए । जब तक मैसूर राज्य के प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है तब तक हम किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे । मैसूर में लोकप्रिय सरकार का गठन होने ने पश्चात् भी जनता के किसी वर्ग को कोई परेशानी नहीं होगी ।

मेरे विचार में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और अब मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह लेखानुदानों की मांगों पर अपना मत दे ।

सभापति महोदय द्वारा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिए रखी गईं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

	मांग संख्या	शीर्षक	राशि
			रु०
1.	4	आय पर कर—निगम कर को छोड़कर	3,46,000
2.	9	भू-राजस्व	1,73,70,000
3.	10	राज्य उत्पादन शुल्क	51,99,500
4.	11	मोटर गाड़ियों पर कर	9,98,500
5.	12	बिक्री कर	42,16,500
6.	13	अन्य कर तथा शुल्क	6,77,000
7.	14	स्टाम्प	7,18,500
8.	15	रजिस्ट्रेशन फीस	12,38,500
9.	18	संसद्, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	37,07,500
10.	19	सामान्य प्रशासन	1,80,45,000
11.	21	न्याय प्रशासन	63,56,500
12.	22	जेलें	36,22,000
13.	13	पुलिस	3,31,93,500
14.	25	पूर्ति और निपटान	1,16,500
15.	26	विविध विभाग	82,86,000
16.	27	विज्ञान विभाग	18,55,000
17	28	शिक्षा	18,94,34,500
18.	29	चिकित्सा, 30 लोक स्वास्थ्य और 30क परिवार नियोजन	6,50,76,000

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रु०
20.	31	कृषि	4,16,32,500
21.	32	ग्रामीण विकास	87,08,000
22.	33	पशु-पालन	90,65,500
23.	34	सहकारिता	1,20,67,000
24.	35	उद्योग	5,30,07,500
25.	37	सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	1,88,09,500
26.	38	श्रम और रोजगार	47,74,500
27.	39	विविध, सामाजिक और विकास सम्बन्धी संगठन	3,24,36,500
29.	43	सिंचाई, नौवहन, तटबंध और जल निकासी कार्य (वाणिज्यिक)	4,73,52,000
30.	44	सिंचाई, नौवहन, तटबंध और जल निकासी कार्य (गैर-वाणिज्यिक)	1,37,95,000
30.ख.	48	सिंचाई, नौवहन, तटबंध और जल निकासी कार्यों पर पूंजी परिव्यय	87,00,000
31.	50	लोक निर्माण कार्य	12,40,54,500
31.क.	52	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,70,83,500
32.	53	पत्तन और पाइलेट का कार्य	4,30,500
33.	64	दुर्भिक्ष राहत	1,19,69,000
34.	65	पेंशनें तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	1,77,34,000
35.	66	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	48,500
36.	67	भारतीय राजाओं के प्रिवीपर्स तथा भत्ते	5,000
37.	68	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	56,35,000
38.	70	वन	2,84,86,500
39.	71	विविध	4,08,91,500
40.	72	पेंशनों के राशिकृत मूल्य	9,64,500
41.	76	अन्य विविध प्रतिकर तथा समनुदेशन	59,83,500
		ग—राजस्व खाते से बाहर पूंजी खाता	
42.	92	जमींदारी पद्धति के उन्मूलन पर जमींदारों आदि को प्रतिकर की अदायगी	8,08,500

मांग संख्या		शीर्षक	राशि
			रु०
43.	94	लोक स्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी परिव्यय	39,47,000
44.	96	औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	3,40,80,500
45.	99	सिंचाई, नौवहन तटबंध तथा जल निकास कार्य (वाणिज्यिक) पर पूंजी परिव्यय	9,79,50,000
46.	100	सिंचाई, नौवहन तटबंध तथा निकासी कार्यों (गैर-वाणिज्यिक) पर पूंजी परिव्यय	31,33,500
47.	101	विद्युत योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	8,33,500
48.	103	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,38,95,500
50.	110	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	16,65,500
50.क	114	सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,67,000
51.	119	वनों पर पूंजी परिव्यय	14,00,000
52.	120	पेंशन के राशिकृत मूल्य का भुगतान	8,96,000
53.	124	सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	6,94,99,000
		ङ—अग्रिमों और ऋणों का भुगतान	
54.		घ—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम	8,11,87,000

सभापति महोदय द्वारा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिए रखी गईं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	1. राजस्व से व्यय	रु०
5.	विक्री कर प्रशासन	100
6.	अन्य कर तथा शुल्क	2,16,000
7.	स्टाम्प	6,00,000
9.	विधान मण्डल और निर्वाचन	54,00,000
13.	पुलिस	200
17.	शिक्षा	100

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
18.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	200
20.	कृषि	700
24.	उद्योग	60,00,000
27.	विविध सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन	22,00,000
29.	सिंचाई (वाणिज्यिक)	3,37,06,100
30-क	बिजली योजनाएं	74,59,000
30-ख	सिंचाई—सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	25,00,000
31.	लोक-निर्माण कार्य	3,83,79,400
31-क	लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	11,50,000
33.	दुर्भिक्ष	1,12,57,000
34.	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,16,50,900
37.	लेखन सामग्री और मुद्रा	20,00,000
39.	विविध	1,38,84,371
40.	पेंशन का राशिकृत मूल्य	4,28,300
41.	विविध प्रतिकर और समानुदेशन	15,30,000
	2. पूंजी, ऋणों और अग्रिमों और लोक ऋण की वापसी आदि से व्यय	
44.	औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	3,30,68,800
45.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	11,98,90,500
46.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय गैर-वाणिज्यिक	47,19,000
47.	बिजली योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,19,60,000
48.	लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	500
52.	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	3,76,300
53.	सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	200
54.	अग्रिम और ऋण	87,00,600

मैसूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971

MYSORE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1971

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैसूर (लेखानुदान) विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मैसूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब खण्डों पर चर्चा होगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

"खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।"

Clauses 1 to 3, the schedule, the enacting formula and the title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

मैसूर विनियोग विधेयक, 1971
MYSORE APPROPRIATION BILL, 1971

श्री वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैसूर विनियोग विधेयक 1971 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मैसूर विनियोग विधेयक 1971 पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर विनियोग विधेयक 1971 पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 1 to 3, the schedule, the enacting formula and the title were added to the bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री चित्ति बाबू (चिंगलपुर): महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे मित्र श्री कल्याणसुन्दरम द्वारा कावेरी जल के सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्न का उत्तर दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री चित्ति बाबू (चिंगलपुर) भारत सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

पश्चिम बंगाल बजट 1971-72—सामान्य चर्चा—लेखानुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) 1971-72 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) 1970-71 और पश्चिम बंगाल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

WEST BENGAL BUDGET 1971-72—GENERAL DISCUSSION—DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (WEST BENGAL) 1971-72 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (WEST BENGAL) 1970-71 AND STATUTORY RESOLUTION RE. PROCLAMATION IN RESPECT OF WEST BENGAL

सभापति महादेय : अब हम पश्चिम बंगाल के बजट पर विचार करेंगे ; मद संख्या 25,26 27 और 28 को इकट्ठा लिया जाएगा, इसके लिए निर्धारित समय एक घंटा है।। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे एक घटें के भीतर निपटाने में सहयोग दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मद संख्या 24 को पृथक रूप से लिया जाए, क्योंकि इसका विषय समान नहीं है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यद्यपि इन सब पर चर्चा इकट्ठी होगी किन्तु मतदान सब पर पृथक होगा। अतः सब मामलों को एक साथ निपटाने का प्रश्न नहीं उठता। हम पश्चिम बंगाल के बजट तथा लेखानुदानों पर चर्चा के साथ-साथ राष्ट्रपति की अधिघोषणा से सम्बद्ध मामलों पर भी विचार कर सकते हैं। मतदान पृथक रूप से किया जाएगा और यही इसकी प्रक्रिया है।

सभापति महोदय : परिचालित कार्य सूची में यह उल्लेख किया गया है कि मद संख्या 25, 26, 27, 28 पर एक साथ विचार किया जाएगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में 19 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा 31 मार्च, 1971 तक जारी रहेगी। इस महीने के आरम्भ में राज्य में चुनाव हुए। पर अभी भी वहां लोकप्रिय सरकार बनाने के प्रयत्न चल रहे हैं जैसा कि लगता है 31 मार्च तक वहां सरकार नहीं बन सकती इसलिए राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत यह घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है पर वह पहले भी, जबकि राज्यपाल को इस बात का विश्वास हो जाये कि वहां स्थायी सरकार बनाई जा सकती, समाप्त की जा सकती है।

इस एक वर्ष के दौरान वहां विभिन्न प्रकार की विकास योजनाएं चालू की गईं जिससे सामाजिक न्याय बड़ी मात्रा में मिल सकेगा। राज्य की समस्याएं बड़ी ही जटिल और कठिन रही हैं तथा कानून और व्यवस्था तथा अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण ये और भी कठिन हो गई है।

कानून और व्यवस्था की समस्या को हर सम्भव तरीके से हल करने का प्रयत्न किया गया। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को और अधिक शस्त्र और अधिकार दिए गये तथा इन्हीं प्रयत्नों के द्वारा वहां चुनाव शान्तिपूर्ण हो सके।

कलकत्ता की समस्या को सरकार ने प्राथमिकता देकर पूरी गम्भीरता से हल किया, विकास कार्यक्रमों के लिए राजस्व के नए साधन खोजे गये, जैसे कि प्रवेश कर के द्वारा पर्याप्त आमदनी की गई। कार्यक्रम को सब प्रकार से सफल बनाने के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार की स्थापना की गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पीने के पानी, जल निकासी तथा सफाई आदि नागरिक सुविधाओं पर 18.7 करोड़ रुपये खर्च दिये जाने का अनुमान है। विकास की सामान्य योजनाओं के आतिरिक्त कलकत्ता की बस्तियों के लोगों के लिए एक बहुमुखी कार्यक्रम चालू किया गया। आशा है चालू कार्य वर्ष के अन्त तक $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की लागत की इस योजना से $5\frac{1}{2}$ लाख बस्ती निवासियों को इक्ट्ठा लाभ पहुंचाया जायेगा।

भूमि सुधार के सम्बन्ध में दो राष्ट्रपति अधिनियम पारित किए गये हैं। उत्पादक के भाग को बढ़ा कर 75 प्रतिमन कर दिया गया है तथा उसके काश्तकर्ता के अधिकार को अधिक सुनिश्चित और वंशानुगत कर दिया गया है। दूसरे, कानून के द्वारा भूमि सीमा और कम कर दी गई है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सामान्य औद्योगिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। भारत सरकार ने संकटग्रस्त तथा बन्द कारखानों की सहायता के लिए औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना के करने का निर्णय किया है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा। संकटग्रस्त मिलों को अपने अपने हाथ में लेने के लिए कानून बनाया गया है, जिससे कि लोगों को काम मिलता रहे।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा छोटे और सीमान्त किसानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चालू किये हैं।

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : यह बड़े खेद का विषय है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही के चुनावों के बाद सबसे बड़े दल के रूप में उभरे दल से सरकार बनाने के सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं ली गई बल्कि एक ऐसे दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया गया है जिसके सदन में केवल पांच ही सदस्य हैं। केन्द्रीय सरकार का पश्चिम बंगाल के प्रति क्या रुख है यह उसकी इस करतूत से स्पष्ट है। वह वहां लोकप्रिय सरकार नहीं चाहती और वर्ग विशेष के हित साधन के लिए एक ऐसी सरकार चाहती है जो उनके हाथ का खिलौना बनी रहे।

बंगाल के प्रत्येक शहर और गांवों के कोने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस गश्त लगा रही है और जनता को तंग कर रही है।

हमारे दल पर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस हिंसा के लिये हम जिम्मेदार हैं, हमारा दल जिम्मेदार है। जबकि वास्तविकता यह है कि 17मार्च 1970 से अब तक हमारे 250 कामरेड और जा चुके हैं। निश्चय ही हमने स्वयं ही अपने आदमियों को नहीं मारा। राज्य के कई भागों में पुलिस तथा अन्य लोगों ने कई ऐसे बहुत से बर्बरतापूर्ण अत्याचार किये हैं। चुनाव में खड़े प्रत्याशियों तक को मारा गया और ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं। जिनको पता चलता है कि इन हत्याओं में सत्ता कांग्रेस के आदमियों का हाथ था।

इन तथ्यों से पता चलता है कि कौन हिंसा फैला रहा है। शासक दल और साम्यवादी पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। पर अब उन्हें यह प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्हें इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि सीमा पार बंगला देश के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता शान्त नहीं बैठी रहेगी।

मंत्री महोदय ने बताया है कि अगस्त में बाढ़ पीड़ितों के लिए 18.40 करोड़ रुपया दिया गया पर वास्तविकता यह है कि वह रुपया बाढ़ आने के तुरन्त बाद व्यय नहीं किया गया वरन् वह चुनावों के एक सप्ताह पहले व्यय किया गया।

यह बताया गया कि सरकार ने दो औद्योगिक एककों को अपने अधिकार में ले लिया है पर राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले बन्द हुए एककों की संख्या 150 थी जो इस बीच बढ़कर 400 हो गई है। केवल दो एककों का पुनः चालू किया जाना कोई महत्व नहीं रखता।

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना अभी तक पूरी तरह नहीं की गई है, अतः इसे एक दम स्थापित किया जाये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अगर मेरे मित्र श्री पन्त संकल्प को अलग से प्रस्तुत करते, तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता था ।

श्री पन्त ने राष्ट्रपति शासन की आश्चर्यजनक ढंग से प्रशंसा की है ; परन्तु मेरे विचार में राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत विगत कुछ महीनों में घटित दुखद घटनाओं के लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार है । वारसाट में नवयुवकों और वृद्धों की हत्या, डायमन्ड हार्बर में सात व्यक्तियों को हत्या और दिन दहाड़े फारवर्ड ब्लाक ने नेता जी हेमन्त कुमार बसु की हत्या के बारे में भारत सरकार ने जनता के समक्ष तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया । इस सबके बावजूद राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते समय श्री पन्त अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे हैं । मुझे प्रसन्नता है कि श्री हजारा ने बंगला देश की घटनाओं का उल्लेख किया । अगर यह सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को यह आभास देती है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अर्थ उपनिवेशवादी सम्बन्ध हैं, तो यह स्थिति सुखद नहीं होगी ।

जब जनता की भावनाओं में ज्वार है तो उनमें आश्चर्यजनक शक्ति निहित होती है । पश्चिम बंगाल की जनता ही नहीं, वरन् समग्र राष्ट्र की जनता को इस बात पर हर्ष होगा, अगर सरकार पाकिस्तान उच्च आयोग के सैनिक सहकारी ब्रिगेडियर गुलाम हुसैन खां को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दे । यही वह व्यक्ति है जिसने कुख्यात अगरताला षडयंत्र काण्ड में शेख मुजीबुर्रहमान को सताया और परेशान किया था ।

हम इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं और वह भी अन्तरिम । पश्चिम बंगाल की अधिकांश समस्याओं के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है । कुछ समय को छोड़कर 1967 से 1969 तक और 1970 के मध्य से केन्द्रीय सरकार का ही पश्चिम बंगाल में शासन रहा है । इससे पूर्व भी 1947 से 1967 तक सत्तारूढ़ कांग्रेस का ही पश्चिम बंगाल में शासन रहा था । अतः एक ही पार्टी पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए उत्तरदायी है ।

पश्चिम बंगाल आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर था, अब उसकी आर्थिक स्थिति ह्रासोन्मुख है । पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 28.60 करोड़ घाटे को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने होंगे । केन्द्रीय बजट, पश्चिम बंगाल के बजट और केन्द्रीय सरकार की किसी भी घोषणा में पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को नई गति देने के बारे में उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

1947 तक पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी । अब 1966-67 में वहां की प्रति व्यक्ति आय छठवें स्थान पर है और आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु उससे आगे निकल गये हैं । शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का स्थान केरल के पश्चात् आता था । अब अखिल भारतीय सूची में पश्चिम बंगाल का स्थान दसवां है ।

ट्रेक्टरों, विद्युत पम्पों और तेल-इंजनों की संख्या पश्चिम बंगाल में सब राज्यों की अपेक्षा सबसे कम है। गांवों के विद्युतीकरण की दृष्टि से भी पश्चिम बंगाल सबसे पीछे है। श्री कृष्ण चन्द्र पन्त के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के बारे में योजनायें तो बहुत बनायी जाती रही हैं, अब आवश्यकता है उन्हें क्रियान्वित करने की।

औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम का जहां तक सम्बन्ध है उसका कार्य सीमित है। उसके संसाधन तो और भी अधिक सीमित हैं। पता नहीं, वह स्थिति में सुधार हेतु क्या योगदान कर पायेगा।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के बारे में अत्यधिक प्रचार किया गया है। उसके द्वारा 20 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किया जा चुका है और 1.5 करोड़ रुपया बस्तियों पर खर्च किया गया है; परन्तु हम इस काम के ठोस परिणाम देखना चाहते हैं। जल-सप्लाई, जल कल निकासी और विद्युत-व्यवस्था के लिए क्या कार्य किया गया है ? इसमें कितना समय और लगेगा ? 20 करोड़ रुपये से व्यापक सुधार होने की सम्भावना नहीं है।

बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु, समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है।

फरक्का परियोजना का कार्य रुका पड़ा है। अगर यह परियोजना चालू होती है, तो अन्य सम्बद्ध उद्योगों में भी कार्य शुरू हो जायेगा। इन्जीनियरों और तकनीशियनों को भी रोजगार मिलेगा।

भूतपूर्व रेल मंत्री श्री नन्दा ने सोवियत विशेषज्ञों के दल की कलकत्ता की भूमिगत रेलवे के बारे में रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। वर्तमान रेलवे मंत्री ने कलकत्ता की वृत्ताकार अथवा अर्ध-वृत्ताकार रेलवे के बारे में भी कुछ नहीं कहा।

यह एक सर्व विदित तथ्य है कि पश्चिम बंगाल में सड़कों की स्थिति सर्वाधिक खराब है और सड़क निर्माण कार्य में ही भारी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

कलकत्ता बन्दरगाह की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक कार्य किये जाने में बाकी हैं जिनसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है।

लेखानुदान से किसी आश्चर्यजनक कार्य की आशा नहीं की जा सकती, परन्तु चुनावों के पश्चात् मैं इस सरकार से कुछ ऐसे कार्यों की आशा करता हूं, जिसके ठोस परिणाम सामने आयें।

"गरीबी हटाओ" जैसे समय समय पर लगने वाले नारों से हुये उस फ्रान्सीसी लोकोक्ति की याद आ जाती है। जिसके अनुसार किसी भी वस्तु में बार बार परिवर्तन आने पर भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता। नौकरशाही व्यवस्था अभी भी लागू है और जन सामान्य के जीवन में कोई ठोस परिवर्तन नजर नहीं आता। यही कारण है कि इस प्रकार के बजट से कोई खुशी नहीं होती। अगर कार्य करने का यही सिलसिला जारी रहता है, तो एक न एक दिन इसका दण्ड भी इस सरकार को भुगतना पड़ेगा।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : इस अन्तरिम बजट को पेश करते समय माननीय मंत्री ने कहा कि पूर्ण बजट पर राज्य विधान सभा द्वारा विचार किया जायेगा। इस वक्तव्य से आशा और निराशा दोनों ही ध्वनित होते हैं।

पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। कलकत्ता महानगर प्राधिकरण को कलकत्ता और उसके आस-पास के क्षेत्रों की स्थिति सुधारने हेतु अधिक धन दिया गया है। औद्योगिक पुर्ननिर्माण वित्त निगम की स्थापना की गई है, ताकि बन्द पड़े कारखानों को पुनः चालू करने के लिए सहायता दी जा सके।

मुझे अफसोस है कि उत्तरी बंगाल की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए इस बजट में कुछ भी राशि नियत नहीं की गई है। योजना के लिए राशि नियत करते समय पश्चिम बंगाल को कम राशि नियत की जाती रही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए पश्चिम बंगाल को केवल 320 करोड़ रुपया ही स्वीकृत किया गया, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश के लिए यह राशि क्रमशः 895 करोड़, 526 करोड़ और 965 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय राजस्व में पश्चिम बंगाल के योगदान का ध्यान नहीं रखा गया। आयात से होने वाली आय में कलकत्ता का योगदान 25% है। निर्यात से होने वाली आय में पश्चिम बंगाल का योगदान 37% है। फिर भी राज्य को विकास हेतु दी जाने वाली राशि कम है।

पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या कानून और व्यवस्था की समस्या है। इस समस्या का मूल कारण अतिवादी, आतंकवादी अथवा नक्सलवादी नहीं है। इसका कारण है पश्चिम बंगाल के नवयुवकों को रोजगार के अवसरों का न मिलना। आर्थिक कारणों की वजह से समाज में तनाव और संघर्ष बढ़ा है। आर्थिक समस्या के हल होने पर कानून और व्यवस्था की समस्या स्वतः हल हो जायेगी।

जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, उत्तरी बंगाल के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। भारत सरकार का यह भी दायित्व है कि वह पश्चिम बंगाल के जिलों में क्षेत्रीय असन्तुलन को भी दूर करे।

पिछली लोक सभा में जब पश्चिम बंगाल के बजट के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी तो मैंने माननीय मंत्री को कुछ ठोस सुझाव दिये थे और माननीय मंत्री ने उन पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था। मुझे आशा थी कि वह इस पर पश्चिम बंगाल का बजट प्रस्तुत करते समय उन सुझावों पर ध्यान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है।

इस वर्ष भी, पहले वर्ष की भांति 54 हजार रुपये की धनराशि कूचबिहार विकास निधि से निकालकर अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत 'भेषज' शीर्षक में जोड़ दी गई है। मैंने सब कागजातों की जांच की है। ऐसा पिछले तीन वर्षों से किया जा रहा है। उक्त धनराशि को विकास निधि से निकालकर 'भेषज' शीर्षक में जोड़ देन के क्या कारण हैं? इस सम्बन्ध में पहले यह दलील दी गई थी कि उक्त निधि की स्थापना कूचबिहार के लोगों के लाभ के लिये की गई थी। माननीय मंत्री को इस बारे में स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। गतवर्ष भी मैंने यह मांग की थी कि उक्त निधि का

हिसाब रखने के लिये पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना की जाये लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह उत्तर बंगाल के विकास और उत्तर बंगाल के लिये विकास परिषद् की स्थापना के बारे में विचार करेंगी। उत्तर बंगाल विकास बोर्ड और उत्तर बंगाल औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिये।

राज्य में अनेक हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन वहां कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफल रहा है। गृह-कार्य मंत्री को राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारे बंगला देश और वहां की अस्थायी सरकार से अच्छे सम्बन्ध हो सकते हैं। हम पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक ढांचे को और अच्छा बना सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन का विरोध करता हूं। चुनावों के पश्चात् भी राज्य में सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिये आंमत्रित नहीं किया गया। यह सब संसदीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। सरकार बनाने के मामले में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरीका अपनाया गया है।

सरकार की बंगला देश की मांग का हम समर्थन करते हैं। लेकिन सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के भूमि और खाद्यान्नों सम्बन्धी लोकतन्त्रात्मक अभियान को दबा रही है ।

सरकार लोकतन्त्र और समाजवाद की दुहाई देती है लेकिन राष्ट्रपति के शासन के दौरान पुलिस ने राज्य में सैकड़ों किसानों और कर्मचारियों की निर्मम हत्या की है और हजारों व्यक्तियों को पुलिस की हिरासत में रखा गया है। सरकार को पश्चिम बंगाल से तत्काल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सेना, कर्फ्यू तथा धारा 144 को हटा देना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यहां दिये गये भाषणों को मैंने सावधानीपूर्वक सुना है तथा संकल्प प्रस्तुत करते समय मैंने जो कुछ कहा है उससे अधिक मैंने कुछ नहीं कहना है। मेरे उस वक्तव्य में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करते ही केन्द्र सरकार द्वारा वहां की स्थिति के संदर्भ में लगाये गये विभिन्न कदमों का जिक्र था।

सभा को याद होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू करते समय पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था तथा कानून व शांति की स्थिति बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। संयुक्त सरकार द्वारा भूमि सुधार सम्बन्धी उपाय ऐसे ढंग से जबरन क्रियान्वित किये जा रहे थे जिनसे किसी विशिष्ट राज-नैतिक दल को ही लाभ होता था। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार ने धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था तथा काफी हद तक शांति और कानून की स्थिति को सुधारने का लक्ष्य प्राप्त किया।

सभा को स्मरण होगा कि एक बार तो ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई थी। केन्द्रीय सरकार ने उसे व्यवस्थित किया, परीक्षा को यथोचित ढंग

से आयोजित कराया । परन्तु हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी हाल ही के चुनावों को आयोजित कराने की थी । कुछ तत्व ऐसे थे जो इन चुनावों को शांति ही नहीं होने देना चाहते थे तथा उन्होंने अपने उद्देश्यों के बारे में खुले रूप से धमकियां भी दीं । परन्तु सरकार के परिश्रम से पूरी शांति और व्यवस्था के साथ ये चुनाव सम्पन्न हुए । केवल कुछ घटनाओं को छोड़कर सब जगह मतदान बड़ा शांतिपूर्ण रहा तथा लोग भारी संख्या में मत डालने आये । वहां 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने मतदान किया जबकि देश भर का कुल औसत मतदान केवल 55 प्रतिशत के लगभग है । इस संदर्भ में वहां प्रशासनिक व्यवस्था ने तो कार्य किया ही परन्तु इस सफलता का वास्तविक श्रेय वहां की जनता को ही मिलना चाहिये जिन्होंने इस चुनौती का बड़ी सफलता से मुकाबला किया ।

श्री मनोहरना हाजरा का मत है कि सत्तारूढ़ दल ने पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन कराया । वस्तुतः स्थिति तो यह है कि उस सरकार को साम्यवादी मार्क्सवादी लोगों ने गिराया । श्री हाजरा इस सभा में नये नये आये हैं और इन्हें इस सभा में पहले चर्चित बातों का ज्ञान नहीं है । संसद में इस वाद का निर्णय हो चुका है । उनका कहना है कि साम्यवादी मार्क्सवादी हिंसा में विश्वास नहीं रखते । परन्तु वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है । नक्सलवादी लोग तथा उनका अभियान साम्यवादी मार्क्सवादियों के बीच से ही निकला है । वह ऐतिहासिक तथ्यों को भी क्यों चुनौती देते हैं ?

यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य में अराजकता है। पुलिस कार्यवाही कर रही है तथा सारे क्षेत्र की जांच कर रही है । मेरे विचार से पुलिस पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के बारे में जांच तो की जाती है परन्तु उनके परिणाम नहीं बताये जाते हैं । मेरा निवेदन है कि यहां सभा में समय समय पर आरोप लगाये जाते रहे हैं । हमारे पास 22-3-70 से 22-3-1971 के बीच कुल 36 शिकायतें आईं । इन में से 31 मामलों में शिकायतें झूठी, बे-बुनियाद तथा असत्य सिद्ध हुईं तथा शेष 5 के बारे में अभी जांच की जा रही है । हमारा यह प्रयास होता है कि कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों या आरोपों की शीघ्रातिशीघ्र जांच की जाये तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित तथा कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाये ।

श्री हाल्दर ने सरकार पर दोरंगी नीति अपनाने का आरोप लगाया है । उनका कहना है कि सरकार ने उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में अलग अलग मानदण्ड अपनाये हैं । वस्तुतः तो इस कथन से मैं उनका अभिप्राय ही नहीं समझ सका । और फिर उड़ीसा में तो अभी तक कोई सरकार गठित ही नहीं हुई है । राज्यपाल ने वहां कई नेताओं को बुलाकर बातचीत की है । वह चाहे जितने लोगों से बातचीत कर सकते हैं । हमने कोई दोरंगी नीति नहीं अपनाई है । उड़ीसा में राज्यपाल स्वयं वहां की स्थिति को समझकर यथोचित निर्णय करता है । मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते ।

कहा जाता है कि हम बंगाल की लोकतांत्रिक आवाज को दबा रहे हैं । मुझे खेद है कि विपक्ष के लोग वहां सरकार नहीं बना सकते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं । यदि उन्हें वहां

अपेक्षित स्थान प्राप्त हो जाते और उन्हें सरकार बनाने के लिये नहीं बुलाया जाता तब उन्हें ऐसा आरोप लगाने का अधिकार था ।

श्री समर मुकर्जी का मत है कि साम्यवादी मार्क्सवादी दल वहां सफल हो रहा है । परन्तु यह भी देखें कि इस दल को वर्ष 1969 की तुलना में अब प्रति उम्मीदवार बहुत कम मत मिले हैं । मैं तथ्यों की बात बता रहा हूं उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं । विपक्षी सदस्य इस पर उत्तेजित क्यों होते हैं ?

अन्त में मैं यही आशा प्रकट करता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार हुआ है, हम वहां उद्योगों को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ; भूमि सुधार कानून को ठीक ढंग से लागू करने तथा वहां की अन्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि वहां कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, वह जारी रहेगी । विशेष रूप से कलकत्ता की बस्तियों से संबंधित कार्य कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण ने संभाल लिया है । मुझे पूरी आशा है कि वहां का कार्य सभी लोगों तथा सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से पूरी लगन व उत्साह के साथ होगा । मुझे यह भी आशा है कि उस राज्य में शीघ्र ही राज्य सरकार का गठन सम्भव होगा तथा वह सरकार उस राज्य के कार्य को आगे बढ़ायेगी । मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल की समस्याओं के प्रति सजग है तथा इन समस्याओं को हल करने में हर संभव सहयोग देगी ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्माननीय साथी के उत्तर से मेरा कार्य काफी हल्का हो गया है । वाद-विवाद के दौरान उठाये गये सभी प्रश्नों का इसमें उत्तर आ जाता है ।

मैं दूसरे मामलों के साथ-साथ एक विशिष्ट प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं जिसको मेरे सम्माननीय मित्र श्री दासचौधरी ने कूचबिहार विकास निधि के सम्बन्ध में उठाया है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सदन में पश्चिम बंगाल के बारे में दिये गये आश्वासनों की विधिवत् सूचना दे दी गयी थी और हमने उस पर कार्यवाही की है । परन्तु किसी राज्य में लोक प्रिय सरकार बनने पर आश्वासनों को पूरा करने का उत्तरदायित्व उसी सरकार का होता है । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम पश्चिम बंगाल का प्रशासन चलाते हैं तब तक उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों को ध्यान में रखा जायेगा और पश्चिम बंगाल में लोक प्रिय सरकार बनने पर हम उनकी भावनाओं तथा उनके प्रश्नों को उचित कार्यवाही के लिये राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे ।

बजट प्रस्तुत करते समय मैंने जो विवरण सभा पटल पर रखा था उसमें नये औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में तथा कलकत्ता इत्यादि के महानगर क्षेत्र के विकास की योजना शुरू करने के बारे में कहा गया था ।

अन्त में मैं 28.60 करोड़ रुपये के घाटे का उल्लेख करना चाहता हूं । यह घाटा इस लेखानुदान में है । जब पश्चिम बंगाल के लिये पूर्णरूप से बजट तैयार किया जायेगा तो यह घाटा पूरा

करने के लिये गम्भीरता से प्रयास किया जायेगा। पश्चिम बंगाल के दु:खों का एक ही इलाज है कि कलकत्ता के महानगर क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलापों का तेजी से विकास किया जाये।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन हो अथवा लोक प्रिय सरकार परन्तु केन्द्रीय सरकार वहां गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिये विशेष सहायता प्रदान करेगी।

अब मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तुत मांगों को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें (पश्चिम बंगाल) मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	क-करों, शुल्कों और अन्य प्रमुख राजस्वों की वसूली	
1.	4-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	3,86,000
2.	9-भू राजस्व	2,59,77,000
	अ-अंशदान तथा विविध समायोजन	
	76-अन्य विविध प्रतिकर और समनुदेशन	11,01,000
	कक-राजस्व खाते से बाहर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर प्रतिकर का पूंजी खाता	
	92-जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर भूमिधारियों आदि को प्रतिकर की अदायगी	1,25,00,000
	क-करों, शुल्कों तथा अन्य प्रमुख राजस्वों की वसूली	
3.	10-राज्य उत्पादन शुल्क	39,46,000
4.	11-गाड़ियों पर कर	8,17,000
5.	12-बिक्री कर	28,83,000
6.	13-अन्य कर तथा शुल्क	37,31,000
7.	14-स्टाम्प	10,17,000
8.	15-पंजीकरण शुल्क	28,53,000
	ख—ऋण सेवाएं	
9.	16-ऋण तथा अन्य देनदारियों पर ब्याज	33,33,000
	ग—प्रशासनिक सेवाएं	रु०
11.	18—संसद् राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	31,28,000
12.	19—सामान्य प्रशासन	2,87,44,000
13.	21—न्याय प्रशासन	84,70,000
14.	22—जेल	87,80,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15.	23—पुलिस	10,86,87,000
16.	26—विविध विभाग—अग्निसमन सेवाएं	29,09,000
17.	26—विविध विभाग—अग्निसमन सेवाओं को छोड़कर	2,24,12,000
	घ—सामाजिक तथा विकास संबंधी सेवाएं	
18.	27—वैज्ञानिक विभाग	26,000
19.	28—शिक्षा	27,12,62,000
20.	29—चिकित्सा	8,13,62,000
21.	30—सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,92,79,000
22.	31—कृषि-कृषि	5,12,00,000
	घघ—राजस्व खाते से बाहर सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाओं का पूंजी खाता	
	95—कृषि सुधार तथा अनुसंधान की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	89,02,000
	घ—सामाजिक तथा विभागीय सेवाएं	रु०
23.	31—कृषि मत्स्य पालन	24,63 000
24.	33—पशु पालन	99,19,000
	11—राजस्व खाते से बाहर विविध पूंजी खाता	
	124—सरकारी व्यापार-वृहत् कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	5,46,29,000
	घ—सामाजिक तथा विकास संबंधी सेवाएं	
25.	34—सहकारिता	51,84,000
26.	35—उद्योग—उद्योग	1,02,80,000
	घघ—राजस्व खाते से बाहर सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाओं का पूंजी खाता	
	96—औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	62,07,000
	घ—सामाजिक तथा विकास संबंधी सेवाएं	
	35—उद्योग—कुटीर उद्योग	90,23,000
	घघ—राजस्व खाते से बाहर सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाओं का पूंजी खाता	
	96—औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय—कुटीर-उद्योग	5,67,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	घ—सामाजिक तथा विकास संबंधी सेवाएं	रुपये
28.	35—उद्योग—सिंकोना	22,28,000
29.	37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य	1,75,01,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर सार्वजनिक कार्य (सड़कों समेत) और विविध सार्वजनिक सुधार का पूंजी खाता	
	109—अन्य कार्यों पर पूंजी परिव्यय-सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य	2,90,000
	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशियां	
	सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार तथा स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम राशियां	2,17,000
	घ—सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाएं	
30.	38—श्रम तथा रोजगार	1,95,78,000
31.	39—विविध सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन—अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	78,44,000
32.	39—विविध सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन—अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण को छोड़कर	63,86,000
	ङ—बहु उद्देशीय नदी योजनाएं, सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं	
33.	42—बहु उद्देशीय नदी योजनाएं	2,79,62,000
	43—सिंचाई, नौचालन, तटबन्ध तथा जल निकासी कार्य (वाणिज्यिक)	40,93,000
	44—सिंचाई, नौचालन, तटबन्ध तथा जल निकासी कार्य (गैर-वाणिज्यिक)	1,45,92,000
	ङङ—राजस्व खाते से बाहर बहु उद्देशीय नदी योजनाएं, सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं का पूंजी खाता	
	98—बहु उद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	88,34,000
	99—सिंचाई, नौचालन, तटबन्ध तथा जल निकासी कार्यों पर पूंजी परिव्यय (वाणिज्यिक)	46,96,000
	100—सिंचाई, नौचालन, तटबन्ध तथा जल निकासी कार्यों पर पूंजी परिव्यय (गैर-वाणिज्यिक)	43,46,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	च—सार्वजनिक कार्य (सड़कों समेत) तथा विविध सार्वजनिक सुधार की योजनाएं	
34.	50—सार्वजनिक कार्य	5,32,39,000
35.	51 क—वृहत्त कलकत्ता विकास योजना	55,96,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर सार्वजनिक कार्यों (सड़कों समेत) तथा विविध सार्वजनिक सुधार की योजनाओं का पूंजी खाता	
	106क—वृहत्त कलकत्ता विकास योजना पर पूंजी परिव्यय	1,11,10,000
	छ—परिवहन तथा संचार (सड़कों के अतिरिक्त)	
36.	53—पत्तन और पायलेट का कार्य	6,57,000
37.	57—सड़क तथा जल परिवहन योजनाएं	28,65,000
	छछ—राजस्व खाते से बाहर परिवहन तथा संचार (सड़कों को छोड़कर) का पूंजी खाता	
	114—सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3, 07, 000
	ज—विविध	
38.	64—अकाल सहायता	1,52,48,000
39.	65—पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,20,97,000
	11—राजस्व खाते से बाहर विविध पूंजी खाता	
	120—पेंशनों के विनिमय मूल्य की अदायगियां	3,15,000
40	67—भारतीय शासकों के प्रिवीपर्स और भत्ते	9,000
41.	68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	39,12,000
42.	70—वन	1,08,82,000
43.	71—विविध—अंशदान	3,74,27,000
44.	71—विविध—पंचायत	1,07,02,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
45.	71–विविध–खेल	13,38,000
46.	71–विविध–असैनिक सुरक्षा	60,59,000
47.	71–विविध–अन्य विविध व्यय	1,45,49,000
	राजस्व खाते से बाहर	
	चच–सार्वजनिक कार्य (सड़कों समेत) और विविध सार्वजनिक सुधार की योजनाओं का पूंजी खाता	
	109–अन्य कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,72,00,000
	ख—ऋण सेवाएं	
	16—ऋण तथा अन्य देनदारियों पर व्याज—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	
48.	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों को न वसूल होने वाले ऋण बट्टे खाते लिखे गये	3,67,000
	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,87,39,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर सार्वजनिक कार्यों (सड़कों समेत) तथा विविध सार्वजनिक सुधार की योजनाओं का पूंजी-खाता	
	109—अन्य कार्यों पर पूंजी परिव्यय—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	25,67,000
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र. सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशियां	
	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम राशियां	20,00,000
49.	78—विभाजन पूर्व अदायगियां	1,000
50.	98—बहु उद्देशीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय-दामोदर घाटी परियोजनाएं	1,84,99,000
	चच—राजस्व खाते से बाहर सार्वजनिक कार्यों (सड़कों समेत) तथा	
	विविध सार्वजनिक सुधार की योजनाओं का पूंजी खाता	
51.	103—सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी परिव्यय	2,63,07,000
	11—राजस्व खाते से बाहर विविध पूंजी खाता	
52.	124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,69,40,000
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशियां	
54.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशियां	7,81,85,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (पश्चिम बंगाल) मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
3.	10—राज्य उत्पादन शुल्क	16,60,000
6.	13—अन्य कर तथा शुल्क	18,22,000
7.	14—स्टाम्प	1,71,000
8.	15—पंजीकरण शुल्क	63,000
9.	16—ऋण तथा अन्य देनदारियों पर ब्याज	20,00,000
11.	18—संसद्, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	46,82,000
12.	19—सामान्य प्रशासन	12,70,000
14.	22—जेल	10,76,000
15.	23—पुलिस	6,67,01,000
17.	26—विविध विभाग-अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर	52,64,000
18.	27—वैज्ञानिक विभाग	4,000
18.	28—शिक्षा	8,18,67,000
20.	29—चिकित्सा	24,54,000
24.	33—पशुपालन	45,21,000
	124—सरकारी व्यापार—बृहत् कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,60,29,000
26.	96—औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	2,51,000
27.	35—उद्योग—कुटीर उद्योग	26,44,000
	96—औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय—कुटीर उद्योग	8,31,000
33.	44—सिंचाई, नौचालन, तटबंध तथा जल निकासी कार्य (गैर-वाणिज्यिक)	3,92,29,000
	99—सिंचाई, नौचालन, तटबंध तथा जल निकासी कार्य (वाणिज्यिक)	1,06,54,000
34.	50—सार्वजनिक कार्य	3,91,07,000
36.	53—पत्तन तथा पायलेट का कार्य	1,91,000
38.	64—अकाल सहायता	11,12,71,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
39.	65—पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	11,49,000
	120—पेंशनों के विनिमय मूल्य की अदायगियां	1,00,000
	71—विविध-विस्थापित व्यक्तियों को न वसूल होने योग्य ऋण—बट्टे खाते लिखे गये	99,00,000
47.	71—विविध विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,36,57,000
	109—अन्य कार्यों पर पूंजी परिव्यय—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	4,47,000
52.	124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2,65,44,000
54.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशियां	11,30,94,000

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 19 मार्च, 1970 की उद्घोषणा को, अप्रैल, 1971 के प्रथम दिन से 6 महीने की अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971
WEST BENGAL APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1971

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1971 पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1971 पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आखिर हम 1000 मील का सफर तै करके यहां आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जी, नहीं। हम सभी कई मोलों का सफर तै करके यहां पहुंचे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि एक बार परम्परा को तोड़ दिया जाये तो वह निरन्तर टूटती ही रहेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कोई ऐसी परम्परा नहीं है। मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप क्षमा कीजिये। गिलोटीन काल में आधा मिनट भी नहीं दिया जा सकता।

अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1971
WEST BENGAL APPROPRIATION BILL, 1971

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1971 पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1971 पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

"खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : कल हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विवाद आरम्भ करने वाले हैं । आयात और निर्यात से सम्बद्ध एक छोटी सी बात रह गई है । क्या उसे भी आज ही समाप्त कर लिया जाये ?

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आज आयात और निर्यात के प्रश्न पर विचार नहीं किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कल उस पर विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आपकी इच्छा हो तो हम अभी उस पर विचार कर सकते हैं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 186 के उपनियम 6 के अनुसार लोक सभा द्वारा 27 मार्च, 1971 को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में, राज्य-सभा की लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अध्यक्ष महोदय : कल हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विवाद आरम्भ करेंगे। इसकी कार्यवाही आपको भेज दी जायेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 मार्च, 1971/9 चैत्र, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, March 30, 1971/Chaitra 9, 1893 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—6-5-71—340